खण्ड–38, अंक–07
बुधवार, 23 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनाँक 12 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 38 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	''क''
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा करायें जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	2–39
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं	39–40
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	40
विधान सभा क्षेत्र सल्ट के सराईखेत में वर्षों से पशुचिकित्सक के न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत हिंवल नदी पर 2011–12 में स्वीकृत मोटर पुल का निर्माण अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40–41
प्रदेश में कई वर्षों से आन्दोलनरत बी0पी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा धारकों के रोजगार की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	41
विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत किसानों को वर्षा के कारण फसल के सड़ने से फल एवं शाक सब्जी के नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी एवं सरकार द्वारा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में जंगली हाथियों के आतंक के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा द्वाली सेरा की पेयजल योजना दो वर्षों से बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद पौड़ी गढ़वाल के न्याय पंचायत कांडाखाल विकास खण्ड द्वारीखाल में पेयजल संकट के समाधान के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	42
जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला कांडी, दुगड्डा मोटर मार्ग को हाट मिक्स कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	43

जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवीखेत, स्यालना, बमस्यूल गहली मोटर मार्ग के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 43

जनपद बागेश्वर के इण्टर कालेज सिरकोट के प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)... 43

जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा जखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल जखेड़ा का उच्चीकरण एवं प्रान्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 43

जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त क्यौराली का इण्टर में उच्चीकरण एवं प्रान्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) 44

सदस्य विधान सभा कुंवर प्रणव सिंह, 'चैम्पियन' द्वारा नियम–65 में दी गई सूचना का संज्ञान लिये जाने का अनुरोध... ... 44

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)... 45–48

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 48–71

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 (पारित) 71–73

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ... 73–96

संविधान के अनुच्छेद 166 का उल्लेख करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को कार्य आवंटन न किये जाने पर श्री मदन कौशिक, सदस्य, वि0स0 द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न 96–100

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी ... 100–122

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 122

विधान सभा क्षेत्र तल्ला सल्ट में कोई महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 123

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की गरूड़ वृहद पेयजल योजना के लम्बित प्रस्ताव की जांच के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य। 124

नत्थी 125–129

'क'

उपस्थिति

'1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री गणेश गोदियाल
10–श्री चन्दन राम दास
11–श्री चन्द्र शेखर
12–डा0 जीत राम
13–श्री तीरथ सिंह रावत
14–श्री दलीप सिंह रावत
15–श्री दान सिंह भण्डारी
16–श्री दिनेश अग्रवाल
17–श्री दिनेश धनै
18–श्री नवप्रभात
19–श्री नारायणराम आर्य
20–श्री पुष्कर सिंह धामी
21–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
23–श्री प्रदीप बत्रा
24–श्री प्रीतम सिंह
25–श्री प्रीतम सिंह पंवार
26–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
27–श्री प्रेम सिंह
28–श्री फुरकान अहमद
29–श्री बंशीधर भगत
30–श्री भीमलाल आर्य
31–श्री मदन कौशिक
32–श्री मदन सिंह बिष्ट
33–श्री मनोज तिवारी
34–श्री मयूख सिंह
35–श्री महावीर सिंह
36–श्री माल चन्द
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
41–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42–श्री राजकुमार
43–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44–श्री राजेश शुक्ला
45–श्री ललित फर्स्वाण
46–श्री विक्रम सिंह नेगी
47–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–श्री विशन सिंह चुफाल
50–श्रीमती शैला रानी रावत
51–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52–श्री संजय गुप्ता
53–श्रीमती सरिता आर्या
54–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
55–श्री सुबोध उनियाल
56–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59–श्री हरबन्स कपूर
60–श्री हरभजन सिंह चीमा
61–श्री हरीदास
62–श्री हरीश धामी
63–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64–श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराए जाने की मांग

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की एक सूचना हमने दी है कि प्रदेश में सरकारी हास्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस अत्यधिक होने एवं अन्य चार्ज बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। मान्यवर, उत्तराखण्ड प्रदेश में हास्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस 14 रू0 बढ़ा दी गयी है। जो पहले 1–2 रू0 हुआ करती थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो परम्परा रही है प्रश्नकाल के बाद नियम–310 लिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह फीस 14 रू0 कर दी गयी है, यह पूरे प्रदेश का मामला है, यह फीस बढ़नी नहीं चाहिए थी। एक्सरे फीस बढ़ा दी गयी है, पैथोलॉजी लैब की फीस बढ़ा दी गयी है, इसी तरह से सारी चीजों की फीस बढ़ा दी गयी है, यह गरीब प्रदेश है। यहाँ की जनता को पहले 50–50 पैसे और 1–1 रू0 तक के पहले टिकट बनते थे। मान्यवर, पहले हम जो रसीद देते थे, उस रसीद को बड़ी मुश्किल से वे जुटा पाते थे। मान्यवर, आज भी बड़ी मुश्किल से गरीब इलाकों में लोग फीस जुटा पाते हैं। आज भी गरीब जनता का यही हाल है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, जो परम्परा बनी हुई है, आप ही लोगों ने निर्णय किया है, सब लोगों ने मिलकर के, कि नियम–310 की सूचना प्रश्नकाल के बाद आयेगी और तभी उस पर कोई निर्णय होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में शस्त्र लाईसेंस प्राप्ति से पूर्व प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की बाध्यता

**1–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों को शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व एक ''प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र'' की बाध्यता को अनिवार्य कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या इस बाध्यता से जन सामान्य को पहुँच रही कठिनाई से सरकार अवगत है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत नागरिकों, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, को कितनी मुसीबत के साथ शूटिंग एकेडमी पहुँच कर उक्त प्रमाण–पत्र हासिल करने होंगे जिसमें अकारण ही अपव्यय होगा ?

क्या जनहित में सरकार उक्त सुविधा को प्रत्येक पुलिस थाने पर एक पृथक प्रशिक्षण खण्ड गठित कर नागरिकों को अल्प प्रशिक्षण प्रदान कर, उक्त ''प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र'' उपलब्ध करायेगी, जिससे कि नागरिक इस अत्यन्त असुविधा से बच सकेंगे, और अपनी निजी सुरक्षा को करने में सक्षम हो जायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

प्रदेश शासन द्वारा राज्य के निवासियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से पूर्व ''प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र'' उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई निर्देश निर्गत नहीं किया गया है। भारत सरकार के आदेश संख्या : V-11016/16/2009-Arms दिनांक 31 मार्च, 2010 के प्रस्तर ii(b) के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शस्त्र अनुज्ञप्तियों के विषय में केन्द्र सरकार के आदेश बाध्यकारी हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे प्रश्न को वरीयता दी है। मान्यवर, जो उत्तरालेख सरकार द्वारा दिया गया है, यदि वह सत्य है और सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है तो फिर क्यों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री राजीव स्वरूप जी द्वारा, शूटिंग ट्रेनिंग की अनिवार्यता कर दी गयी है। यदि आप नहीं ला रहे हैं तो, आपको लाईसेंस नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, 4–5 महीने से पत्रावलियां लम्बित हैं। मैं स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूं। एक थाना जबरेड़ा का श्री सुशील कुमार पुत्र शतवीर का राईफल का लाइसेंस है, हम लगातार महीने दर महीने एस0एस0पी0 साहब से कह रहे हैं। लेकिन वह रिकमण्ड नहीं कर रहे हैं। दूसरा थाना मंगलौर का मामला है जो श्री हसीन हैदर का लाइसेंस है, वह भी रिकमण्ड नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का निर्देश है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है कि यह एग्जिस्ट करता है तो उत्तरालेख में उसका डिटेल हमें क्यों नहीं दिया गया ? बगैर अध्ययन किये हम क्या प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप चाहते क्या हैं, वह बताईये।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि लाइसेंस मिल जाय और दूसरी बात चाहता हूं कि एस0एस0पी0 से पूछा जाय कि जब सरकार कहती है कि ऐसा कोई प्राविधान एग्जिस्ट नहीं करता है तो वे क्यों मांग रहे हैं। तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि शूटिंग एकेडमी के प्रमाण–पत्र का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन आप जिला प्रशासन हरिद्वार से सर्टिफिकेट मंगा कर तो देखिये कि क्या उसमें 10 हजार से 20 हजार रू0 खर्च करके क्या आम आदमी शामली जाकर के और देहरादून जाकर के आर्म लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सार्टिफिकेट नहीं लाया तो किस के बल पर वे लाइसेंस जारी किये गये हैं?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, प्रदेश की ओर से तो ऐसा कोई आदेश नहीं भेजा गया है, परन्तु शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में भारत सरकार के ये आदेश हैं कि उनकी हैंडलिंग, उनको रखना और उनके ऊपर खतरा, यह खतरा कई कारणों से हो सकता है। जानवरों से खतरा है, आदमियों से खतरा है और शस्त्र की सुरक्षा करना ये सब दायित्व नागरिकों का है। मान्यवर, भारत सरकार के ये आदेश हैं कि "नो लाइसेंस में बी ग्रान्टेड विदाउट पुलिस वेरीफिकेशन, विच विल इनक्लयूड रिपोर्ट ऑन, एंटीसीडेंट्स ऑफ द अप्लीकेंट, असिसमेंट ऑफ द थ्रेट, केपेबिल्टी ऑफ द अप्लीकेंट टू हेण्डिल आर्मस एण्ड, एनी अदर

इनफॉर्मेशन विच द पुलिस अॅथोरिटी माईट कंसीडर रिलेवेंट फॉर द ग्रांट आर रिफयूजल ऑफ लाइसेंस"। मान्यवर, यह सामान्य प्रकिया है कि उसको लाइसेंस का उपयोग करना, उसको रखना, उसकी सुरक्षा करना हो। मान्यवर, हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जो अभी हरिद्वार के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस के पास या गृह मंत्रालय के पास ऐसी सुविधा नहीं है या इतनी पुलिस व्यवस्था नहीं है कि वह कोई प्रशिक्षण देने का कार्य करे। लेकिन यह सही है कि भारत सरकार के आदेश हैं कि उनके पास प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र हो, हरिद्वार में ही यह आदेश जारी किया गया है, जैसा माननीय सदस्य की बात से पता चल रहा है। शेष लाइसेंस तो सब जगह जारी हो रहे हैं। अब इसकी जांच करा दी जायेगी।

श्री हरिदास–

मान्यवर, यदि कोई भारत सरकार का नियम है तो उसे मानना या लागू करने का काम राज्य सरकार का होता है और वह आदेश नहीं भारत सरकार की गाईड लाईन होती है। लेकिन हमारे जिले हरिद्वार में ऐसे पुलिस कप्तान या ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, जो अपनी मनमर्जी से कानून को लागू कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय क्योंकि उत्तराखण्ड के 12 जिलों में यह नियम नहीं है मात्र हरिद्वार में सांठ–गांठ कर यह नियम लागू कराया जा रहा है।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर जनता की लूट–मचाई हो रही है और प्रमाण–पत्र वह तब देते हैं, जब वह बन्दूक चलाना सीख जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न से संबंधित यदि कोई अनुपूरक है, तो आप उसे पूछ सकते हैं।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इसी प्रश्न पर अपनी बात को रख रहा हूँ कि लैंसडाउन और कालागढ़ वन प्रभाग, जो कार्बेट एवं टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत आता है, वहाँ के जो डी0एफ0ओ0 हैं, उन्होंने इसी को गाइड लाईन मानकर, कि सरकार के द्वारा, जहाँ भी पार्क से लगा हुआ जंगल का इलाका है, वहाँ पर लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं, जब कि प्रदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया है। जंगली जानवर उनके घर पर आक्रमण कर रहे हैं, जंगलों में जो चोर और डकैत हैं, उनसे भी उनको सुरक्षा चाहिये। इसके साथ ही साथ कई लोग पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें सुरक्षा गार्ड की नौकरी करनी है।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, कृपया आप प्रश्न करें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जो वनाधिकारी इस पर आपत्ति लगा रहे हैं कि वन क्षेत्र के कारण इनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, जिन लोगों को सुरक्षा या नौकरी के लिये बन्दूकें चाहिये, क्या सरकार उनको इसमें प्राथमिकता देगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सबके पीछे केन्द्र और राज्य सरकारों की यह भावना रहती है कि पुलिस प्रशासन के जरिये वह रिपोर्ट मंगाते हैं कि यह लाइसेंस रखने के लिये उपर्युक्त हैं या नहीं। उनको किसी से खतरा या उनको अपनी सुरक्षा के लिये हथियार चाहिये, रिवाल्वर, पिस्तौल या बन्दूक रखने का मतलब यह होता है कि हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इसीलिये इसे मांगा जाता है। वैसे यह भी आजकल स्टेट्स सिंबल बन चुका है, लोग लाइसेंस की अर्जी लेकर हम लोगों के आस–पास घूमते हैं, ताकि दबाव बन जाये और उनको लाइसेंस मिल जाय। तो इस दृष्टि से भारत सरकार के यह आदेश हैं, राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं दिये हैं कि शस्त्र चलाने का प्रमाण–पत्र लायें, तभी लाइसेंस मिलेगा। अब आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, हरिद्वार के एस0एस0पी0 के माध्यम से, दिक्कत क्या हो गई कि वह चैम्पियन जी का जिला हो गया, हरिद्वार जिला ही इनका है, (व्यवधान) ये तो राजा भी हैं। आपने जो जानकारी दी कि पैसे देने पड़ते हैं और प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, वनाधिकारियों द्वारा ....।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस प्रश्न से माननीय दलीप सिंह रावत जी का प्रश्न जुड़ा नहीं है, मेरा अनुरोध है कि वह अलग से प्रश्न लगायें। जैसा माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है, हम एस0एस0पी0 हरिद्वार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोग प्रशिक्षण लेने का सर्टिफिकेट कहाँ से लायें और यदि इसके लिये पैसा देना पड़ता है तो यह गलत है। आज तक यह व्यवस्था नहीं थी, अचानक यह व्यवस्था कैसे पैदा हो गई, भारत सरकार के आदेश तो लम्बे समय से हैं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड को छोड़कर सिर्फ हरिद्वार में यह नियम है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने माननीय हरिदास जी की बात सुन ली है, मैंने कह भी दिया है कि जो आपने बताया है, हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यह भारत सरकार का डायरेक्शन है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2013 से पूर्व हमारे जनपद हरिद्वार में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अचानक जाने क्या बात हुई, हमारी राज्य सरकार की ओर से कोई राजाज्ञा नहीं, कोई शासनादेश नहीं, तो क्या जिला प्रशासन अधिकृत है कि स्वयं भू तरीके से इस प्रकार के आदेश जारी कर दे और पुलिस उसे अपने आप से निकालती रहे। मैंने इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक तक से वार्ता की, उन्होंने भी इससे अनभिज्ञता जताई है। जो हरिदास जी ने कहा कि यदि एस0एस0पी0 द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, जो नियम विरुद्ध है, तो इसका संज्ञान पीठ को लेना चाहिये और जो सख्त से सख्त कार्यवाही हो, वह की जाय।

दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे कि अब सरकार के संज्ञान में आ गया है तो।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि यदि मैंडेटरी है तो सरकार अपनी ओर से क्या सुविधायें प्रदान करेगी?

मान्यवर, किस तरह से आम जन का उसमें हित हो पायेगा। जो अहित हो रहा है, एक गरीब आदमी जा करके सुदूद ग्रामीण अंचलों से शामली और देहरादून जा करके 30–30 हजार रूपये खर्च करके कहां से वो बनवायेगा। जिसके पास दो जून की रोटी फालतू नहीं है, वो किस तरह से करेगा, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मान्यवर, दो बातें हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही और सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया जायेगा? यह स्पष्ट होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार के जो डायरेक्शन हैं। आपके एस0एस0पी0 कुछ ज्यादा पढ़े–लिखे होंगे। उन्होंने भारत सरकार के डायरेक्शन का संज्ञान लेकर यह निर्देश दे दिया कि जब तक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र न हो तब तक लाइसेन्स न जारी किया जाय। हमने राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट

का कोई निर्देश जारी नहीं किया है, तो हरिद्वार के एस0एस0पी0 ने इसे जारी किया है, इसका संज्ञान लेते हुए हम यह जानकारी प्राप्त कर इसका समाधान कर देंगे, इसका समाधान हो जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) अरे, इसका समाधान हो जायेगा। कार्यवाही यही होती है। मान्यवर, इसका समाधान करा दिया जायेगा, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सरकार के द्वारा यह कहा जाना कि वहाँ से रिपोर्ट ली जायेगी, यह हमारे सदन के ऊपर और सदस्य के ऊपर अविश्वसनीय प्रतीत होता है। (व्यवधान) हमारा कहना यह है कि सरकार उचित कार्यवाही करने का निर्देश दे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, संज्ञान ले लिया गया है, कार्यवाही हो जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ज़ानना चाहता हूँ कि क्या आप निर्देश जारी करेंगे कि हरिद्वार में खास तौर पर सारे विधायकगण यहाँ पर बैठे हैं, कि वहाँ जो पुलिस रिपोर्ट है, वहाँ थानों में यह स्पष्ट निर्देश हैं कप्तान के, कि जब तक कप्तान फोन न करे थानों से वो सी0ओ0 के यहाँ नहीं जायेगी, सी0ओ0 से फोन कराएंगे तब एस0पी0 सिटी या एस0पी0 देहात को जायेगी, जब फोन होगा, तब कप्तान के यहाँ जायेगी। तो चार स्टेज पर कप्तान से बात करनी होती है हर विधायक को, और जनप्रतिनिधि को, क्या आप इस सारी बाध्यता को समाप्त कराने के लिए भी निर्देश जारी करेंगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके, माननीय सम्मानित सदस्यों का, माननीय कौशिक जी हों या माननीय चैम्पियन साहब हों, की बातों का संज्ञान लेते हुए, इसका समाधान कर दिया जायेगा।

जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत भगवानपुर विकास खण्ड के हैण्ड पम्प लगाये जाने पर विचार

*2–श्री चन्द्र शेखर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गाँवों में पेयजल की गम्भीर समस्या है तथा इन गाँवों में नये हैण्ड पम्पों का लगना बहुत आवश्यक है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन ब्लाकों में हैण्ड पम्प लगाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी नहीं। भगवानपुर विकास खण्ड में समस्त स्रोतों से अब तक 1884 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिला योजना के अन्तर्गत ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में 12 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्र शेखर–

मान्यवर, मैंने अपनी विधान सभा ज्वालापुर जो है, ये मैंने पूछा है ज्वालापुर के बारे में। इसमें दे रखा है उत्तर, 1884 यह गलत है, यह पूरे भगवानपुर ब्लाक का उत्तर है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपका जो सवाल है ध्यान से सुनिये। क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत, ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गांवों में ब्लाक भगवानपुर लिखा है, सवाल में यह लिखा है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर–

मान्यवर, हमारे यहाँ दो ब्लाक आते हैं, लेकिन मैंने ज्वालापुर के विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूछा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सवाल आपका ओरिजनल है जिसमें ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या है। (व्यवधान) जो पूछेंगे उसका उत्तर दिया जायेगा।

श्री चन्द्र शेखर–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपका जो मूल सवाल है उत्तर उसका आता है। उत्तर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आता है। इसमें आपका है अन्तर्गत ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या है तथा इन गांवों में नये हैण्डपम्पों का लगाना बहुत आवश्यक है। यह है आपका सवाल।

श्री चन्द्र शेखर–

मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा के बारे में मालूम करना चाहता हूँ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने सवाल ही भगवानपुर के बारे में पूछा है तो मैं कहाँ से जवाब दे दूँ। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको बहुत नियमित और नियंत्रित दोनों होना चाहिए। प्रश्न जो आप जानना चाहते हैं, उसी को पूछिये। प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं तो उत्तर दूसरा कहाँ से आ जायेगा। प्रश्न मेरे हाथ में ही नहीं आपके हाथ में भी है, उसमें पूछा है कि ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गाँवों में पेयजल की गम्भीर समस्या है?

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लिखा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका प्रश्न केवल भगवानपुर पर है।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, इसमें संख्या पूरे ब्लाक की दे दी है, न कि इनके विधान सभा के गाँवों की।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिन्होंने उत्तर दिया उनको तो इनकी विधान सभा का क्षेत्र नहीं मालूम। आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, अभी विभाग नहीं बंटे हैं तो कौन देगा उत्तर। पहली बार तो श्री चन्द्र शेखर जी ने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, उसका भी उत्तर ठीक से न आये, यह तो बड़ी खराब बात है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे इस बात पर आपत्ति है, जो प्रश्न पूछा है यह उसका उत्तर है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप उनका अनुपूरक ले लीजिए, वह अपनी विधान सभा का पूछ रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमें तो पता नहीं है कि उनकी विधान सभा कौन सी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कमाल हो गया सरकार को विधान सभा का पता नहीं है तो और क्या पता होगा। मान्यवर, अनुपूरक के लिए तो तैयार रहना चाहिए। अनुपूरक में माननीय सदस्य ने पूछा है कि ज्वालापुर विधान सभा के अन्तर्गत ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गाँवों में पेयजल की गम्भीर समस्या है। आप गाँव छोड़ दीजिए, जब विधान सभा कोड की है, तो उसका बता दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम आपका आदर करते हैं, इसे जिस ढंग से कह रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। मेरा जीवन सवाल लगाने में और सवाल का उत्तर देने में गुजरा है। जो सवाल पूछा है विभाग उसी का ही तो उत्तर देगा। सवाल तो बिल्कुल प्वाइंटेड होना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

माननीय मंत्री जी, जब आपके पास विभाग नहीं है तो आप उसका उत्तर कैसे देंगी, जो उत्तर आपके पास लिखकर आयेगा, वही तो आप उत्तर देंगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है, लिखित उत्तर उसी का आयेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितने हैण्ड पम्प लगे हैं, अनुपूरक में यह तो बता दें?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 1884 लगे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ज्वालापुर विधान सभा की बात कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधान सभा से मतलब ही नहीं, प्वाइंटेड प्रश्न का, प्वाइंटेड उत्तर है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भगवानपुर ब्लाक दो भागों में है जिसका आधा भाग ज्वालापुर विधान सभा में है और आधा भाग भगवानपुर विधान सभा में है। इन्होंने ज्वालापुर विधान सभा के अन्तर्गत जो ब्लाक आता है, उसके बारे में प्रश्न किया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप सब पढ़ रहे हो, कौशिक जी आप खूब जानकार हो। इसमें साफ लिखा है अन्तर्गत ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गाँवों में पेयजल की गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

आपका जो मूल प्रश्न है उसमें आपने स्पष्ट पूछा है कि ज्वालापुर विधान सभा के अन्तर्गत जो भगवानपुर विकासखण्ड आता है, उस विकासखण्ड में कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि 1884 हैण्डपम्प लगाये गये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह पूरा ब्लाक का दिया है।

श्री चन्द्र शेखर–

मान्यवर, मेरी विधान सभा में कितने लगे हैं?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के उत्तर में यह दिया गया है। (व्यवधान) कृपया जरा शान्त रहें। उसमें 12 हैण्डपम्प दिये गये हैं। आप इस प्रश्न के दूसरे उत्तर में देख लें, वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने जो 1884 हैण्डपम्प की बात कही है, उसमें से कितने हैण्डपम्प खराब है कितने कार्य कर रहे हैं और जो खराब हैण्डपम्प पड़े हैं,उसको ठीक करने की क्या व्यवस्था है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप ठीक सवाल पूछ रहे हैं। इनमें से 1146 हैण्डपम्प खराब थे और 364 हैण्डपम्प ठीक हो गये हैं। मैं स्वयं इस प्रश्न के उत्तर से असन्तुष्ट हूँ और मैंने इस पर नाराजगी भी व्यक्त कर दी है। अब इन्होंने दूसरा जवाब बनाकर भेजा है कि 1264 हैण्डपम्प ठीक कर दिये हैं। मैं इससे भी सन्तुष्ट नहीं हूँ। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हैं हैण्डपम्प खराब होने के लिए, मैं स्वयं भी सन्तुष्ट नहीं हूँ और इन्होंने प्रश्न तभी ही पूछा होगा। मैंने प्रश्न के उत्तर को देखने में भी यही कहा था, तभी इन्होंने प्रश्न पूछा होगा। (व्यवधान) आप लोग जरा शान्त हो जाय। जब वह हैण्डपम्प ठीक नहीं होंगे तभी यह सवाल पूछा गया होगा। मैं शासन की ओर से निर्देशित करती हूँ कि वहां भारी संख्या में हैण्डपम्प खराब हैं। उन्हें एक हफ्ते के अन्दर ठीक करके सदन में अपनी रिपोर्ट दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर आपकी नाराजगी से एक दिन में हजार हैण्डपम्प ठीक हो सकते हैं तो आप और नाराज हो जायें। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जा रहे हैं क्या इसका कोई मानक है कि कितनी जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प होना चाहिए ? दूसरा प्रश्न यह है कि दिनांक 01.12.2012 को हरिद्वार जनपद में एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस समय वहाँ के सारे विधायक मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10–10 हैण्डपम्प देने की घोषणा की थी और कहा था कि वह तीन महीने में लग जायेंगे। आज तक वह हैण्डपम्प नहीं लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी चले गये, आज 13–14 महीने हो गये हैं और यह भी कहा था कि हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, तो वह हैण्डपम्प कब तक लग जायेंगे? दूसरा हैण्डपम्प लगने के मानक क्या हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हैं। उनका पूर्णतः पालन किया जायेगा। यदि अब तक नहीं लगाये गये हैं तो आज आपकी बात का संज्ञान लेने के बाद, हम उन्हें देखकर पेयजल विभाग को निर्देशित करेंगे और उनको क्रमशः लगाना प्रारम्भ कर दें और जहाँ तक मानकों की बात है, आवश्यकतानुसार बढ़ाये और घटाये जा सकते हैं।

श्री चन्द्र शेखर–

मान्यवर, उस दिन घोषणा तो बहुत ज्यादा की गयी थी। आज 14 महीने हो गये हैं (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

उसमें स्पष्ट निर्देश आ चुका है। कृपया आप बैठ जायं। (व्यवधान)

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में नवीन बाल गंगा विकास खण्ड के सृजन की कार्यवाही

*1–श्री भीमलाल आर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के सीमान्त जनसंख्या एवं क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़े विकास खण्ड–भिलंगना

का पुनर्गठन कर जनहित तथा विकास हित में नवीन बाल गंगा विकास खण्ड का सृजन किया जाने पर सरकार इस पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा विकास खण्ड भिलंगना क्षेत्र है और वह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र में गंगी, गवाली, मेट मवाड़ी आदि क्षेत्र हैं और कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जो बाल गंगा घाटी से 18 किमी0 दूरी पर हैं। वहां के लोग विकास खण्ड भिलंगना क्षेत्र में आते हैं और उनको काफी समय लगता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को जनहित में और विकास हित को दृष्टिगत रखते हुए भिलंगना विकास खण्ड का पुनर्गठन करना चाहिए और नवीन बाल गंगा विकास खण्ड का सृजन किया जाना चाहिए। ताकि महान जनता को उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न पूछें।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जनहित और विकास हित में नवीन बाल गंगा विकास खण्ड का सृजन होना चाहिए। क्या सरकार करेंगी?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आर्य जी ने जो प्रश्न किया है। उसमें आपने कहा कि विकास खण्ड भिलंगना का पुनर्गठन होना चाहिए तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए योजना आयोग भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है और जो प्रश्न सम्मानित साथी ने सदन में उठाया है निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गम्भीर है, विकास खण्ड पुनर्गठन के लिए योजना आयोग भारत सरकार से अनुशंसा की जायेगी यदि वहाँ से अनुमति होगी तो करेंगे।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे आज ही भारत सरकार से प्रस्ताव करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव के माध्यम से विकास खण्डों का निर्माण असम्भव है, माननीय सदस्य जी ने जो बात कही है तो निश्चित रूप से इससे हम भी चिन्तित हैं, सिर्फ एक विकास खण्ड की बात नहीं है बल्कि हमारे सम्मानित साथी बार–बार सदन में और वैसे भी कहते हैं कि हमारे विकास खण्डों का पुनर्गठन होना चाहिए, निश्चित रूप से केन्द्रीय वित्त पोषण की आवश्यकता पड़ेगी तो योजना आयोग भारत सरकार को अनुमति के लिए भेजा जायेगा, वहाँ से अनुमति होगी तो इसमें देखेंगे।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट हूँ लेकिन सरकार आज ही सदन के माध्यम से प्रस्ताव करे केन्द्र सरकार से।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, मेरा कहना यह है कि नये विकास खण्ड के सृजन के लिए केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए योजना आयोग भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है और आपने जिस विकास खण्ड के पुनर्गठन की बात कही है उसको हम योजना आयोग भारत सरकार को प्रेषित करेंगे, उससे अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से विकास खण्ड का सृजन कर दिया जायेगा।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्ताव तो भेजें। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सदन के माध्यम से घोषणा हो जानी चाहिए कि आप प्रस्ताव भेजें, केन्द्रीय योजना आयोग स्वीकृति दे या न दे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यही बात बार–बार कह रहा हूँ कि विकास खण्डों के सृजन के लिए केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए योजना आयोग भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है, आपने प्रस्ताव रखा है इसको हम भारत सरकार को प्रेषित कर देंगे और योजना आयोग से स्वीकृति मिल जायेगी तो निश्चित रूप से हमें कोई दिक्कत नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री बंशीधर भगत—

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

*2—श्री मयूख सिंह—

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

चम्बा मसूरी फल पट्टी को सितारगंज की भाँति भूमिधरी अधिकार दिलाना

*3—श्री महावीर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र के चम्बा—मसूरी फल पट्टी को भी सितारगंज की भाँति भूमिधर अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, सिंचाई एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)—

जी नहीं।

चम्बा—मसूरी फलपट्टी की अधिकांश भूमि वन श्रेणी की है।

श्री महावीर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या इसे करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी ने 19—5—2012 को नई टिहरी में यह घोषणा की थी, चम्बा—मसूरी फल पट्टी को सरकारी पट्टे धारकों को भूमिधरी अधिकार ऊधमसिंह नगर की तरह देने की घोषणा की क्या वह सत्य साबित हो रही है?

श्री यशपाल आर्य—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—5779 दिनांक 6 सितम्बर, 1967 के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चम्बा—मसूरी फल पट्टी की भूमि आरक्षित वन तथा सिविल सोयम वन श्रेणी की है जिसे राजस्व विभाग के प्रबन्धन में इस शर्त के साथ दिया गया था कि फल पट्टी हेतु जिस आरक्षित वन भूमि को लिया जायेगा वह भूमि वन विभाग की ही सम्पत्ति होगी तथा पट्टे धारकों द्वारा फलों के बाग विकसित न किये जाने की स्थिति में भूमि वन विभाग को स्वतः ही वापस हो जाएगी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि सितारगंज में जो भूमि पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पट्टे पर दी गई।

वह नॉन जेड–ए श्रेणी की भूमि थी, इस भूमि पर राजस्व विभाग का स्वामित्व था। जबकि चम्बा मसूरी फल पट्टी के पट्टेधारकों को दी गयी भूमि आरक्षित वन श्रेणी की है। यह भूमि मात्र राजस्व विभाग के प्रबन्धन में दी गयी है, इसका स्वामित्व राजस्व विभाग के पास नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उसके संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ कि यह भूमि रिजर्व फोरेस्ट में है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के आधार पर यह भूमि, भूमिधरी की जायेगी या नहीं की जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी होगी या नहीं होगी, यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किस चीज का परीक्षण किया जायेगा, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं। कृपया शांत रहें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जो रिजर्व फोरेस्ट वन भूमि है, वह राज्य सरकार के अधीन जरूर है, लेकिन भारत सरकार से इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं? (घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। (घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा कहना है कि प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया जायेगा। भारत सरकार से प्रस्ताव मिलने के उपरान्त इस पर कोई कार्यवाही की जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है या नहीं, यदि घोषणा है तो क्या आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं? जहां तक मेरी जानकारी है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके सम्मुख यह घोषणा की गयी थी। आप घोषणा को पूरा करेंगे या नहीं? (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि यह जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी, उसका संज्ञान लिया जायेगा और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और जो प्रस्ताव आयेगा तो इस पर कार्यवाही की जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह कोई सही जवाब नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब ये पट्टे बाग लगाने के लिए एलॉट किये गये थे तो तब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं था तो उस समय ये पट्टे किस एक्ट में दिये गये थे। ये ग्रांट एक्ट में दिये गये थे या किसी अन्य एक्ट के अन्तर्गत दिये गये थे। चूंकि हमें मूल में वहां पर जाना पड़ेगा, जिस दिन हमने ये पट्टे उन लोगों को बाग लगाने के लिए दिये थे। अब आज इसमें लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं। अब यदि वे अपने बाग के लिए रिप्लांटेशन हेतु किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वे लोन इसलिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास भू–धरी का अधिकार नहीं है और लीज उनके पास 1967 से लेकर आज तक है, जबकि लीज पूरे हुए 33 साल व्यतीत हो चुके हैं। मान्यवर, हम पुरानी दी गयी लीज पर बाद में वन अधिनियम लागू करके उसे वन भूमि नहीं कर सकते हैं। वन भूमि का स्वरूप तो उसी दिन परिवर्तित हो गया जिस दिन उसमें बाग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो चम्बा–मसूरी की फल पट्टी की भूमि, आरक्षित वन क्षेत्र की है, सिविल सोयम वन श्रेणी की है, वह राजस्व विभाग को इस शर्त पर दिया गया कि फल पट्टी में अगर बाग लगाये जाते हैं और फल पट्टी की वहाँ पर शुरूआत होती है तो तभी उस जमीन को उनके अधीन दिया जायेगा, अदरवाईज वहाँ पर कृषि या अन्य कार्य हेतु जमीन का यूज करते हैं तो वह भूमि वन भूमि में मर्ज हो जायेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह तो स्पष्ट हो गया, जब वहाँ पर बाग लग गया, जिन लोगों ने बाग लगा दिये उनकी तो राजस्व भूमि हो गयी है। मान्यवर, 67 में वहाँ पर बाग लगा दिये गये।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 5769–1967 के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चम्बा–मसूरी फल पट्टी की भूमि आरक्षित वन तथा सिविल सोयम वन श्रेणी की है। जिसे राजस्व विभाग को इस शर्त के साथ दिया गया था कि पट्टे हेतु जिस आरक्षित वन को लिया जायेगा, वह भूमि वन विभाग की ही सम्पत्ति होगी तथा पट्टेधारकों द्वारा बाग विकसित न किये जाने की स्थिति में यह भूमि वन विभाग को स्वयं ही वापस हो जायेगी, यह स्पष्ट है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जिन लोगों ने उस समय बाग विकसित नहीं किये, उनकी भूमि तो वापस वन विभाग को चली जायेगी, लेकिन जिन्होंने बाग विकसित किये, उन लोगों की भूमि तो फिर राजस्व की भूमि हो जानी चाहिये। क्योंकि उस दिन तो वह अधिनियम लागू नहीं था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह जमीन वन विभाग की आरक्षित भूमि है और यह फल पट्टी के लिये दी गई है, इसमें बाग लग गये हैं, यह विषय अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमिधरी अधिकार देने की घोषणा की है, अब यह सरकार का दायित्व है कि वह उसे इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत सरकार ने ......।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी द्वारा इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, उनको उनके हक–हकूक देने के लिये अभी भारत सरकार ने भी एक अधिनियम बनाया है, जो कि मन्जूर भी हो गया है, आप इसकी भी जानकारी कर लीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, 2005 में वन अधिकारों का मान्यता बिल पास हुआ है, उसके तहत जो परम्परागत वन निवासी वहां पर निवास कर रहे हैं, उनको उसके अधिकार दिये गये हैं।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, अभी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ है, जब 1967 में वन भूमि दी गई कि आदमी उस पर बाग लगा ले, जिस व्यक्ति ने बाग लगा लिया, उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया, जिन लोगों ने बाग नहीं लगाया या दूसरा प्रयोग शुरू नहीं किया। उसकी भूमि तो आप वापस ले सकते हैं, जिन लोगों ने बाग लगा लिया और बाग लगाना ही उसका मकसद था, बाग लगने के बाद तो उनको अधिकार आपको देने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी, उस पर सरकार का उत्तर आ गया है कि वह उसका संज्ञान भी लेंगे।

राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत एवं कार्यरत तथा रिक्त पदों की स्थिति

*4–डा0 जीत राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है और ये पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी ?

(तारांकित प्रश्न संख्या–4 पर माननीय सदस्य डा0 जीत राम का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री प्रीतम सिंह–

खण्ड विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :–

जनपद	खण्ड विकास अधिकारी			ग्राम पंचायत विकास अधिकारी		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
अल्मोड़ा	11	11	0	178	141	37
बागेश्वर	03	02	01	69	61	08
ऊधमसिंह नगर	07	05	02	27	24	03
चम्पावत	04	04	0	44	35	09
पौड़ी	15	06	09	219	169	50
रूद्रप्रयाग	03	02	01	53	53	0
चमोली	09	02	07	77	61	16
उत्तरकाशी	06	03	03	71	63	08
टिहरी	09	04	05	137	108	29
देहरादून	06	05	01	62	55	07
हरिद्वार	06	05	01	46	40	06
पिथौरागढ़	08	03	05	119	91	28
नैनीताल	08	05	03	73	63	10
योग	95	57	38	1175	964	211

खण्ड विकास अधिकारियों के कुल 38 रिक्त पदों में से 01 पद 13–12–2012 से, 17 पद 24–03–2013 से 13 पद 1–12–2013 से 01 पद 19–08–2013 से एवं 06 पद 31–07–2013 से रिक्त हैं तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कुल 211 रिक्त पद 30 नवम्बर, 2013 से रिक्त हैं।

खण्ड विकास अधिकारियों के सीधी भर्ती के रिक्त 13 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के चयन हेतु आयोजि परीक्षा से सफल अभ्यर्थियों में से 211 अभ्यर्थियों द्वारा योगदान न करने के कारण माह नवम्बर, 2013 से उक्त 211 पद रिक्त हैं, जिसको भरे जाने की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र कर ली जायेगी।

पर्वतीय जनपदों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की स्थिति

*5–श्री ललित फर्स्वाण, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाने से पूर्व इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनाज खाने लायक है ?

यदि हाँ, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आये दिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सड़ा खाद्यान्न वितरण की शिकायतों के क्या कारण हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

विभाग को सड़ा खाद्यान्न वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्न पूछा था कि पर्वतीय जनपदों के लोगों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाने से पूर्व इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनाज खाने लायक है, तो इस पर उत्तर आया जी हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि खाद्यान्न गोदामों में जो सड़ा–गला राशन जा रहा है, क्योंकि वहां पर सप्लाई इंस्पेक्टर ही नहीं हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि क्या पर्वतीय जनपदों के लोगों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाने से पूर्व इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनाज खाने लायक है, मैंने उत्तर दिया था जी हां, खाद्यान्न लिफट करने से पहले उसका परीक्षण किया जाता है कि वह खाने योग्य है या नहीं।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, जनपद बागेश्वर में 19 सप्लाई इंस्पेक्टर होने चाहिये थे, लेकिन अभी वहां पर एक ही कार्यरत है, जो विकलांग है और छुट्टी पर है। तीन सप्लाई इंस्पेक्टर अभी वहाँ पर गये हैं, क्योंकि खाद्यान्न के गोदाम आपदाग्रस्त इलाकों में हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मेरा प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह भी लाना है कि यह कार्य सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से कराया जा रहा है या नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने पूछा था कि क्या खाद्यान्न उठाने से पहले उसका परीक्षण किया जाता है। मैंने कहा कि जी हाँ, परीक्षण करा लिया जाता है। खाद्यान्न इंस्पेक्टर नहीं हैं, यह दूसरा विषय है, इसके लिये आप अलग से प्रश्न लगा सकते हैं, यदि कोई ऐसा विशेष प्रकरण आपके संज्ञान में है, जिसमें खाद्यान्न सड़ी–गली स्थिति में है तो उसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण जी ने प्रश्न पूछा था कि "क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों के लोगों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाने से पूर्व इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनाज खाने लायक है?

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल :–

..........मान्यवर, इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनाज खाने लायक है या नहीं, आपने कहा जी हाँ। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि राशन जब वहां पर पहुँच जाता है गोदाम में, तो क्या गोदाम में पहुँचने के बाद वहाँ पर तिरपाल वगैरह की व्यवस्था रहती है ताकि जो खाद्यान्न है, वो वर्षा से बच सके। यदि वहाँ पर तिरपाल नहीं है तो क्या जो खाद्यान्न भीग जाता है, सड़ जाता है क्या उसकी उपभोक्ता को आपूर्ति फिर रहती है या उसकी एवज में उस वेयर हाउस से गोदाम तक जाने की कोई व्यवस्था है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न हमारे सम्मानित साथियों ने किया है, मैं कहना चाहूँगा कि जब खाद्यान्न उठाया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर गोदाम में रखा जाता है। वहाँ पर गोदाम हैं या तो सरकारी गोदाम हैं या किराये पर लिये गये गोदाम हैं। उन गोदामों में खाद्यान्न को रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि खाद्यान्न के खराब होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन यदि कोई पर्टिकुलर मामला आपके संज्ञान में है जिसमें कोई सड़ा हुआ खाद्यान्न वितरित किया गया हो तो उसका निश्चित रूप से परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा सवाल था कि जब आप वेयर हाउस से गोदाम में साफ–सुथरा अनाज भेजते हैं जैसे डोईवाला और दूसरे क्षेत्रों में गोदाम पूरी अच्छी व्यवस्था में नहीं हैं जब खाद्यान्न ज्यादा वहां पहुँच जाता है तो बजाए अंदर रहने के कुछ खाद्यान्न बाहर की स्थिति में भी रहता है तो क्या फिर उस बाहर रखे हुए खाद्यान्न के लिए तिरपाल की व्यवस्था है, वह सवाल मेरा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूँ कि जो खाद्यान्न खाद्य विभाग, क्योंकि हम एफ0सी0आई0 के गोदाम से खाद्यान्न उठाने का काम करते हैं, जो खाद्यान्न खाद्य विभाग उठाता है, निश्चित रूप से पहले उसका परीक्षण कर लिया जाता है कि खाद्यान्न ठीक है या नहीं उसके बाद जो अंतरिम गोदाम हैं उन गोदामों तक खाद्यान्न ले जाने का काम किया जाता है, वो इसमें बिल्कुल सेफ है। यदि आपका कोई पर्टिकुलर मामला है तो उसे दिखवा लिया जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने पर्टिकुलर बोला है जो डोईवाला जो गोदाम है,जब वहाँ पर आपका राशन ज्यादा मात्रा में चला जाता है, कई बार बैकलाक होता है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको कोई ऐसी शिकायत मिली क्या?

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं डोईवाला के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ पर गोदाम में जब खाद्यान्न ज्यादा पहुँच जाता है तो वह बाहर पड़ा रहता है। वहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रश्न लगा है, प्रश्न में कहा गया है कि जो खाद्यान्न लिफ्ट किया जाता है खाद्य विभाग के माध्यम से, क्या उसका परीक्षण कर लिया जाता है कि वो खाने योग्य है या नहीं, सड़ी–गली अवस्था में तो नहीं है। मैंने कहा कि निश्चित रूप से खाद्यान्न लिफ्ट करने से पहले, खाद्यान्न का उठान करने से पहले उसका परीक्षण कर लिया जाता है कि खाद्यान्न खाने लायक है या नहीं और जब खाने लायक होता है, तभी उसका उठान किया जाता है और उसका वितरण किया जाता है। पर्टिकुलर जो बात माननीय अग्रवाल जी ने कही है निश्चित रूप से इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो बी0पी0एल0 परिवारों को दो रूपये किलो गेहूँ और तीन रूपये किलो चावल की दर से सभी बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है या नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्या को अवगत कराना चाहूँगा कि बी0पी0एल0 परिवारों को जो खाद्यान्न आवंटित किया जाता है, 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, वो दो रूपये, तीन रूपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह सभी बी0पी0एल0 परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है या कोई नम्बरिंग जैसे 18 नम्बर तक जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में है उसको दिया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, बी0पी0एल0 में कोई नम्बरिंग नहीं है, सभी को दिया जा रहा है। जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में हैं, उन सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल– मान्यवर, जिला पौडी गढ़वाल में नम्बरिंग की गयी है कि जिनका 18 नम्बर तक है, उन्हीं को खाद्यान्न दो रूपये किलो गेहूँ और तीन रूपये किलो चावल दिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं चाहूँगा कि यदि सम्मानित सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे लिखित में सूचना देंगी तो मैं इसका परीक्षण करा लूँगा। वैसे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) मैं इसलिए अवगत कराना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0 का जो सर्वे हुआ है और बी0पी0एल0 की श्रेणी में जो लाभार्थी आ गया है, उस लाभार्थी को नम्बरिंग सिस्टम (व्यवधान) ....

मान्यवर, इसमें इन्दिरा आवास के लिए तो नम्बरिंग सिस्टम है। जहाँ तक खाद्यान्न की बात है, खाद्यान्न के मामले में ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि बी0पी0एल0 का जो व्यक्ति है उसको नम्बरिंग के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध करायें। इन्दिरा आवास में यह व्यवस्था है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं इसका परीक्षण करा लूँगा।

श्री मालचन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहूँगा कि गोदाम से अंतिम गाँव की दूरी का कोई मानक है कि कितनी दूरी होनी चाहिए। यदि मानक नहीं हैं तो अन्य गोदाम खोले जायेंगे। जैसे लिवाड़ी, फिताड़ी, आपको जानकारी भी है, अब बरसात होने वाली है राशन नहीं पहुँचेगा। अभी माननीय सदस्य अग्रवाल जी ने कहा वास्तव में तिरपाल की स्थिति यह है कि कई जगह तिरपाल नहीं है, गोदाम में अनाज सड़ रहा है। क्या गोदाम बनाये जायेंगे या कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न सम्मानित सदस्य जी ने कहा। हर जगह खाद्य विभाग के गोदाम नहीं हैं। कोशिश यह की गई है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो दुर्गम क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में खाद्य गोदामों का या तो विभाग द्वारा स्वयं निर्माण कराया गया है, जहाँ पर निर्माण नहीं कराया गया है तो वहाँ पर गोदाम की व्यवस्था की गई है, उन गोदामों में राशन उपलब्ध करा दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पर भी खाद्यान्न तिरपाल के नीचे नहीं रखा जाता है।

बागेश्वर जनपद के मल्ला दानपुर व कमस्यार क्षेत्र में केरोसिन की आपूर्ति के सम्बन्ध में

*6–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं है में कैरोसिन की काफी कमी हो रही है?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र मल्ला दानपुर व कमस्यार क्षेत्र में कैरोसिन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है ?

यदि हाँ, तो सरकार कैरोसिन की आपूर्ति सुचारू करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मल्ला दानपुर पंचायत क्षेत्र में केरोसिन की काफी कमी है, वहाँ पर प्रति कार्ड धारक को मानक के अनुसार केरोसिन उपलब्ध हुआ या नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी का तेल है, जिनके पास एल0पी0जी0 कनेक्शन नहीं हैं, उनको 07 लीटर प्रति कार्ड मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि नैनीडाडा और रिखड़ीखाल ब्लाक में क्या सरकार द्वारा नियमित रूप से मिट्टी तेल दिया जा रहा है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, नियमित रूप से मिट्टी का तेल दिया जा रहा है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, नैनीडाडा प्रखण्ड में विगत 6 माह में एक बार मिट्टी तेल दिया गया है, वहाँ की जो सप्लाई है वह रामनगर से की जाती है, जबकि उनका जिला पौड़ी गढ़वाल है। क्या उनकी आपूर्ति पौड़ी गढ़वाल से सुनिश्चित करायेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पौड़ी बहुत बड़ा जनपद है, नैनीडाडा रामनगर से ज्यादा नजदीक पड़ता है। इसका मैं जरूर परीक्षण करा लूँगा कि नैनीडाडा के लोगों को 06 माह से मिट्टी का तेल क्यों नहीं मिला।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक बात रख दूँ कि जिलाधिकारी जी ने स्वयं आपके विभाग को चिट्ठी लिखी है कि वहाँ के इन्सपेक्टर मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए इसको पौड़ी करा दिया जावे। जब जनता चाह रही है तो इसको पौड़ी गढ़वाल से क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, नैनीडाडा की बात करेंगे तो पौड़ी जनपद से यह एक किनारे में पड़ता है, यह रामनगर से नजदीक पड़ता है इसलिए वहाँ से व्यवस्था रखी गई है। जहाँ तक आपने जिलाधिकारी की बात की, यह बात अभी संज्ञान में आई है। इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, जो एल0पी0जी0 उपभोक्ता नहीं हैं उनको आप 07 लीटर मिट्टी तेल दे रहे हैं। आज की तरीख में जो राशन बेचने वाले विक्रेता हैं, मेरी विधान सभा क्षेत्र में जब मैं क्षेत्र भ्रमण पर जाता हूँ तो लोग शिकायत करते हैं कि हमें मिट्टी तेल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक दो जगह मेरी दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिट्टी तेल पीछे से नहीं आ रहा है।

मान्यवर, जो मिट्टी तेल मिलता भी है वह सीधे दो या चार आदमी को ही मिलता है (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है और जिनके पास एल0पी0जी नहीं है, उनको भी नहीं मिल रहा है।(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी जो प्रश्न माननीय सदस्य जी ने किया है, निश्चित रूप से जिनके पास एल0पी0जी0 के कनेक्शन नहीं हैं। उनमें दो व्यवस्था हैं।(व्यवधान) जरा प्रश्न का जवाब सुनेंगे तो ठीक रहेगा। हम पर्वतीय क्षेत्र में प्रति कार्ड सात लीटर देते हैं और मैदानी क्षेत्र में प्रति कार्ड पांच लीटर देते हैं और जो बात आपने कही है, उसका परीक्षण मैं करा लूँगा। वैसे ऐसा नहीं है। लेकिन आवंटित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न मिले, यह बात सही नहीं है। मैं इसका परीक्षण करा लूँगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने एक बात और कही है। दो चार उपभोक्ताओं को देने की बात कही जा रही है और वह कहते हैं कि पीछे से ही मिट्टी तेल नहीं आ रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो मानक हैं वह सुनिश्चित हैं और मानकों के अनुरूप मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जनपद ऊधमसिंह नगर में मिट्टी तेल उपलब्ध की जा रही है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, निश्चित रूप से की जा रही है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसकी जानकारी कर ली जाय। क्योंकि वहाँ पर लम्बे समय से मिट्टी तेल नहीं दिया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह कहना कि आपूर्ति नहीं की जा रही है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे पास इसके कागज भी हैं। लेकिन आपने जो कहा है, उसको दिखवा लूँगा।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, यह सारा तेल पैट्रोल पम्पों में जा रहा है और उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, सत्य तो यह है कि डीजल और मिट्टी तेल की कीमत में बहुत अन्तर है और सारा मिट्टी तेल डीजल और पैट्रोल पम्पों में मिलता है। शायद माननीय मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में अधिकांश जो पैट्रोल पम्प वाले हैं, उन्हीं के पास यह ऐजेंसी भी है और जो माननीय सदस्य गुप्ता जी कह रहे हैं उसमें भी यही बात है कि पैट्रोल पम्प और मिट्टी तेल की ऐजेंसी एक ही के पास है। क्या माननीय मंत्री जी, इस सदन में बतायेंगे कि निकट भविष्य में पैट्रोल और मिट्टी तेल की ऐजेंसी को अलग–अलग करेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जहाँ तक एजेंसी का प्रश्न है राज्य सरकार इसे आवंटित नहीं करती है और केन्द्र सरकार इसको आवंटित करती है यह राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होगी तो सरकार निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेगी। (व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो इनके पक्ष की बात होती है, उसमें तो थमा देते हैं केन्द्र सरकार के हाथों में, जो इनके कहने नहीं होती है तो कह देते हैं कि यह हमारे बस की नहीं है। आप काम तो करें। फिर भारत सरकार तय करेगी वह देखा जायेगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

नोट– तारांकित प्रश्न संख्या–08 के उपरान्त प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो एजेंसी होती है उसको राज्य सरकार एलॉट नहीं करती है। उसमें विज्ञप्ति होती है उसके बाद उसमें एलॉटमेंट होता है और केन्द्र सरकार से उसमें विज्ञप्ति होती है उसके बाद उसमें एलॉटमेंट होता है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर कहीं पर अनियमितता होती है तो उसका संज्ञान लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*7–श्री भीमलाल आर्य–

अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में नये विकास खण्ड सृजित करने हेतु मानक एवं अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन के खर्च के सम्बन्ध में

1–श्री नवप्रभात–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये विकास खण्ड सृजित करने के क्या मानक हैं ?

नये विकास खण्ड के सृजन के लिये योजना आयोग भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है ?

यदि हाँ, तो योजना आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं तथा विकास खण्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता है ?

क्या योजना आयोग भारत सरकार विकास खण्ड को कोई सीधी सहायता देता है ?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तराखण्ड राज्य में फिलहाल कोई मानक निर्धारित नहीं हैं।

केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए योजना आयोग भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है।

योजना आयोग भारत सरकार के आदेश संख्या–13016/27/96–आर0डी0 दिनांक 25–7–1997 के अनुसार नये विकास खण्ड सृजन के वित्त पोषण हेतु असमर्थता व्यक्त की गयी है। विकास खण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जी नहीं।

सिंचाई विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों एवं कर्मचारियों का जिलेवार विवरण के सम्बन्ध में

2—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या सरकार उक्त का जिलेवार पूर्ण विवरण देगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्य की आवश्यकतानुसार ठेकेदारों / श्रमिकों मुखिया के माध्यम से श्रमिकों को कार्य की आवश्यकतानुसार अल्पावधि तक रखा जाता है।

जनपदवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–1) †

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

3—श्री गणेश जोशी—

विभिन्न विभागों से सम्बन्धित एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

वर्ष 2012—13 व 2013—14 की जिला योजना के बागेश्वर जनपद का स्वीकृत परिव्यय एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

4—श्री चन्दनराम दास—

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2012—13 व 2013—14 की जिला योजना में बागेश्वर जनपद का परिव्यय कितना था तथा स्वीकृत परिव्यय के अनुपात में अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त हुई है तथा अवमुक्त धनराशि में से विकास खण्डवार अवमुक्त धनराशि का विवरण क्या हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड गरुड़ में धनराशि आवंटन न करने का क्या कारण है ?

---

† देखिये संलग्नक नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 125—129

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद बागेश्वर को जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में अनुमोदित परिव्यय 4473.00 लाख के सापेक्ष रु0 2532.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई तथा वर्ष 2013–14 में रु0 4473.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी, 2014 तक रु0 2773.76 लाख धनराशि अवमुक्त की गई।

जनपद बागेश्वर की वर्ष 2013–13 एवं 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्डवार अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है।

धनराशि लाख रु0 में

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	अनुमोदित परिव्यय		अवमुक्त धनराशि	
		2012–13	2013–14	2012–13	2013–14
1	2	3	4	5	6
1.	बागेश्वर	2719.50	2775.85	993.66	1387.18
2	गरूड़	875.06	821.24	704.93	611.98
3.	कपकोट	878.44	875.91	834.22	774.60
	योग	4473.00	4473.00	2532.81	2773.76

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के चौड़ास्थल एवं कांडा में ब्लाकों के सृजन की कार्यवाही

5–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं0 615/2012 द्वारा जनपद बागेश्वर के चौड़ास्थल एवं कांडा में ब्लॉकों के सृजन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की है ?

यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों में प्रगति हुई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में में शासन के पत्र संख्या 313, दिनांक 4 फरवरी, 2013 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं नियुक्ति

1–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री बताने का कष्ट करें कि प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कुल कितने प्रखण्ड कार्यालय हैं तथा अधिशासी अभियन्ता के पर पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या कितनी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रभारी अधिशासी अभियंता के पद पर कोई नियुक्ति हुई है ?

यदि हाँ, तो क्या वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में कुल 20 प्रखण्ड कार्यालय स्थापित हैं। प्रत्येक प्रखण्ड में एक अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए स्वीकृत एक पद पर भी अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 21 अधिशासी अभियंता कार्यरत हैं।

जी हाँ। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–685/XII–2/2012/93(26)/2004, दिनांक 02–11–2012 के द्वारा प्रखण्ड डीडीहाट में वरिष्ठतम सहायक अभियंता को अपने कार्यों के साथ–साथ प्रभार के रूप में अधिशासी अभियंता के दायित्वों के निर्वहन हेतु अग्रिम आदेशों/नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिकृत किया गया है।

अधिशासी अभियंता का प्रभार प्रखण्ड के वरिष्ठतम सहायक अभियंता को दिया गया है। अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट में तैनात अधिशासी अभियंता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेने तथा उन्हें परिमण्डल कार्यालय देहरादून में सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप अधिशासी अभियंता का पद रिक्त होने के कारण कार्यहित में प्रखण्ड के वरिष्ठतम सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता का प्रभार सौंपा गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून की तसहील विकासनगर विकास खण्ड में दैनिक आपदा में क्षतिग्रस्त उडियाबाग नाले पर बनी बेलावाला नहर व पैदल मार्ग का पुनर्निर्माण

2–श्री नवप्रभात–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की तसहील विकासनगर, विकास खण्ड में उदियाबाग नाले पर बनी बेलावाला की नहर तथा पैदल

मार्ग दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस नहर तथा मार्ग को पुनः बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल आर्य–

प्रश्नगत नहर के सम्बधित योजना को जिला योजना 2013–14 में अनुमोदित किया जा चुका है तथा मार्ग निर्माण हेतु भी आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद बागेश्वर में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

3–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर में कुल 20 सहायक खाद्य निरीक्षकों में से वर्तमान में 4 सहायक खाद्य निरीक्षक ही कार्यरत है जबकि 1 सहायक खाद्य निरीक्षक 6 माह से मेडिकल पर है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायक खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागान्तर्गत, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 62 पूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है। जिनमें से 33 पूर्ति निरीक्षकों को विभिन्न जनपदों में नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गई है। जनपद बागेश्वर में 06 पूर्ति निरीक्षकों को नियुक्त/तैनात किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ के जाजर देवल (उर्ग) में ट्यूब बैल लगाये जाने के सम्बन्ध में

4–श्री मयूख सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के जाजर देवल (उर्ग) नामक स्थान पर ट्यूब बैल लगाने का कार्य किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या इस योजना का सिंचाई के अतिरिक्त क्षेत्रवासियों को पेयजल का भी लाभ मिल जायेगा ?

क्या मंत्री जी यही भी बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में इसके अतिरिक्त भी ट्यूब वैल लगाने की योजना विभाग के पास है ?

यदि हाँ, तो कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत 05 सं0 मिनी नलकूपों की योजना गठित कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के थराली वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त ग्रामों की सुरक्षा के सम्बन्ध में

5–डा0 जीत राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद चमोली के थराली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 16–17 जून, 2013 को आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त गाँवों उनीकाड, थराली, नारायणबगड़ नन्दप्रयाग, घाट एवं धिघराणा आदि ग्रामों की सरकार द्वारा सुरक्षा की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत। दिनांक 16–17 जून, 2013 को आयी बाढ़ के उपरान्त विभागीय स्तर पर बाढ़ सुरक्षा की निम्नलिखित 03 सं0 योजनायें तैयार कर ली गयी है :–

1. थराली नासिर बाजार बाढ़ सुरक्षा कार्य ₹ 127.17 लाख।

2. नारायणबगड़, जीतसिंह मार्केट बाढ़ सुरक्षा कार्य ₹ 147.89 लाख।

3. लाखी घिंघराणा बाढ़ सुरक्षा कार्य ₹ 145.64 लाख।

उक्तापरोक्त के अतिक्ति निम्न गाँवों की सुरक्षा हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा की निम्ननिलित योजनाओं का गठन कर जिलाधिकारी, चमोली को प्रेषित किया गया है :–

1. नन्दप्रयाग नेहरू पार्क के नीचे बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 55.75 लाख।

2. झूलाबगड़ बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 18.98 लाख।

3. घाट बाजार बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 44.75 लाख।

ऊनीकाड (ऊनीबगड) की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नेटवर्क में असंयोजित बस्तियों को मोटरमार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

6–डा0 जीतराम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में 59 ऐसी बस्तियां है जो कोर नेटवर्क में त्रुटिवश संयोजित दर्शायी गयी है जबकि वास्तविक रूप में ये बस्तियां असंयोजित है ?

यदि हाँ, तो ऐसी बस्तियों को संयोजित किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्याहै तथा कब तक इन 59 बस्तियों को मोटर मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

पी0एम0जी0एस0वाई की गाईड लाईन के अनुसार इस प्रकृति के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा असहमति व्यक्त की गई है।

इन 59 बस्तियों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार 09 बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित किया जा चुका है। 09 अतिरिक्त बसावटों को संयोजित करने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत हो चुके हैं। 38 बसावटों के संयोजन हेतु आगणन गठित कर लिये गये हैं तथा शेष 03 बसावटों के संयोजन हेतु आगणन गठित किये जा रहे हैं।

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली में दैवीय आपदा से हुए भूमि कटान को रोकने हेतु कार्यवाही

7–डा0 जीतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत माह जून, 2013 में आयी आपदा से ग्राम रतगाँव के दंघाण गाड़ गदेरे, पैर गदेरे व गुया गदेरे से हुई भूमि कटान को रोकने हेतु सरकार चैक डैम का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

भू–वैज्ञानिकों से परामर्श/आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के दुग को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव

8–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद के दुग को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो दुग तहसील का शासनादेश कब तक जारी हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

शासनादेश निर्गत हो चुका है।

दुग–नाकुरी तहसील को शासन की अधिसूचना संख्या 38/18(1)/2013–02(2)/2011 दिनांक 11–09–2013 के द्वारा सृजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में दैवीय आपदा से प्रभावित 42 गाँवों के पुनर्वास किये जाने के सम्बन्ध में

9–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में दैवीय आपदा से प्रभावित 42 गाँवों के पुनर्वास हेतु सर्वे किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के ग्राम प्रतीत नगर में मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

10—श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल—

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के ग्राम प्रतीतनगर में सन् 2003 में मिनी खेल स्टेडियम की घोषणा हुई थी ?

यदि हाँ, तो स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया और भविष्य में कब तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ताकि क्षेत्र के खिलाड़ियों को इसका समुचित लाभ मिल सके ?

खेल मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)—

जी हाँ।

भूमि विवाद निस्तारण के उपरान्त उक्त मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जायेगा।

टिहरी बाँध के ऊपर यातायात की सुविधा के सम्बन्ध में

11—श्री भीमलाल आर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध के ऊपर सरकार आम जनता को यातायात की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

बाँध की सुरक्षा तथा तकनीकी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए बाँध के ऊपर से आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों में केरोसिन की आपूर्ति के सम्बन्ध में

12—श्री ललित फर्स्वाण—

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं है कैरोसिन की काफी कमी हो रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र मल्ला दानपुर व कम्सयार क्षेत्र में कैरोसिन की आपूर्ति बराबर नहीं है ?

यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री भीम लाल आर्य–

अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

14–श्री भीम लाल आर्य–

द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न–18 में स्थान्तरित।

प्रदेश में संयुक्त परिवारों से अलग हो रहे परिवारों को नियमानुसार राशन कार्डों का वितरण

15–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत है कि प्रदेश में संयुक्त परिवारों से अलग हो रहे परिवारों को राशनकार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रदेश में संयुक्त परिवारों का विघटन होने पर उन्हें, नियमानुसार नये राशनकार्ड जारी किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय जनपदों में सरकारी सस्ते गल्ले के लाइसेंस के मानकों में शिथिलता पर विचार

16–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्वतीय जनपदों में भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर सरकारी सस्ते गल्ले के लाइसेंस के मानकों में शिथिलता प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दरों की दुकानों के आवंटन तथा चयन समितियों के गठन के सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश संख्या–2000(1)XIX–1/162/2004, दिनांक 18–12–2013 जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में कैरोसीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में कराने के सम्बन्ध में

17–श्री महावीर सिंह–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कैरोसीन तेल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कैरोसीन तेल की निर्धारित मात्रा में निश्चित समय पर आपूर्ति कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–310 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस अत्यधिक होने एवं अन्य चार्ज भी बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। जो माननीय मदन कौशिक जी तथा दूसरे साथियों ने दी है। दूसरी सूचना चीन तिब्बत देश की सीमा से लगे सीमान्त मंगी मैगावली गांव में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। जो हमारे माननीय भीमलाल आर्य जी ने लगायी है। इसमें से हॉस्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की सूचना है, उसको नियम–58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन लिया जायेगा।

*श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैंने यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है जो आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री यतीश्वरानन्द, श्री माल चन्द, श्री चन्दन राम दास, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री सरवत करीम अंसारी तथा श्री हरबंस कपूर की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री यतीश्वरानन्द, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री हरबंस कपूर की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ और शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुई।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के सराईखेत में वर्षों से पशुचिकित्सक के न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरी विधान सभा सल्ट के सराईखेत क्षेत्र की जनता पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर जीवन–यापन करती हैं। लम्बे समय से यहां पशु चिकित्सक की मांग क्षेत्रीय जनता करती आ रही है, क्योंकि जब भी पशुओं की कोई बीमारी आती है। चिकित्सक के ना होने के कारण जानवरों की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण कुछ परिवारों को भारी आर्थिक हानि होती है और उनके सामने जीवन–यापन करने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पिछले कुछ समय में पशुओं की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने की घटनाएं काफी बढ़ गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष है और वो कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, शीघ्र पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत हिंबल नदी पर 2011–12 में स्वीकृत मोटर पुल का निर्माण अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

महोदय, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मोहनचट्टी के समीप हिंबल नदी पर वर्ष 2011–12 में मोटर पुल की स्वीकृति की गई थी, क्योंकि लम्बे समय से इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र के लोगों की मांग थी। क्योंकि कई गांव नदी के उस पार बसे हैं और नदी के इस पार रा0इ0कालेज, मोहनचट्टी, अस्पताल, डाकखाना आदि सुविधायें हैं। पुल न होने के कारण उस पार के निवासियों को इस पार आने में बहुत कठिनाई होती है। खासकर वर्षा ऋतु में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनकी पढ़ाई–लिखाई में बड़ा व्यवधान होता है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मोहनचट्टी, बैरागढ़ मोटर पुल के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूँ।

प्रदेश में कई वर्षों से आन्दोलनरत बी0पी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा धारकों के रोजगार की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, प्रदेश में विगत कई वर्षों से बी0पी0ई0एड0 धारक अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। लेकिन आज सरकार द्वारा उनको कोई भी रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है। सरकार से कई बार अनुरोध करने के बावजूद प्रशिक्षित बेरोजगारों के सामने रोजी–रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

जिस कारण हजारों नौजवान प्रशिक्षित होने के बावजूद भी पलायन होने को मजबूर हैं। मैं सदन से इन प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांगों पर गम्भीरता से विचार करने एवं उन्हें यथोचित रोजगार मुहैया कराने हेतु सदन का ध्यानाकर्षण करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत किसानों को वर्षा के कारण फसल के सड़ने से फल एवं शाक सब्जी के नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी एवं सरकार द्वारा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मेरी विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत अधिकतर क्षेत्र फल एवं शाक सब्जी उत्पादित क्षेत्र है, पिछले वर्ष किसानों को फलों एवं सब्जियों में काफी नुकसान हुआ था। जिसमें किसानों के हुए नुकसान को सरकार और बीमा कम्पनी द्वारा दिया गया था, मगर इस बार किसानों को उससे भी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण फल, सब्जी, पेड़ एवं खेतों में ही सड़ चुके थे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी है।

अतः किसानों को आलू एवं सब्जियों तथा फलों का बीमा शीघ्र बीमा कम्पनी एवं सरकार द्वारा दिया जाये ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में जंगली हाथियों के आतंक के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँव टाण्डा भागमल, भोगपुर, तिलकपुरी, बाडीटीप, आदि गाँव जंगली हाथियों से बुरी तरह प्रभावित है। गरीब किसानों की गन्ने की हजारों बीघा फसल हाथियों के द्वारा रोंध कर तहस नहस कर दी गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर हाथियों को रोकने के लिए 5 किलोमीटर तार बाढ़ लगाये जाने के चर्चा की मांग करता हूँ। कृपा चर्चा कराने का कष्ट करें।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा द्वालीसेरा की पेयजल योजना दो वर्षो से बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा द्वालीसेरा जो एस0सी0पी0 के अन्तर्गत आता है ग्राम सभा की पेयजल योजना दो वर्ष से बंद पड़ी है पाइप लाइन जगह–जगह टूटी हुयी है गांव के आस–पास पानी का कोई स्रोत न होने के कारण गांव के लोग पीने का पानी 01 कि0मी0 दूर नदी से लेकर पी रहे हैं। गांव के लोग पेयजल को लेकर धरना–प्रदर्शन करते आये हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण जनता आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी, द्वारा श्री हरबंस कपूर जी का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के न्याय पंचायत कांडाखाल विकास खण्ड द्वारीखाल में पेयजल संकट के समाधान के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के न्याय पंचायत कांडाखाल विकास खण्ड द्वारीखाल में पेयजल संकट के समाधान के सम्बन्ध में" श्री हर्षपति नैथानी, निवासी ग्राम महरगांव, पो0– कांडाखाल, जनपद–पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करती हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला कांडी, दुगड्डा मोटर मार्ग को हाट मिक्स कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला कांडी, दुगड्डा मोटर मार्ग को हाट मिक्स कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री कपिल रतूड़ी, निवासी ग्राम–सीला, पो0–भृगुखाल, जनपद–पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करती हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवीखेत, स्यालना, चमस्यूंल गहली मोटर मार्ग के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवीखेत, स्यालना, चमस्यूंल गहली मोटर मार्ग के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री भाष्कर डबराल, निवासी ग्राम कूंलणी, पो0–डबोलीखाल, जनपद–पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करती हूँ।

जनपद बागेश्वर के इण्टर कालेज सिरकोट के प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के इण्टर कालेज सिरकोट के प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री इन्द सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम हवीलकुलबान, पो0 सिरकोट, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा जखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल जखेड़ा का उच्चीकरण एवं प्रान्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा जखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल जखेड़ा का उच्चीकरण एवं प्रान्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री ईश्वर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम जखेड़ा, पो0– जखेड़ा, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त क्वैराली का इण्टर में उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त क्वैराली का इण्टर में उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री ईश्वरी दत्त चौबे, निवासी ग्राम छाती, पो0–मनकोट, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

कुंवर प्रणव सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–65 में दी गयी सूचना का संज्ञान लिये जाने का अनुरोध

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मद संख्या:–11 में नियम–65 के अन्तर्गत मेरा प्रश्न है। मैंने नियम–65 के अन्तर्गत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय क्या है?

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय यह था कि दिनांक 20 जनवरी, 2014 को मेरे द्वारा अल्पसूचित प्रश्न के आधार पर वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आप से आग्रह किया गया था, तदोपरान्त आपके द्वारा तीन सप्ताह का जांच रिपोर्ट हेतु समय दिया गया था।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, परीक्षण की एक निश्चित समयावधि इस गरिमामयी सदन में आ जाती तो, सभी को पता लग जाता।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण कराकर, समयावधि बता देंगे।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, कोई निश्चित समयावधि।

श्री अध्यक्ष–

जल्दी करा देंगे।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 12 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>फरवरी, 2014</u>

12 बुधवार

1– बजट पर सामान्य चर्चा।

2– विधायी कार्य

1– भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)

13 गुरूवार

अनुदान संख्या	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)
अनुदान संख्या	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)
	18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

14	शुक्रवार	अवकाश (रविदास जयंती)
15	शनिवार	अवकाश
16	रविवार	अवकाश
17	सोमवार	

अनुदान संख्या	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)
अनुदान संख्या	19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

18 मंगलवार

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।(15 मिनट)

24 परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (30 मिनट)

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (30 मिनट)

19 बुधवार

अनुदान संख्या 01 विधान सभा की अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

02 राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। –तदैव–

03	मंत्रिपरिषद् की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	—
09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	—
14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	—
21	उर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	
22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	
23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	
27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	

20 गुरूवार

1–विधायी कार्य।

1– उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।

2– असरकारी कार्य (आधा दिन)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 1–श्री आदेश चौहान 2–श्री बंशीधर भगत 3–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना एवं श्री दान सिंह भण्डारी 4–श्री यतीश्वरानन्द 5–श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री चन्द्रशेखर तथा श्री आदेश चौहान 6–श्री पूरन सिंह फर्त्याल 7–श्री मालचन्द 8–श्री अजय भट्ट, श्री गणेश जोशी एवं श्री राजेश शुक्ला 9–श्री महावीर सिंह रांगड़ 10–श्री चन्दन राम दास तथा 11–श्री बिशन सिंह चुफाल जी की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री आदेश चौहान 2–श्री बंशीधर भगत 3–श्री यतीश्वरानन्द 4–श्री अजय भट्ट, श्री गणेश जोशी, श्री राजेश शुक्ला एवं 5–श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, नियम–58 के अर्न्तगत सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अंदर और खास कर हरिद्वार जनपद के अंदर आज अवैध खनन के नाम पर, अवैध खनन रोकने के नाम पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज स्थिति यह हो गयी है कि किसान अगर अपने घर के काम के लिए या पशुओं के लिए या अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए थोड़ी मिट्टी खोद कर अपने घर लेकर आता है तो उसे भी पुलिस बंद कर देती है। जबकि यह कृत्य अमानवीय है। एक घटना 07 फरवरी, 2014 की है एक काश्तकार श्री वेदराम सन ऑफ श्री कालू, निवासी– फूलगढ़ जो अपने खेत से मिट्टी खोदकर केवल इसलिए ला रहा था कि उसके पशुओं के नीचे गारा हो गया था और वो ट्रैक्टर के पीछे बुग्गी बांध कर जब खेत से चला तो खेत से बाहर निकलते ही पुलिस

ने पकड़ लिया, उससे पैसों की मांग की गयी। उसने 100, 200 रूपये जो पुलिस ने मांगे, नहीं दिये, क्योंकि वास्तव में जो किसान है, उसके पास नम्बर–2 का कोई पैसा नहीं आता है, इसलिए रिश्वत देते हुए उसे बड़ा कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसका खून खींचा जा रहा हो, उसका खून पिया जा रहा हो। वो किसान जैसे ही खेत से सड़क पर आया तो उसकी ट्राली को, उसकी बुग्गी को, उसके ट्रैक्टर को पकड़कर थाने में ले जाया गया। गांव वाले भी गये, गांववालों ने बहुत निवेदन किया, बहुत याचना की, उसने भी हाथ जोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बंद कर दिया गया और बंद भी किया तो मिट्टी के लिए था, कि तुम बिना परमीशन के मिट्टी उठाकर ला रहे हो, लेकिन बंद कर दिया गया ओवर लोडिंग में। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके अंदर इतनी मिट्टी थी जो उसे ओवर लोड में बंद कर दिया जबकि उसके पास जो ट्राली भी नहीं थी, मुश्किल से लकड़ी वाली बुग्गी जिनके अंदर लकड़ी के फट्टे लगे हो, 10–12 कुंतल मिट्टी हद से हद उसके अंदर होगी, लेकिन किसान का उत्पीड़न करने के नाते आज भी वो ट्राली वहां थाने के अंदर खड़ी हुई है, 5–6 दिन हो गये हैं वो किसान अपने खेत से पशुओं के लिए चारा भी नहीं ला पा रहा है। यह केवल एक घटना नहीं हैं, इस घटना का तो मैंने केवल उल्लेख किया है, लेकिन पूरे जनपद में आज यह स्थिति हो गयी है कि किसी किसान को अपने घर के अंदर कहीं भराव करना हो छोटा–मोटा, अपने घर में, खेत में कहीं मिट्टी इधर से उधर करनी हो, उसके लिए भी उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, 07.02.2014 को श्री वेदराम कल्लरा निवासी– फूलगढ़ ट्रैक्टर के पीछे नियमानुसार निर्धारित ट्राली के स्थान पर लकड़ी की बनी भैंसे वाली बुग्गी का प्रयोग कर रहा था जो कि नियमानुसार सही न पाये जाने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग करने पर ट्रैक्टर चालक के पास ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेन्श प्रपत्र नहीं पाये गये, जिस कारण मोटर वाहन एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत उक्त ट्रैक्टर को सीज कर चालानी रिपोर्ट पेश की गयी।

श्री आदेश चौहान–

माननीय मंत्री जी, जब किसान अपने खेत के अंदर जाता है, कोई भी किसान, पूरे देश में कह लो, प्रदेश में कह लो ऐसा नहीं होता है कि जब किसान अपने खेत में बुग्गी लेकर जा रहा हो तो वो डी0एल0 और आर0सी0 लेकर जा रहा हो, यह संभव ही नहीं है। दूसरा घर के बिल्कुल पास, 100 मीटर पर उसका घर है। मैं यह कह रहा हूँ कि जब पुलिस उसे यह कह कर पकड़ कर लायी कि तुम बिना परमीशन के मिट्टी खोद कर ला रहे हो तो फिर चालान अवैध खनन में क्यों नहीं किया गया और जहाँ तक बात

है वो बुग्गी के पीछे बाँध कर नहीं ला रहा था बुग्गी के पीछे, हिच वाली छोटी बुग्गी थी। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में है, बताओ कहाँ नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के सारे विधायक बैठे हैं हरिद्वार के हिच वाली छोटी 7, 19 की ट्रालियाँ हैं और वो ट्रैक्टर के पीछे ही लगती हैं, उसको जब आपने अवैध खनन के नाम पर पकड़ा तो उसका ओवर लोडिंग में चालान क्यों किया गया। मैं कहता हूँ कि यदि ऐसा करना है तो वास्तव में कोई किसान अपने खेत से चारा भी नहीं ला पायेगा, फसल भी नहीं ला पायेगा। आप तो किसानों को मारना चाह रहे हो और यह उत्पीड़न पूरे जनपद के अंदर भयंकर रूप से हो रहा है। केवल 200 रूपये दे दो सिपाही को, 500 रूपये दे दो एस0ओ0 को, वो छोड़ देगा और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वास्तव में किसान हैं, उसके पास कहीं से नम्बर दो की कमाई नहीं आ रही है। अगर इस तरह से लूट मची रहेगी तो किसानों को इस प्रदेश को छोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सरकार तो उनकी रक्षा करने वाली नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पर जाँच करायें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक काश्तकार चार तसला मिट्टी लेकर अपने घर लेकर आ रहा है, आप उसको भी बन्द कर लोगे। मान्यवर, फूलपुर गाँव के पास एक बेगदम का पुल है, पुल के बराबर उसका खेत है, वह खेत से पुल पर आ रहा था, वह 10 फुट भी बाहर नहीं आया था, उसको वहाँ पकड़ कर लाईसेन्स माँगा जा रहा है, उससे डी0एल0 माँगा जा रहा है वहाँ उससे आर0सी0 माँगी जा रही है, वहाँ उससे इन्श्योरेन्श माँगा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है आप अवैध खनन कर रहे हो। उसने अपने फावड़े से मिट्टी खोदी थी, कोई जे0सी0बी0 नहीं लगाई थी। आज भी उसकी ट्रैक्टर ट्राली थाना पथरी में खड़ी है। आप उसका परीक्षण करा लें कि उसमें कितना लोड है। फट्टे लगाकर मुश्किल से उसमें डेढ़ फिट मिट्टी होगी। इस तरह से काश्तकार अपने घर से निकल नहीं पायेगा। वह चारा कैसे लायेगा, उसके घर के अन्दर छोटी–मोटी रिपेयरिंग का कार्य है वह कैसे करेगा, पशुओं के नीचे मिट्टी डालनी है वह कैसे डालेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसका हम पूरी तरह से संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि इस बात पर छूट हो जाये। मोटर वाहन एक्ट के अन्तर्गत कोई बन्द डिब्बे में लाईसेन्स और रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। इसकी छूट की आप माँग भी मत करिये। जहाँ तक आपने कहा कि खनन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। आपकी बात की सत्यता को मानते हुए यह निर्देशित कर रहे हैं कि इसकी जाँच कराई जाये और इसकी रिपोर्ट दी जाये।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष–

श्री आदेश चौहान जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इससे हमारे सारे विकास के कार्य रूके हुए हैं। सड़कों के ऊपर जो मिट्टी डालनी है, वह मिट्टी हमें यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भट्टे वाले अपने भट्टे नहीं चला पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

उसमें जवाब स्पष्ट आ गया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर में सारे विकास के कार्य मिट्टी उपलब्ध न होने की वजह से रूके हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा थी, उस पर सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब आ गया है। जो आप कह रहे हैं उसकी सत्यता को मानते हुए, उसके जाँच कराने के आदेश उन्होंने दे दिये हैं।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, किसान अपने खेत में काम करेगा तो उसको ड्राईविंग लाइसेंस की छूट देनी चाहिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष– कृपया बैठिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष:–

माननीय चीमा जी, उसमें उत्तर आ चुका है। कृपया आप बैठ जायें।(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, इस जवाब में भी सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया गया। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने यह बताया है कि ट्रैक्टर के पीछे एक बुग्गी बंधी हुई थी। जबकि ऐसा नहीं था। (व्यवधान) क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने यह जवाब भेजा है। दूसरा खनन के नाम पर आपने कहा है कि ओवर लोडिंग हो रही थी। (व्यवधान) आप उसकी जांच करे लें लेकिन ऐसा नहीं था तो इनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी, इसमें स्पष्ट जवाब आ गया है। अब इसमें दूसरी सूचना ले ली गयी है। माननीय हरिदास जी, आप भी बैठ जायं। (व्यवधान) उसमें जांच करने के निर्देश हो गये हैं। जांच के बाद जो स्थिति होगी, वह बता दी जायेगी। (कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (व्यवधान) माननीय सदस्यों की कोई भी बात नोट न की जाय। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने जानकारी दे दी है और उसका संज्ञान ले लिया गया है। (व्यवधान के मध्य)

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वहीं सैनिक फॉर्म उनका भी है और हमारा भी है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भगत जी की सूचना के साथ माननीय शुक्ला जी की भी सूचना है। उसके बाद जवाब आयेगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है, इस बात से स्पष्ट हो जायेगा। सरकार ने कहा कि सैनिक कल्याण में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, माताओं एवं पिता तथा अपंगता के कारण सेवानिवृत्त हुए सैनिकों के आवासीय सहायता और अनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए संचालित किये जा रहे तथा सहायता राशि में वृद्धि की गयी है। एक तरफ कहते हैं कि वृद्धि की गयी है। दूसरी तरफ जब हम उत्तर प्रदेश में थे और वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए तीन बड़े फॉर्म स्थापित किये थे। जिसमें दो उत्तर प्रदेश और एक

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड में जो पत्थर चट्टा में है, पन्तनगर में स्थापित किया गया। पिछले समय में इस बारे में काफी चर्चा हुई है। सरकार उसको खुर्द–बुर्द करने जा रही है और बेचने जा रही है। काफी सैनिकों ने आन्दोलन भी किये और धरने भी दिये हैं। लेकिन सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया है। इस फॉर्म से सैनिकों के कल्याण के लिए लगभग 6 करोड रूपये की आमदनी होती है। जिसको उत्तराखण्ड पुनर्वास संस्थान द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के निर्देश पर प्रदेश के द्वितीय विश्व युद्ध के वीरों और वीर नारियों की पेंशन हेतु तीन हजार रूपये महीने और वीर नारियों की पुत्री के विवाह हेतु पचास हजार रूपये, हवलदार से नीचे वीरों की पुत्रियों के विवाह हेतु पन्द्रह हजार रूपये जिन्हें पेंशन नहीं मिलती हैं उनको सपोर्ट ग्रान्ट सहायता देना है। बीमार बी0पी0एल0 पूर्व सैनिकों के असाध्य लोगों की चिकित्सा के लिए सहायता देना। पूर्व सैनिकों के पुत्रों के लिए छात्रवृत्ति, लगभग 5500 बच्चे हैं, देने हैं। जिनको सैनिक कल्याण बोर्ड प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दे रहा है। जो करीब चार करोड़ रूपये की धनराशि है। एन0डी0ए0, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की उच्च शिक्षा में वीर सैनिकों और वीर नारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना, पुत्रविहीन वीर नारियों को पुनर्विवाह के लिए पचास हजार रूपये देना, स्वरोजगार के लिए ऋण राशि में ब्याज की छूट पूर्व सैनिकों को, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सेना में भर्ती निःशुल्क प्रशिक्षण, आश्रितों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग निःशुल्क, विकलांग पूर्व सैनिकों को ट्राई साइकिलिंग, स्कूटर व अन्य सहायक उपकरण, इस संस्था का काम है। लेकिन इन सब की अनदेखी करते हुए सरकार इनको निजी हाथों में देना का प्रयास कर रही है। मान्यवर, इस कारण पूरे प्रदेश के अन्दर जहाँ हमारे प्रदेश के अन्दर काफी मात्रा में सैनिक और पूर्व सैनिक रहते हैं और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में, यहां कोई नौकरी की तलाश करता है तो उसकी पहली च्वाइस सेना होती है पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश नौजवान सेना में जाकर अपनी रोजी रोटी को तलाशते हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ की सुरक्षा कार्यों में कार्य करते है। इन सबकी देखरेख के लिए और सबके ईलाज इत्यादि के लिए यह संस्था काम करती है। मान्यवर, इनके बच्चों के पठन–पाठन के लिए, तो यह पूरा कार्य यह संस्था करती है और लम्बे समय से करती आ रही है और इसको सरकार खर्द–बुर्द करने की स्थिति में है, इसलिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए है, देश की सेवा के लिए अपने जीवन को न्योछावर करते हैं या कई शहीद हो गये, कुर्बान हो गये तो ऐसे लोगों की व्यवस्था इस फर्म से होती है, इसलिए मैं आपसे विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि अति लोकमहत्व के विषय पर सारे नियमों को शिथिलीकरण करते हुये इस पर चर्चा की अनुमति चाहता हूँ।

*श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने कहा तो मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुये मैं कहना चाहता हूँ कि पत्थर चट्टा स्थित जो, सैनिक फार्म है वह मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और सेकैण्ड वर्ल्ड वार के बाद पूर्व सैनिक जो घायल हुये, शहीद हुये उनके परिवारों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए कि कैसे उनकी शिक्षा–दीक्षा होगी, कैसे उनका विवाह होगा, कैसे उनका पालन होगा, कैसे उनका पुनर्वास होगा तो उसके लिए वर्ष 1945 में इसकी चिन्ता की गई और इसकी स्थापना की गई, आगे जाकर तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री के0एम0 मुंशी उत्तर प्रदेश के प्रयास से केन्द्र से उनके लिए 50 लाख की सहायता मिली, जिसके जरिये इन सैनिकों का कल्याण होगा, तो श्री मुंशी जी ने यह महसूस किया कि जो केन्द्र से 50 लाख रूपया मिलेगा इससे हमारे सैनिकों के परिवार का भला नहीं हो सकता है, तो उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश में तीन जगह अमौसी, अटारी और हमारे यहाँ पत्थर चट्टा में यह फॉर्म स्थापित हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सीधा सा फार्मूला यह है कि कोई किसान या कोई व्यक्ति अपनी जमीन तब बेचता है जब कोई घाटा हो रहा हो, कोई संकट की स्थिति हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार यह फॉर्म प्रॉफिट देता रहा है और जब से उत्तराखण्ड का गठन हुआ तब से तो इसका प्रॉफिट कई गुना और 4 करोड़ 64 लाख रूपया गत वर्ष में सैनिकों की सहायता के लिए दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है क्योंकि ठीक इसके सामने जो पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन है जो सिडकुल के लिए ली गई उस जमीन में जिस तरीके से सरकार से लेने के बाद बिल्डर्स ने 35 हजार रूपया वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन को बेच रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1423 एकड़ का जो फार्म है उसकी कीमत अरबों रूपया है और सरकार के जो काबिल अधिकारी हैं वे कहते हैं कि इसके बदले में हम सौ करोड़ का फण्ड दे रहे हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सदस्य बैठे हैं जो रूद्रपुर की स्थिति से अवगत हैं, बरेली–हरिद्वार राजमार्ग पर माननीय अध्यक्ष जी, आप भी गुजरते होंगे और दिल्ली–नैनीताल राजमार्ग जब क्रास करते हैं तो चौराहा आता है जहाँ इन्दिरा जी की मूर्ति लगी है, जिसे इन्दिरा चौराहा बोलते हैं वहाँ पर इस फॉर्म का एक मार्केटिंग काम्प्लेक्स है जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रूपये से ज्यादा है और इस 1423 एकड़ का जो फार्म है उसकी कीमत 84–85 अरब रूपये है और सरकार सीधे–सीधे इसे खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, इसके पहले भी तेल डिपो के नाम पर इसको लेने की कोशिश हुई थी तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, 400 एकड़ की भूमि दे रहे थे, लेकिन सरकार बैकफुट पर आई और नहीं दिया, उन्होंने सबकी बात मान ली थी और आज मैं आपके माध्यम से पुरजोर तरीके से कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूँ कि अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इसको सरकार गम्भीरता से ले, इसके पीछे माफियाओं की साजिश को समझने की जरूरत है और ऐसा फार्म जिससे पूरे प्रदेश के सैनिकों का कल्याण होना है और साथ ही साथ यह पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, लगातार वहाँ के एग्रीकल्चर लैण्ड को खत्म कर रहे हैं, लगातार वहाँ जो वन हैं, खेत हैं, खेती की भूमि से, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहता है , उसे हम खत्म कर रहे हैं, इसका निरंतर विरोध हो रहा है और आज भी वहाँ पर कलेक्ट्रेट पर पूर्व सैनिक बैठे हैं, इसका पता लगा ले सरकार, वहाँ के कुछ समाचार पत्रों की कतरने मैं लाया हूँ जिसमें वहाँ के सैनिक, वहाँ के पर्यावरणविद् और वहाँ के वैज्ञानिक इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसका संज्ञान ले लें और यह इतना अतिमहत्वपूर्ण विषय है कि तत्काल इसमें आपका संरक्षण चाहिए और सरकार इस पर पुनः विचार करे। मान्यवर, यह जो लीज सरकार द्वारा खत्म की जा रही है, इसका कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं है। चूँकि 90 साल की लीज थी, 30 साल में उसका रिन्यूवल होना था, यदि रिन्यूवल नहीं हुआ है तो यह कहीं न कहीं हमारी प्रशासनिक तंत्र की कमी के कारण हुआ है, इसकी सजा इस देश के किसान, इस देश का पर्यावरण और कहीं न कहीं इस देश की सीमाओं पर हमारे लिए जो सैनिक शहीद होते हैं। जिनके लिए कल हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, बहुत कुछ कह रहे थे कि हम सैनिक कल्याण हेतु अमुक–अमुक कार्य कर रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ऐसा पाप कृपया करके न होने दें, इससे इस प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति होगी। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सारी चर्चा रोक कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात यहां पर माननीय बंशीधर भगत जी और माननीय शुक्ला जी ने उठायी है, यह कोई हल्की–फुल्की बात नहीं है। लम्बे समय से जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं, वे संघर्षरत् हैं और पिछली बार भी यह बात हल्की सी सदन में आयी थी, लेकिन पूरी चर्चा उस बार भी इसमें नहीं हो पायी थी। मान्यवर, यह कुल 1423 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से 940 एकड़ वन लीज और 483 एकड़ कृषि लीज भूमि है। यह लीज समाप्त हो गयी है, इसको सरकार कोई तेल कम्पनियों को देने का सौदा भी लगभग–लगभग पहले कर चुकी थी, जब बहुत हल्ला–गुल्ला हुआ और पूरे सैनिक एवं जगह–जगह हम लोगों ने भी इस बात को इश्यू बनाया तो यह मामला अभी रूका पड़ा है। मान्यवर, आज क्या स्थिति है यह सरकार के उत्तर भाषण से पता लगेगा। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए 1947 में, पोस्ट वार सर्विस रिकंस्ट्रक्शन फण्ड की स्थापना महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में की गयी थी और 50 लाख रू0 केन्द्र सरकार द्वारा दान दिया गया। इस निधि का ध्येय पूर्व सैनिकों को राहत देना व उनके पुनर्वास में

सहायता प्रदान करना था। इसमें जो वार विडो हैं, उनके बच्चे हैं, इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना था। मान्यवर, जब पुनर्वास और राहत के लिए फण्ड मिल गया। 1953 में जब के0एम0 मुशी जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा कि 50 लाख की व्यवस्था लम्बे समय तक नहीं चल पायेगी, इससे हम पूर्व सैनिकों के परिवारों हेतु कोई लम्बी व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और न ही अन्य किसी किस्म की सहायता हम सैनिकों को दे पायेंगे तो उन्होंने अमौसी में, पत्थर चट्टा ऊधमसिंह नगर में और अटारी में फार्म दिये। ये तीनों जगह तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश में थी। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो उत्तराखण्ड के सृजन के बाद भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्याः 234 दिनांक 27 सितम्बर, 1966 के आधार पर, उत्तराखण्ड में भी महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड में सैनिक पुनर्वास संस्था की स्थापना वर्ष 2003 में की गयी। यह संस्था महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में है। मान्यवर, संस्था की स्थापना के उद्देश्य मैंने बताये कि पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना, संस्था के आय के स्रोत, संस्था को प्राप्त होने वाली समस्त आय, सैनिक फॉर्म, झंडा दिवस कलैक्शन एवं अन्य स्रोतों से अर्जित की जाती है। इस अर्जित आय को प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए संस्था द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया जाता है। कल्याणकारी योजनाएं हैं शैक्षिक सहायता, इसमें सामान्य शिक्षा है कक्षा– 11 व 12 हेतु रू0 2000 तक प्रति वर्ष, सभी स्नातक कक्षाओं हेतु रू0 3000 तक प्रतिवर्ष , सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु रू0 4000 तक प्रतिवर्ष, किसी भी विषय पर पी0एच0डी0, एल0एल0डी0 एवं एम0फिल0 में शोध कार्य कर रहे विद्यार्थियों हेतु, जिनके द्वारा किसी अन्य संस्था या विभाग से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या अनुदान प्राप्त न किया हो और वे कहीं भी सेवारत न हो उनके लिए 10,000 रू0 तक प्रतिवर्ष, तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा हेतु 3000 रू0 तक प्रतिवर्ष। मान्यवर, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ऑफिस मैनेजमेंट है, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं कम्यूनिकेशन, पॉलिटैक्निक इंस्टीट्यूशन्स के कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन्जीनियरिंग, आटो मोबाइल, मेडिकल लैब, इन्टीरियर डिजायनिंग, फार्मेसी आयुर्वेदिक, मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी, फैशन टैक्नोलॉजी, गारमेन्ट टैक्नोलॉजी, वैटनरी टैक्निशियन, बी0टी0सी0, बी0पी0टी0 होटल मैनेजमेंट एवं ऐरोव्युटिक्स व सैकेट्रियल डिप्लोमा कराये जाते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे फीटर, वैल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटिंग एवं स्वींग, पलम्बर, ड्राफ्ट मैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैण्डीक्राफ्ट एवं ऑफिस ऑटोमेशन, तो यह बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं इतना ही बता रहा हूँ, इतनी चीजें इससे पूर्व सैनिकों के बच्चों को सिखाई जाती हैं। इसके अलावा 6000 रूपये प्रतिवर्ष में बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, कृषि, हार्टिकल्चर, होम साइंस, होस्पिटेलिटी इन्डस्ट्री,

फारेस्ट्री, फार्मेसी कराई जाती है और 12000 रूपये प्रतिवर्ष बी0ई0, बी0टेक, बी0ए0एम0एस0, एम0बी0बी0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0वी0एस0, बी0आर्क, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस और मैरिन इंजीनियरिंग कोर्स हेतु दिये जाते हैं। मेधावी विद्यार्थियों के लिये विशेष छात्रवृत्ति इन्टर में 12000, स्नातक में 15 हजार और स्नातकोत्तर में 18 हजार रूपये दी जाती है। इसी प्रकार पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र/पुत्रियों तथा सैनिक विधवाओं के पुत्र/ पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक 3 हजार और कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक 6 हजार रूपये दिये जाते हैं। सैनिक स्कूल, आर0आई0एम0सी0 और मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को कोचिंग पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में एकमुश्त 10000 रूपये की सहायता दी जाती है। एन0डी0ए0, आई0एम0ए0 और ओ0टी0ए0 के लिये भी पूरी ट्रेनिंग के लिये 10 हजार रूपये दिये जाते हैं। इसके अलावा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति भी होती है और सामान्य चिकित्सा भी दी जाती है, विशेष चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है, जिसमें एक लाख रूपये तक की राशि दी जाती है। पुनर्वास के लिये ऋण भी दिया जाता है, जिसमें 30 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान की जाती है। जो वार विडोज हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको पुनर्विवाह के लिये भी 1 लाख रूपये की राशि दी जाती है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई और बुनाई की मशीनें, पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर भी दी जाती है और दैवीय आपदा में उनको सहायता राशि भी दी जाती है, प्री–कम–पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग के लिये भी छात्रवृत्ति दी जाती है। मान्यवर, यह कोई ऐसी–वैसी संस्था नहीं है कि इसको हवा में ले लिया जाय, इसके अध्यक्ष महामहिम श्री राज्यपाल होते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड हैं, द्वितीय उपाध्यक्ष जी0ओ0सी0, उत्तर भारत एरिया, बरेली हैं। इसके पदेन सदस्य, कमिश्नर, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड है और दूसरे पदेन सदस्य, सचिव, महामहिम राज्यपाल, सचिव, सैनिक कल्याण विभाग और सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली होते हैं। इसके नामित सदस्य ब्रिगेडियर (अवकाश प्राप्त) पी0एस0 गुरूंग, वाई0एम0एस0 और कमाण्डर (अवकाश प्राप्त) ए0के0 नकुला अभी रखे गये हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली, महानिदेशक, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, पुनर्वास महानिदेशालय, नई दिल्ली, निदेशक, निदेशालय पुनर्वास जोन (सेन्ट्रल), लखनऊ और जी0ओ0सी0, उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून होते हैं। इसके सचिव, संस्था निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड होते हैं। इसकी एक्जक्यूटिव कमेटी में हमारे मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं और सदस्य एक– सचिव, सैनिक कल्याण विभाग और दूसरे एक पूर्व सैन्य अधिकारी नामित सदस्य होते हैं। इसके पदेन सदस्य पद पर नियुक्त रहने तक रहते हैं और नामित सदस्य दो वर्ष तक रहते हैं, लेकिन पुनः नियुक्त किये जा सकते हैं। जब यह इतनी बड़ी संस्था है, उसके पीछे उद्देश्य जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, द्वितीय विश्व

युद्ध उनको लाभ देने का था, लेकिन आज इसमें हमारे सारे पूर्व सैनिकों को शामिल करने का आदेश हो चुका है। मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य शुक्ला जी ने बताया है कि 05 करोड़, 04 करोड रुपये सालाना इन्कम इनकी है और पूर्व सैनिकों के हाथ में पूरा इसका मैनेजमेंट है जिसको हमारी सरकार प्लस आर्मी के लोग प्लस राज्यपाल महोदय ये सब इसको देखते हैं और केन्द्र सरकार रक्षा मंत्रालय इसकी पूरी निगरानी करता है। ऐसे में सरकार इसको खुर्द–बुर्द करने का मन बना रही है और इसको प्राईवेट बिल्डर्स या तेल कम्पनियों को देने का मन यदि सरकार कर रही है तो इससे ज्यादा अन्याय कुछ नहीं होगा, इस प्रदेश के साथ जिस तरह से भूमियों को खुर्द–बुर्द करने का सिलसिला यहां चल पड़ा है, अगर यही इसमें होना है तो ये हल्की–फुल्की बात नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इसका आंदोलन होगा। यद्यपि हमारी मंशा आज नियम–310 में सूचना देने की थी, परन्तु कृपापूर्वक हमको लगा कि माननीय अध्यक्ष जी और जो लोग संरक्षण करते हैं वो यहां की अंतर्वेदना को जानेंगे कि हमारी भावना क्या है, क्योंकि उसमें आपको भी बराबर का भागीदार हम मानते हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे नियम–कानूनों को, सारे बाकी जो बिजनेस है आज का, उसको छोडकर मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ। अगर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता है, इसमें प्रदेशव्यापी आन्दोलन भी होंगे। यह प्रदेश सैनिकों का है और सैनिक बहुल क्षेत्र हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश की आन–बान–शान के लिए अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने बेटे को शहीद कर दिया। अब यदि आज उनके लिए जो पूर्व में इस तरह की व्यवस्था करी गयी थी, यह सरकार खुर्द–बुर्द करेगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। पूरे क्षेत्र में सैनिक एकजुट होंगे, उनके साथ पूरे क्षेत्र की जनता एकजुट होगी। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन आपसे है कि इसमें तुरन्त कोई न कोई डायरेक्शन आपकी ओर से आना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। सरकार का पक्ष संतोषजनक नहीं आता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने की आशंका है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत एवं श्री राजेश शुक्ला द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी विस्तार से अपने विचार रखे। उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था फॉर्म पत्थरचट्टा जो ऊधमसिंह नगर में है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा 1956 में उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विसेज रिकन्स्ट्रक्शन फंड ट्रस्ट उत्तर प्रदेश पुनर्वास निधि को 1000 एकड़ वन भूमि रू0 01 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 90 वर्षों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार लीज पर आवंटित की गयी थी। वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के शासनादेशानुसार

पूर्व में आवंटित कुछ भूमि वन विभाग को वापस कर दी गयी। इसके उपरान्त 33.627 एकड़ वन भूमि रेल विभाग को स्थानान्तरित की गयी है। इस प्रकार वर्तमान में उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था फॉर्म पत्थरचट्टा के पास केवल 940.143 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा 525 एकड़ भूमि भी संस्था को पट्टे पर दी गयी है। इस प्रकार वर्तमान में उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था फॉर्म पत्थरचट्टा के पास कुल 1423.97 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इन दोनों विभागों से प्राप्त भूमि का पट्टा नवीनीकरण किये जाने हेतु शासन के सम्बन्धित विभागों में कार्यवाही प्रचलित है। उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था महामहिम श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनओं को संचालित करती है। उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था फार्म पत्थरचट्टा का मुख्य आय का एकमात्र स्रोत पत्थरचट्टा फॉर्म ही है। इस भूमि का उपयोग मुख्यतः कृषि कार्यों हेतु किया जा रहा है। इस फार्म से प्राप्त होने वाली आय से पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों हेतु अनेक विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलायी जाती है। जिसमें से मुख्यतः पुत्री विवाह अनुदान, विधवा पुनर्विवाह अनुदान, छात्रवृत्ति अनुदान, सैनिक स्कूल, आर0आई0एम0सी0, मिलिट्री स्कूल हेतु कोचिंग पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुदान, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, ऋण में छूट तथा विधवाओं को सिलाई, बुनाई मशीन हेतु अनुदान है। वर्ष 2012-13 में संस्थाओं द्वारा 5830 पात्रों को कुल धनराशि रू0 5,64,24,336 का अनुदान दिया गया है। अतः सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्थरचट्टा की इस भूमि को किसी प्राईवेट कम्पनी को बेचने तथा कुछ भूमि को वन विभाग को हस्तानान्तरित करने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। पत्थरचट्टा का फार्म पूरी तरह सैनिकों के लिए ही आरक्षित रहेगा।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरे पास एक पत्र है जो शैलेश बगोली, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण का पत्र, जो उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की मैनेजमेंट कमेटी की दिनांक 06 अप्रैल 2013 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उसे फालो–अप करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बंशीधर भगत जी, माननीय अजय भट्ट जी माननीय शुक्ला जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मेरी 310 की सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कपूर साहब की सूचना, निर्णय लेने के बाद प्राप्त हो रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 310 तो कभी भी ली जा सकती है।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसको आज ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कपूर साहब, माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत जी, माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी द्वारा 310 में एक सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें प्रांत 8.30 बजे धर्मपाल निवासी गुरूरोड, देहरादून, जिसकी आयु मात्र 50 वर्ष के लगभग थी, अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर पर ही गोली से मार कर उसकी हत्या कर दी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इसमें सरकार का एक शासनादेश हो चुका है कि हम फॉर्म का अन्य उपयोग करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर ऐसा है तो यह गम्भीर बात है। उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की मैनेजमेंट कमेटी की दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में है। इसमें सात बिन्दु हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सैनिकों ने अपनी कमेटी में निर्णय लिया है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह शासन का निर्णय है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप एक मिनट इसको देखिये और देखकर आज आश्वासन दे दीजिए, अगर कोई ऐसा निर्णय हुआ तो फिर आपका जो आदेश है वह तो फिर हमको रिक्वैस्ट करनी पड़ेगी। हम इतनी हैल्प आपको कर सकते हैं। मान्यवर, छोटा मामला नहीं है, वैसे आपका आश्वासन पहले ही आ गया है। हमारा उद्देश्य सैनिकों का भला हो, है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ठीक है। वो चिन्ता की बात है, मैं इसका परीक्षण करा करके, सदन में इसका उत्तर आ जायेगा।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मेरी 310 की सूचना ले लीजिए। भले ही उसे दो घण्टे बाद लीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँव नसीरपुर खुर्द, गुजर बस्ती, पदार्था, जमालपुर कला के रमा विहार, मयूर विहार, हरिजन बस्ती, तिलक पुरी, बाडीटीप, बाहार पीली, अन्दर पीली, आलूपुरी एवं सैनिक बस्ती, पथरी विस्थापित, पुराणी कुम्ढी आदि गाँवों में बिजली के तारों की स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब गाँव के अन्दर बिजली के तार न टूटते हों। एक तार टूटने के बाद कम से कम तीन चार दिन के बाद वह तार ठीक किया जाता है। इससे गाँव के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमने इन तारों को ठीक करने की बात जिला योजना में भी रखी है। लेकिन जिला योजना में हमको यह कह दिया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, इन गाँव के तार ठीक करने के लिए कई बार बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बात करी है। उन्होंने भी यह कहा कि हमारे पास अबकी बार इसमें पैसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ और पिछली बार भी यह बात सदन में आयी थी। उस समय में भी आश्वासन दिया गया था कि इन गाँवों के विद्युत के तारों को ठीक कर दिया जायेगा। लेकिन अभी तक वह तार ठीक नहीं कराये गये हैं और गाँव के लोग परेशान रहते हैं। कई दिनों तक बिजली नहीं आती है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ क्योंकि यह एक बड़ा गम्भीर विषय है और बिजली से जुड़ा हुआ विषय है। आप इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने इस विषय पर प्रश्न भी लगाया है। जनपद–हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत नसीरपुर खुर्द, तिलकपुरी, बाडीटीप में वर्ष 2012–13 में जीर्णशीर्ण विद्युत तारों को बदला गया था। ग्राम बहार पीली, अन्दर पीली, आलपुरी में पुराने तारों के स्थान पर एरियल बन्च केबिल लगा दिये गये हैं। सम्बन्धित क्षेत्र का दिनांक 11.02.2014 को निदेशक एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया तथा इस कार्य के लिये योजना बनाई गई है। जिसके अन्तर्गत सही एल0टी0 लाईनों में स्पेशर लगाने का कार्य एवं जीर्णशीर्ण लाईन के स्थान पर एरियल

बंच केबिल लगाने का कार्य शुरू किया गया है। कल यह कार्य गाँव दाबकीकेड़ा में प्रारम्भ कर दिया गया है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में 235 किमी0 बंच केबिल का कार्य कराया जाना है जिस पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री यतीश्वरानन्द एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने नियम–58 की ग्राहयता पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीबी झूलाघाट की एक सड़क लोक निर्माण विभाग के पास है। वह सड़क जौलजीबी के पास से शुरू होती है और उसके एक किमी0 दूरी पर लगभग सौ मीटर पर ग्रिफ की एक सड़क अस्कोट धारचूला सड़क चलती है। उस सड़क में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और वह हार्ड रॉक भी है। उसकी कटिंग से मलवा और पत्थर, सीधे लोक निर्माण की वह सड़क है में गिरती है। उसमें जेसीबी मशीनें लगती रहती हैं लेकिन उसमें कटिंग का काम पूरा हो चुका है। लेकिन इस मलवे से वह छः मीटर की जो चौड़ी सड़क थी, वह सड़क कटने से मात्र चार मीटर रह गयी है और दीवारें टूट गयी हैं। जिस कारण वहां पर बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। वह सड़क काली नदी के किनारे में है और सीमा पर लगे हुए लगभग 10–12 ग्राम सभायें हैं। उन ग्राम सभाओं में गैस की बहुत किल्लत है। क्योंकि गैस की गाड़ी वहाँ पर नहीं जा सकती है। मान्यवर, क्षेत्र के लोग बार–बार जे0ई0 से निवेदन कर रहे हैं कि यह जो पक्की सड़क थी उस सड़क का चौड़ीकरण करें, इसमें डामरीकरण करने की मांग बार–बार कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक काम हुआ और 6 महीने तक कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जा रही है और बरसात में सड़क बन्द रहती है, जिस कारण वहाँ के लोगों के लिए यातायात बन्द रहता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह लोकमहत्व और तात्कालिक विषय है, सीमांत पर रह रहे लोगों का विषय है, इस सड़क को तत्काल ठीक किया जाए और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौलजीबी, झूलाघाट–टनकपुर मोटर मार्ग के नियम–58 की सूचना में इंगित अंश किमी 01 बगड़ीहाट के पास का डामरीकरण कार्य लोक निर्माण विभाग, अस्कोट द्वारा विगत में कराया गया था। इस मार्ग के ऊपर बी0आर0ओ0 द्वारा किए जा रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य के कारण गिरने वाले मलबे के

कारण प्रश्नगत मार्ग के लगभग 1.5 कि0मी0 अंश में जगह–जगह दीवारें टूट जाने एवं मार्ग पर मलवा एकत्रित हो जाने के फलस्वरूप इस मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। लोक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर बी0आर0ओ0 से मलवा हटवाकर तथा यदा–कदा स्वयं के संसाधनों से भी मलवा हटाकर मार्ग को छोटे वाहनों के उपयोग लायक स्थिति में लाया गया है। बी0आर0ओ0 से अनुश्रवण करने पर उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही बी0आर0ओ0 से मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग एवं क्षतिग्रस्त दीवारों के पुनर्निर्माण सहित डामरीकरण का कार्य अपने व्यय पर कर दिया जायेगा। बी0आर0ओ0 द्वारा वांछित कार्य शीघ्र कराने हेतु लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों तथा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा भी बी0आर0ओ0 से निरन्तर वार्ता एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला हुआ है और यदा–कदा भारी वाहन ट्रक भी गुजर रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, समय सीमा बता दें कि कब तक सड़क ठीक होगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं शासन को निर्देशित कर रही हूँ कि जिला प्रशासन को सूचना दें और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग इसे शीघ्र से शीघ्र ठीक कराये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आभारी हूँ कि नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुनने की अनुमति दी है। मान्यवर, आज उत्तराखण्ड राज्य की अधिकतर जनसंख्या सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु निर्भर है और खासतौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र के इस तरह के अस्पताल की संख्या भी बहुत कम है, इस प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहाँ गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं और कई बार हमको सुनने को मिलता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कहा जाता है कि जो गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं उनसे दवाई के पैसे न लिये जायें, उनको फ्री सरकार की तरफ से दवाई दी जाये, स्वास्थ्य के लिए जो मोबाईल वैन थी उनके सम्बन्ध में बताया था, लेकिन आज उत्तराखण्ड राज्य में जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें गरीब आदमी आकर एक पर्चा बनवाता है और वह पर्ची 14 रूपये में बनती है, यानी जो गरीब लोग पैदल वहाँ जायेंगे पहले उसको 14 रूपये देने पड़ेंगे और यदि एक्स–रे की

आवश्यकता है तो 100 रूपये एक्सरे का रेट है, पैथोलॉजी के लिए अलग रेट तय कर दिये गये हैं, तो प्राईवेट और सरकारी में क्या अन्तर है। मान्यवर, अभी पिछले दिनों एम्स के उद्घाटन में भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवा का अधिनियम लेकर आ रहे हैं हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं किस रूप में देने जा रहे हैं, लेकिन आज उत्तराखण्ड के आम गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में भी फ्री में दवाई लेने की स्थिति में नहीं हैं। आज की स्थिति यह है कि यदि कोई सामान्य पेशेंट आता है तो उसके लिए भी पहले 100 से 150 रू0 चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ अभी तक जो अधिनियम है, वह उत्तर प्रदेश का बना हुआ है हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि सरकार ने क्या जानकारी प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन फीस जीरो है, वहाँ पर यदि कोई पेशेंट सरकारी अस्पताल में जायेगा तो उससे कोई फीस नहीं ली जायेगी। वहाँ पर एक्सरा होगा तो उसकी फीस 21 रू0 है, पैथोलॉजी फीस 5 रू0 है, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह स्थिति है तो हमारे राज्य में यह स्थिति क्यों नहीं है, जबकि हमारे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और हमारे प्रदेश के लोग सरकारी अस्पतालों पर ही ज्यादा डिपेंड करते हैं। ज्यादातर आम और गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं, वहाँ पर दवाई की बात तो छोड़िये, रजिस्ट्रेशन फीस की स्थिति भी बहुत अधिक है और इन लोगों को बड़े अस्पतालों में जाना भी सम्भव नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि यह एक ऐसा अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं तात्कालिक विषय है। सरकार इस विषय पर क्या विचार कर रही है, हम उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के मंत्री जी का बयान है, सरकार की अपनी योजनाएं हैं। मैं सरकार से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, अभी जो विषय माननीय विधायक हरिद्वार मदन कौशिक जी ने उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, यह पूरे प्रदेश का मामला है और मैं समझता हूँ कि यह सदन के हर सदस्य से सम्बन्धित मामला है। मान्यवर, जिस तरह से सरकार ने एकाएक रेट बढ़ाये हैं, वह चाहे पर्चे का हो, पैथोलॉजी का हो, एक्स-रे का हो, इस तरह से अन्य टेस्ट हैं तो इससे आम आदमी का जीना दू-भर हो जायेगा। मान्यवर, एक गरीब आदमी जो आपकी बी0पी0एल0 की श्रेणी में नहीं आता है और उसकी इनकम 15000 से कम है तो यह आदमी अपना कहीं पर कोई टेस्ट करा ही नहीं पायेगा। चूँकि यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि वह अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लेता है किसी तरह से तो उसको बी0पी0एल0 की तरह पहले अधिकार मिलते थे, हमने व्यवस्था दी थी। यह व्यवस्था भी आज सरकार ने हटा दी है, लेकिन अब जिस आदमी का इनकम का कोई जरिया ही नहीं है तो वह कहाँ से लायेगा। यदि

ऐसे व्यक्ति को गम्भीर किस्म की कोई बीमारी हो गयी तो उसके लिए पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, इसलिए यह बहुत गम्भीर प्रश्न हो गया है। जहाँ पहले हम 1 रू0 से 5 रू0 में पर्चा बना लेते थे, मान्यवर, 5 रू0 तक तो ठीक था। इसको आदमी सहन कर लेता लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या हम से 10 गुना से भी ज्यादा है, वह राज्य तो पर्चे को फ्री कर रहा है और हमारा राज्य जो देव भूमि है, पर्चे को 15 रू0 कर रहा है। मान्यवर, जब कोई आदमी पर्चे को बनाने जाता है तो प्राथमिक स्टेज पर ही पर्चे को बनाने में उससे 15 रू0 लिया जाता है, 15 रू0 मायने रखता है। एक्स–रे की कीमत 101 रू0, पैथोलॉजी का टैस्ट बहुत ज्यादा, आखिर हम इसको क्यों रखने जा रहे हैं, इसका औचित्य क्या है। क्यों नहीं हम स्वास्थ्य सेवाओं को फ्री रखते हैं। मान्यवर, जन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। यह दोनों चीजें तो कम से कम करनी चाहिए। मान्यवर, सबको एक तरफ हम फण्डामेंटल राइट्स देने की बात करते हैं, शिक्षा में हम फण्डामेंटल राईट्स देंगे और स्वास्थ्य में भी सबको जीने का हक है, सबको स्वस्थ रखने का हक है। मान्यवर, यदि ऐसा होगा तो फिर जन–कल्याणकारी राज्य हमारा कहां से रहा है, जिस तरह से गरीबों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है, आम आदमी के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आम आदमी को मरने के लिए सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है, इसलिए इससे महत्वपूर्ण आज कोई और विषय हो नहीं सकता है, इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है, इस विषय पर चर्चा करायी जाय।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर जो चर्चा करायी जा रही है, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मान्यवर, इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर जो चर्चा कराई जा रही है, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मौके पर यह देखा जा रहा है कि लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों में जाने से खत्म होता जा रहा है। जब कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस मरीज को पहले उठाकर प्राइवेट अस्पताल में भेज देते हैं और फिर वह उसे सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं, क्योंकि वह कहता है कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी। सरकारी अस्पताल में अगर एक्स–रे मशीन है, तो वह लगभग खराब होती है, जो जरूरी टेस्ट की मशीनें होती हैं, वह वहाँ पर हैं नहीं, पहली बात तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलता है। एकाध डॉक्टर मिल भी गया तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं होती, करते–कराते जब उससे कहा जाता है कि एक्स–रे और ई0सी0जी0 बाहर से कराके ले आओ, तब तक उस मरीज की मृत्यु हो जाती है। मेरा कहना यह है कि सरकारी अस्पताल का मकसद यह है कि गरीब आदमी को जो अपने पैसे से ईलाज नहीं करा सकता है, वह सरकारी अस्पताल में जाये और वहाँ पर सरकार की ओर से उसका फ्री ईलाज हो। जितने भी डॉक्टर हैं, यदि उनके पास दवाईयां हैं तो भी बाहर की पर्ची लिखकर देते हैं और अगर दवायें नहीं हैं तो भी बाहर से पर्ची लिखकर देते हैं।

अस्पतालों के बाहर आप देखते हैं कि मैडिकल स्टोर बने हुये होते हैं और उन दुकानों का अस्पतालों के डॉक्टरों से सीधा सम्बन्ध है, उनके साथ उनका कमीशन बंधा हुआ है। वहाँ से दवाईयाँ आती हैं और डॉक्टर तक कमीशन पहुँच जाता है, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर अभी बहुत ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय पर आपकी ओर से सरकार को निर्देशित किया जाय।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तव में बहुत गम्भीर बात है, सामान्यतः जैसा कि चीमा जी ने भी कहा कि सरकारी अस्पतालों से सामान्य जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है। वास्तव में जो लोग सक्षम हैं, साधन सम्पन्न हैं, वह सरकारी अस्पतालों में जाना पसन्द नहीं करता है। वहाँ वही लोग जाते हैं जो बहुत गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। क्योंकि एक यही उम्मीद उनके पास थी कि यहाँ पर उनका ईलाज हो जायेगा, क्योंकि यहाँ पर शुल्क कम थे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने एक्स–रे और पर्चियों के शुल्क बढ़ा दिये हैं, इससे हमने उस गरीब तबके को बहुत बड़ी चोट दी है। जो काँग्रेस बोलती है कि काँग्रेस का हाथ, गरीब जनता के साथ, वही सबसे ज्यादा गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। आप भी देखते होंगे कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर एक्सीडेंटल केस ही जाते हैं या फिर झगड़े वाले केस जाते हैं, वह भी मेडिकल लीगल के कारण जाते हैं। वास्तव में जो ईलाज के लिये वहां जाते हैं, वह मजदूर और गरीब तबके के लोग होते हैं, उन पर इतना भार देना अनुचित है। मैं परसों जी0डी0 हास्पिटल, हरिद्वार में दो मरीजों को देखने गया था, तो उनका तीन दिन पहले एक्स–रे हुआ था और तीन दिन बाद भी जब मैं वहाँ पर गया था, उस समय तक रिपोर्ट नहीं आई थी। वहाँ पर जो चिकित्सक हैं, हरिद्वार, जो अपने आप में एक पर्यटक और धार्मिक स्थल है, जहाँ पर पूरे विश्व से यात्री आते हैं, कभी–कभी हर की पैड़ी पर बड़े–बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन आज तक वह दिन कभी नहीं आया कि जितना अनुमन्य स्टाफ उस हॉस्पिटल का है, उतना आया हो, आज भी उस हास्पिटल की वही स्थिति है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाना चाहिये। क्योंकि पीड़ितों और गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय भट्ट जी ने एक प्रश्न किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी देर से किया। इस विधान सभा में हर रोज प्रश्न के उत्तर मंत्रीगण जो अधिकृत किये गये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा दिये जा रहे हैं और उनकी वैधानिकता सिद्ध करने के लिए सम्मानित पीठ हमको निर्देशित करती है, उन्हीं की अनुमति से हम खड़े हो रहे हैं तो कहीं न कहीं उनमें सत्यता होगी, ऐसी मैं उम्मीद

करता हूँ। यह बहुत की महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो तमाम साथियों ने कौशिक जी ने, अजय भट्ट जी ने और चीमा साहब ने, आदेश चौहान जी ने जिन बिन्दुओं पर चर्चा की स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं स्वीकार करता हूँ और इस बारे में यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2010 में जब हमारे पूरे प्रदेश में 2005 तक तीन या मात्र पाँच रूपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी। न जाने किन कारणों से 2010 में कुछ लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिये, जिसकी प्रति मेरे पास उपलब्ध है और उसमें यह लिखा गया कि प्रतिवर्ष यूजर चार्ज के रूप में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। यह शोध का विषय हो सकता है कि 2010 में आखिर किन कारणों से किया गया, लेकिन कदाचित यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर और यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं उसके सीमित संसाधनों के रहते हुए हम लोक बेहतर सेवाएं दे पाने में कहीं न कहीं कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कदाचित उसकी वजह से इस विषय को लिया गया होगा, 10 परसेंट की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया होगा। इसमें यह भी व्यवस्था है, पहले से व्यवस्था की 100 परसेंट यूजर चार्जेज जो लिया जायेगा, उसकी हास्पिटल में उसका इस्तेमाल किया जायेगा, लेकिन उसी दौरान एक और निर्णय ले लिया गया कि उस यूजर चार्जेज का 50 परसेंट तो उस हास्पिटल में रहेगा और 50 परसेंट जो बाकी है उसको आपको ट्रेजरी में जमा करना होगा। तो ये दो ऐसे निर्णय थे जिसकी वजह से वास्तव में काफी कुछ परिवर्तन हुआ। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे मे माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम करने का प्रयास किया है। इसमें जैसे कि अभी कौशिक जी ने उदाहरण दिया कि अभी चार दिन पहले आदरणीय गुलाम नबी जी एम्स के उद्घाटन में आये थे और उससे पहले भी यहाँ पर आये थे। जब परेड ग्राउण्ड में आये थे तो हमने उनसे बहुत सारे अनुरोध किये थे कि अगर बाल्यावस्था हमारे प्रदेश के लोगों की स्वस्थ रहेगी यानि 18 साल की उम्र तक यदि हम बच्चों को स्वस्थ रखने में कामयाब हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो शेष जिन्दगी में और बेहतर, मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को आयोजित किया। उस योजना के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है, वह यह है कि अगर कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है, विद्यालयों में जाता है, उसका नियमित परीक्षण किया जायेगा हमारे डॉक्टर्स के द्वारा जिसके लिए टीमें गठित की गयी हैं और अगर उसके अंदर कोई कमी पायी जाती है तो उसको तत्काल मेडिसिन उपलब्ध कराते हुए, ठीक कराया जायेगा। दूसरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि जो हमारी आर्थिक तंगी, पूरे प्रदेश की अभावग्रस्त जिंदगी जिसको हम जीते हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अगर किसी बच्चे के अन्दर कोई क्रानिक बीमारी पल रही है यदि यह सुना जाता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी 10 या 12 साल के बच्चे के दिल में छेद नजर आता है और उसके परिवार की यह सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका ईलाज कर सके तो लाखों रूपये व्यय करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए उस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि उसका ईलाज सरकार करेगी और उसके परिवार पर एक भी पैसे का बोझ नहीं पड़ेगा। स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम कर दिया है दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो अभी मेडिसिन को लेकर आपने कहा यूं तो मैं आपके सवाल का जवाब यह देना चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेस्फिक केस आपके पास है, कोई डॉक्टर अगर इसको बाहर से लिखता है और अगर आप उस पर्ची को हमको देंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूँ, क्योंकि उसको मैंने क्राईम की श्रेणी में लिया है। मान्यवर, बाहर से उपलब्ध कराने पर यह जुर्म की श्रेणी में आयेगा। नम्बर दो, जो महत्वपूर्ण फैसला हमारी सरकार ने लिया है, अभी में तमाम साथियों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जो इस रो में बैठे हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिया। हम अभी तक ए0पी0एल0 परिवारों को फ्री मेडिसन से वंचित रखते थे और फ्री उपचार से भी लेकिन आने वाले समय में केबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जैनरिक दवाईयों को प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में आवे उनको दिया जायेगा। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जो चिन्ता आपने प्रकट की थी कि गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी असुविधा होती है। दूसरा, हम लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया जो आने वाले समय में उपयोगी होगा, पूरे उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य के प्रति एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए व्यवस्था करेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, उन बारीकियों को समझने की आवश्यकता है इस सदन को और इस सदन के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लोगों के अन्दर एक अवैरनैस आनी चाहिए, लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आखिर सरकार ने किन–किन बिन्दुओं पर निर्णय लिया है, उसकी जानकारी अगर जनता को होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका वास्तविक लाभ उन लोगों तक मिल पायेगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हमारे यहाँ बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में लोग बसते हैं। हमारे पास डिलीवरी प्वाइंट्स नहीं हैं, जहाँ पर प्रसव किये जा सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की कि जहाँ भी व्यक्ति होगा चाहे उसको डोली से लाना पड़े, चाहे 108 से लाना पड़े, चाहे खुशियों की सवारी से लाना पड़े। डिलीवरी करने के बाद यानि कि लाना और ले जाना। वहाँ पर डिलीवरी कराना निःशुल्क है। इसमें हम कोई पैसा किसी से नहीं लेते हैं। यह इसलिए हम लोगों ने किया कि उस संवेदनशील अवस्था में जिस समय माता भी कमजोर होती है, नवजात शिशु जो पैदा होता है वह भी कमजोर होता है तो उसको ले जाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि जो चिन्ता आप लोगों ने प्रकट की बहुत सारे लोग जो गरीब होते हैं वह 14 रूपये देने की स्थिति में नहीं होते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0

परिवारों में इसमें छूट है, अन्धता के जो रोगी हैं, उनके लिए छूट है, कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए छूट है, एड्स से जो प्रभावित हैं उनको छूट है, मलेरिया,फाइलेरिया और घेंघा जो क्रोनिक बीमारियाँ हैं, उसमें ये यूजर चार्जेज हम नहीं लेते हैं। एक और बात जिसको मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम लोग कर डालेंगे जो आपकी मुख्य चिन्ता थी उस पर भी हम आना चाहते हैं और हमने एक निर्णय लिया है और माननीय गुलामनबी जी ने हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने इस आश्वासन को जब मैं पिछली बार उनसे मिला था, परसों जब हम उनके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हम इसको करने जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उसमें हम लोगों ने एक प्रॉविजन किया है कि अप्रैल से शायद हम उसको प्रारम्भ कर देंगे कि एक बार हमारे सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज गेट के अन्दर इन्ट्री करता है तो उसको पर्ची तो बनानी पड़ेगी। क्योंकि वह रजिस्ट्रेशन है, पता चला कि कल लाईन लग गई। पर्ची प्रवेश तो रहेगा ताकि हम उसका नामांकन विधिवत् हमारे जो पेपर हैं उसमें कर सकें। लेकिन बाकी जो टेस्ट हैं, चाहे वह ब्लड टेस्ट है, एक्सरे टेस्ट है, यूरिन टैस्ट है, इनको हम फ्री करने जा रहे हैं। इस प्रदेश को हम एक सौगात के रूप में देना चाह रहे हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास से पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने एनआरएचएम का जो बजट होता था 75 परसेन्ट भारत सरकार मैचिंग ग्रान्ट देती थी उसको 90 और 10 हम लोगों ने करवाया। मान्यवर, एक ऐतिहासिक निर्णय जो उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिए हो सकता है, उसको भी करवाने में हम लोगों ने सफलता हासिल की है। हमने माँग की थी नार्थ ईस्ट में जो व्यवस्था है, क्योंकि हमारी और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं। चाहे वह हिमांचल प्रदेश हो, उत्तराखण्ड हो, जम्मू– कश्मीर हो, कश्मीर का नाम मैं अक्सर कह दिया करता था, कारण आप कुछ भी समझे उससे भी हम लोगों को लाभ होगा। अब हम लोगों को जो पैसा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं में पहले 2 सौ करोड़ मिलता था अब 4 सौ करोड़ हमें मिलेगा। हम नार्थ ईस्ट स्टेट के आधार पर लेंगे। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत कुछ परिवर्तन सम्भव है और बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग होंगे। मैं कैबिनेट को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक और ऐतिहासिक निर्णय कराया है, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत कमी है। डॉक्टरों की कमी डॉक्टरों से पूरी की जा सकती है और किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। हमारे जनरल काडर के जो डाक्टर हैं और जो स्पेशियल काडर के डॉक्टर हैं, उन दोनों डॉक्टरों को हमने सम्मिलित कर दिया है। हमने उसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है और मैं समझता हूँ कि इसी साल हमें लगभग पाँच सौ डॉक्टर मिलने वाले हैं और इससे दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ डॉक्टर नहीं गये थे, वहाँ उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक्स–रे में हम कोई शुल्क नहीं लेंगे यानि मार्च के बाद से, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह सबके लिए निःशुल्क रहेगा, जिनका पंजीकरण हो जायेगा, चाहे वह ए०पी०एल० हो या कोई भी हो। आपने कहा कि केवल एक बार पंजीकरण कराना है और बाकि सब कुछ निःशुल्क रहेगा। एक तो यह जानना चाहता हूँ, दूसरा यह है कि जो पंजीकरण की फीस 14 रूपये है और आपने कहा कि इसमें पहले वर्ष 2010 में कोई विचार नहीं हुआ। क्या आप इस फीस को समाप्त करेंगे? अपने स्कूलों के बारे में कहा और वह लगभग यहाँ पर 23 हजार विद्यालय हैं और आगनबाड़ी केन्द्र भी लगभग दस हजार होंगे, इनको मिलाकर आप कह रहे हैं कि हम बच्चों की जाँच निःशुल्क करते हैं यानी लगभग दस हजार बच्चे होते हैं और डॉक्टर आपके पास नहीं है और आपने खुद ही कहा कि स्वास्थ्य सेवा हमारी लचर है। पता नहीं उन दस हजार बच्चों की कैसे जाँच करते होंगे? यह दो–तीन चीजें हैं आप इनका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय कौशिक जी बहुत सीनियर मैम्बर भी हैं। इस विधान सभा के, शायद आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने यह बताया था कि पहले ही बी०पी०एल० परिवारों को यह सुविधा निःशुल्क देते हैं जो हम नई व्यवस्था कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से उनके लिए नहीं कर रहे हैं जो पहले से प्राप्त कर रहे हैं। अब हम ए०पी०एल० परिवारों के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा गम्भीरता से सुन लें। मैंने कहा कि अप्रैल माह से शुरू करेंगे और यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने इसके लिए एक और व्यवस्था की है क्योंकि आपको जिज्ञासा भी होगी, भारत सरकार उस पैसे को हमको देगी, हमारे पास उसका कोई लोड नहीं होगा। जो तीन प्रदेश हैं चाहे हिमाचल, जम्मू–कश्मीर या उत्तराखण्ड प्रदेश हैं, इस हालत में नहीं हैं क्योंकि हमारे सीमित संसाधन हैं। यह पहला उत्तर है कि यह टोटल लोगों के लिए होगा। (व्यवधान) अभी हम पंजीकरण पर भी आयेंगे। सरकार ने अभी उस पर निर्णय नहीं लिया है। उस पर विचार किया जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ क्या पैनाल्टी होनी चाहिए, जिन्होंने वर्ष 2010 में यह किया था? (घोर व्यवधान के मध्य) (हंसी)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, यह तो जनता एक्शन लेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, माननीय अजय भट्ट जी, माननीय चीमा जी तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना का अग्राहय करता हूँ। एक सूचना माननीय कपूर साहब ने दी है, उसका जवाब आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उस सूचना को नियम–58 में भोजनावकाश के बाद ले लिया जायेगा।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम यह एक केन्द्रीय अधिनियम है और इसमें राज्यों को यथा आवश्यक संशोधन करने का अधिकार है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन, 2011 को प्रस्तावित कर महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेजा गया था। इसमें भारत सरकार द्वारा धारा–62 की उपधारा (1) (ग) में राज्य सरकार द्वारा जोड़े गये कारावास, स्टैम्प की चोरी आदि में कारावास शब्द भी होगा, तो कारावास शब्द हटाने के सम्बन्ध में है, इसमें स्टैम्प शुल्क न चुकाये जाने की दशा में कारावास का प्राविधान किया गया था, जिसमें से कारावास शब्द हटाया जा रहा है, इसमें चूक यह हुई कि इस संशोधन को महामहिम राज्यपाल के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए था, हमने महामहिम राज्यपाल की अनुमति तक भेजा इसलिए इस भूल को सुधार कर इसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

<u>खण्डशः विचार</u>

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2014)

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2013) को निरसित करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2013 का निरसन

2. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। कल माननीय श्री अजय भट्ट जी ने जो सुझाव दिये थे मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुये अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ। मान्यवर, यह अस्थाई वित्त मंत्री जी का दूसरा अस्थाई बजट भाषण है। आपने कहा था कि मैं वहाँ पर बैठूँगी तो राज्य को फायदा होगा तो नुकसान तो हो ही गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट भाषण है और इसमें जो सरकार की नीतियाँ हैं, उन नीतियों से कहीं इस तरह से परिलक्षित नहीं हो रहा है कि राज्य के अनुरूप या जो गत वर्ष का बजट भाषण था उसके अनुरूप इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, क्योंकि सरकार की जो अन्तर्कलह थी, सरकार की अपनी लड़ाई जो लगातार चल रही थी वह आज भी विद्यमान है और इस कारण से मुझे नहीं लगता कि बजट पर सरकार की ओर से ध्यान दिया गया है मान्यवर, आज जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो इस सम्बन्ध में सरकार ने बजट में कौन से प्राविधान किये हैं। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब पड़ी हुई है, इस पर विस्तार से माननीय अजट भट्ट जी ने बात रखी है। लेकिन आज भी जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो हम उन राज्यों की ओर देखते हैं, जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है। मैं यहाँ पर गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, मैं यह बधाई इसलिए देना चाहता हूँ चूँकि सरकार में जो केस हुआ था। जो स्वामी जी की विधान सभा क्षेत्र की लड़की से सम्बन्धित मामला था, जिसे सदन में भी उठाया गया था और अखबार में बयान छपा कि हमारे प्रदेश के पास इतने अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए हम गुजरात

राज्य की सहायता लेंगे। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ने और यहाँ के डी0जी0पी0 ने गुजरात सरकार से सम्पर्क किया। वहाँ की पूरी टीम को बुलाया और वहां की सारी अत्याधुनिक सुविधाएं लेने के लिए पत्र लिखा, तो ऐसी सुविधाएं हमारे राज्य में भी स्थापित हों, इसके लिए बजट में कहीं पर भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, हमें ऐसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए। मान्यवर, इस बजट में गन्ना किसानों की बात नहीं आयी है, 500 करोड़ रू0 से अधिक गन्ना किसानों का शेष है और इस 500 करोड़ रू0 को देने के लिए बजट में कहीं पर भी प्राविधान नहीं किया गया है। गन्ना का बजट मात्र 700–800 करोड़ रू0 किया गया है, गन्ना किसानों का भुगतान कैसे किया जायेगा। पिछले वर्ष का बकाया ज्यों का त्यों है। मान्यवर, विवेकाधीन कोष की बात कर रहा हूँ, इसमें स्पष्ट निर्देश मुझे लगते हैं जो पिछले वर्ष का माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया था। यह किसी सरकार का कोष नहीं होता है, बल्कि यह प्रदेश की जनता का पैसा है। यदि इस हेतु विपक्ष के माननीय सदस्य मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि विपक्ष के जितने माननीय विधायक हैं, उनको रोक दिया जाय। माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं, जिनकी सहायता स्वीकृत हुई होगी उन्होंने अपने क्षेत्र में बताया होगा, लेकिन आज तक उनका शासनादेश जारी नहीं हुआ है, स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं। मैंने यहाँ पर सम्पर्क किया तो सचिव, मुख्यमंत्री से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी जारी नहीं हुए हैं, पैसा नहीं है। इस पर हमने कहा कि बाकियों के तो जारी हो रहे हैं, तो इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मान्यवर, केवल विपक्ष के सदस्यों के रोके गये हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यदि मैं इस चीज को असत्य कह रहा हूँ तो इसका जवाब आप अपने उत्तर भाषण में दे देना। मान्यवर, जितनी स्वीकृतियां विपक्ष के सदस्यों की हुई थी उनके बाद की सत्तापक्ष के विधायकों की स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं, लेकिन विपक्ष के सदस्यों की स्वीकृतियां ज्यों के त्यों रखी हुई हैं। यदि जारी भी हुई हैं तो मात्र 10, 12, और 15 प्रतिशत जारी हुई हैं। मान्यवर, इसका भी बजट में प्राविधान होना चाहिए था। मान्यवर, यह पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जनता का पैसा है यदि सरकार स्वीकृत करती भी है तो समान रूप से स्वीकृत करना चाहिए। विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और जनता इस प्रदेश की है, सरकार भी प्रदेश की है। सरकार किसी पार्टी के रूप में कार्य नहीं करती है। सरकार जो बनती है वह प्रदेश की जनता के लिए ही बनती है। मान्यवर, कल्याणकारी योजनाएं बनाते समय यह नहीं देखा जाता है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ता को इसका लाभ दिया जायेगा। मान्यवर, आश्चर्य की बात है कि विधायकगण कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के पास गये थे तो उन्होंने अमुक लड़की की शादी हेतु पांच हजार रू0 स्वीकृत किये हैं, लेकिन दो–चार महीने बाद जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि फाईल ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। मान्यवर, अब नये मुख्यमंत्री जी आये हैं, ये पुराने मुख्यमंत्री की स्वीकृतियों को जारी करते हैं या नहीं, यह तो भविष्य बतायेगा। यहाँ पर यह भी तो

बहुत बड़ा झंझट है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के अन्दर चाहे वह अध्यापक हों, नर्स हों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों, यदि इनकी कुछ समस्याएं थी तो उसका प्राविधान इस बजट में होना चाहिए था, उनको मात्र आश्वासन देने से क्या होता है।

मान्यवर, जब हम बजट लाते हैं तो उस बजट को विधान सभा और वह सदन पास करता है और हम अगले एक वित्तीय वर्ष के लिये उस बजट को लाते हैं। पिछले वर्ष भी हम यहाँ पर बजट लेकर आये और उसे इस सम्मानित सदन ने पास किया, आपकी उपस्थिति में पास किया, आप इसके गवाह हैं। लेकिन आज की तारीख में भी पिछले वर्ष पास किये हुये बजट में से हम 60 से 62 प्रतिशत ही खर्च कर पाये हैं, अभी भी पूरा बजट खर्च नहीं हुआ तो नये बजट का क्या औचित्य है। आज हम नया बजट पास करने जा रहे हैं और पुराना बजट पास नहीं हुआ है। पिछले वर्ष के बजट मे से लघु सिंचाई में 27 प्रतिशत, वन में 49 प्रतिशत, आयुर्वेद में 15 प्रतिशत, मत्स्य पालन में 23 प्रतिशत, ग्रामोद्योग में 45, रेशम में 47, युवा कल्याण में 51 प्रतिशत, तो यह स्थिति पूरे बजट की है। हो सकता है कि पिछले दो माह में कुछ और स्वीकृत हो गया हो, लेकिन जब पिछले वर्ष का बजट पास करने के बावजूद आज बजट खर्च नहीं हुआ है तो आप नया बजट क्यों लेकर आये हैं, इसका औचित्य क्या है। बजट को यह सदन पास करता है और यह सदन का अधिकार बैठता है कि उस बजट के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी उस बात को बतायें कि पिछले वर्ष यह बजट क्यों नहीं खर्च हो पाया, किस कारण से सरकार की यह स्थिति है। मान्यवर, आज उद्घाटन की बात आई है, इसके लिये तो मैं संसदीय कार्य मंत्री को बधाई दूँगा कि उन्होंने अर्जी-फर्जी काम करने से मना कर दिया। जब इनको पता चला कि इन्हें हरिद्वार जाना है, तो इन्होंने कहा कि हरिद्वार में तो सब फर्जी उद्घाटन हैं, मैं वहाँ क्यों जाऊ, क्योंकि इन्हें मालूम था कि दो-तीन को छोड़ दे तो बाकी काम तो छः महीने पहले ही पूरे भी हो चुके हैं। कम से कम आप इस सदन की ऐसी सम्मानित मंत्री हैं कि जो भी सच होता है, उसे कहने में आप हिचकती नहीं हैं। वैसे अध्यक्ष जी भी ऐसे ही हैं, वह भी जो बात होती है, उसे कह देते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, यह कह रहे हैं कि आपको मक्खन लगा रहे हैं, आपको मक्खन कैसे लगेगा, आप तो पीठ पर विराजमान हैं। (व्यवधान) मंत्री जी तो बहुत सीनियर हैं, उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कह दिया है और जाने से मना कर दिया और आज तक नहीं गई, जब तक वह सारे उद्घाटन सही नहीं किये जायेंगे, वह नहीं आयेंगी, उन्होंने कह दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन से बाहर घोषणा की कि गर्मियों में 24 घंटे बिजली देंगे, बजट में इसके लिये कहाँ पर प्रावधान है, इस समय सर्दी का मौसम है, बिजली की खपत कम है, फिर भी बिजली नहीं है, अभी भी 10 घण्टे की एवरेज कटौती की जा रही है, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। आप कहाँ से बिजली लायेंगे, बिजली की व्यवस्था आपके

पास है नहीं, किन राज्यों से आप खरीदेंगे (व्यवधान) यह तो आपको अब जनता 2014 में देगी, यदि आपके क्षेत्र में आ रही है तो आपको बधाई है। (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि लोकसभा की कोई गारण्टी नहीं, विधान सभा की है। मान्यवर, आज बिजली के रेट की बात होती है, बिजली के रेट इस राज्य में फिर से बढ़ाने की तैयारी है, बिजली के रेट कम होने चाहिये थे। ऊर्जा प्रदेश बोला जाता है, यहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थिति है। अगर आप इस बजट के माध्यम से जनता को कोई राहत देते तो अच्छा होता। (व्यवधान) मान्यवर, आप दिल्ली से भी कम कर दीजिये, वहाँ पर आपके सहयोग से सरकार चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम इतने यूनिट तक कम रेट और फ्री में बिजली देंगे। आप वहाँ के अनुसार दे दीजिये, गुजरात की सरकार तो आपके सहयोग से नहीं चल रही है। मान्यवर, तो आप दिल्ली की बात क्यों नहीं करते जहाँ आपके सहयोग से सरकार चल रही है। वहाँ 700 लीटर पर डे पानी फ्री है, यहाँ आपने कौन सी व्यवस्था की है। (व्यवधान) मान्यवर, पानी फ्री नहीं है, पानी का बिल आता है। फ्री नहीं है। मान्यवर, आपने किसानों को पेंशन की बात कही है, आप किन किसानों को पेंशन देंगे यह कोई स्पष्ट नहीं हैं। आपने कहा कि राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के लघु सीमान्त उन्हीं कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी जो खेत जोत रहे हैं। आपने इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया कि कौन से किसान होंगे, कितने हेक्टेयर, कितने एकड़, क्या यह पूरे राज्य में लागू होगा। आपने इसमें अस्पष्ट रूप से लिखा है कि लघु एवं सीमान्त। अब इस लघु की क्या परिभाषा है, सीमान्त में कौन-कौन से जिले आपने इसमें लिये हैं, आपने बजट का प्रावधान भी इस रूप में नहीं किया है। किन किसानों को आप पेंशन देंगे और यदि देंगे तो कितनी पेंशन दी जायेगी। कहीं भी यह इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा है। मान्यवर, आज पंचायत राज की बात करते हैं। पता नहीं सरकार की क्या स्थिति है कि चुनाव को पीछे हटाने के लिए तीसरी बार कोर्ट जाना पड़ा, सरकार किस चीज से डर रही है। अब कोर्ट ने लास्ट में दिया है 10 दिन बाद का, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मान्यवर बहुत जोर-शोर के साथ खाद्य विभाग का केन्द्र सरकार का खाद्य अधिनियम बना था, उसका उद्घाटन कराया। जैसे अभी 09 तारीख को संकल्प दिवस कौन सा मनाया, क्या मनाया, जिसमें आप नहीं गयीं। (व्यवधान) जहाँ इस तरह के गलत काम है, आपको जाना भी नहीं चाहिए। सबसे सीनियर आप हमारी मेंबर हैं। हरबन्स कपूर जी से भी मुझे लगता है कि बराबर या थोड़ा सीनियर ही होंगी। मान्यवर, बड़ा उद्घाटन हुआ पूरे प्रदेश में एक ही दिन में, कितना उसमें खर्चा आया, क्या हुआ उद्घाटन के बाद। आज क्या स्थिति है, आपने उद्घाटन करा दिया आम लोगों को एक आस जगी कि केन्द्र ने कोई अधिनियम बनाया है और आम लोगों के लिए जिनकी 15 हजार रूपये तक आमदनी होगी उनके लिए 30 रू0 में 40 रू0 में पूरे महीने भर का राशन दिया जायेगा। जो पिछली योजना थी, पिछली सरकार की आपने वो भी समाप्त कर दी। उसमें हम 80 रू0 में, 100 रू0, में 80 रू0 में, 40 रू0 में उसको मिल तो रहा था, आम

लोगों को वह राशन प्राप्त तो हो रहा था, आपने उसको तो बन्द कर दिया। बडे जोर–शोर से प्रचार किया कि हम अपनी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, केन्द्र सरकार की व्यवस्था लागू हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करियें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप जितना समय 5, 10, 12 मिनट देंगे हम उतना ही बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपको पौन घंटा हो गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर इस सीट पर बैठकर आप भी ऐसा कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तक 05 मिनट हुए हैं। (व्यवधान) मान्यवर, आज वो राशन कार्ड बनने की स्थिति नहीं हुई जिलों में, आज वो सर्वे भी हो रहे हैं और 15 हजार तब, जब मैंने वहाँ के अधिकारी को पूछा है, कि हम राशन देंगे, उन्होंने कहा कि 50 परसेंट शहर में, 62 परसेंट गाँव में। 50 परसेंट अलग जो 15 हजार की आमदनी वाले होंगे, उनका क्या होगा, कि सरकार से निर्देश नहीं आये हैं कुछ, यहाँ सरकार कह रही है हम उनको लेंगे किसी योजना में बजट में कौन सा प्राविधान किया है ? आप बताईये मुझे। मान्यवर, दायित्वधारियों की बात कहना चाहता हूँ जाते–जाते कोई कह रहा है 40 बना गये कोई कह रहा है 25 बना गये, वह खर्चा सारा जनता पर ही तो पड़ेगा। 100 से ऊपर तो अभी हो गया है अखबार में आता है हमने बनाये नहीं हैं। मान्यवर, स्टेट डिजास्टर की बात इस बजट में कही गयी है। एनडीआरएफ की बात लगातार सरकार ने कहीं है। सरकार बिना तैयारी के कोई काम करती है तो उसकी परिणति यही होती है। अगर उसके लिए आपको जमीन का चयन करना था तो पहले जिस विभाग की जमीन लेनी थी, जिस संस्थान की जमीन लेनी थी, उससे बात करनी चाहिए थी आपने दो लाईन का आदेश कर दिया कि अमुख स्थान पर इतने एकड़ जमीन सरकार को दे दी जाये। संस्थान कोर्ट गया और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कहा कि सरकार ने होमवर्क पूरा नहीं किया इसलिए इसको निरस्त किया जाता है। चाहे वह डिजास्टर स्टेट का हो चाहे वह नेशन का हो कहाँ बनेगा, उसकी व्यवस्था किस रूप में की है, बजट में केवल लिखा है कि हम ला रहे हैं। आपने क्या व्यवस्था की यदि उस जमीन को लेना पड़ेगा तो उस संस्थान से बात करनी पड़ेगी, इसके लिए आपने बजट में क्या प्राविधान किया है। मान्यवर, आपने कहा है कि हम इन्टरमीडिएट में, पालिटेक्निक और आई0टी0आई0में प्रवेश प्रत्येक छात्र

को नॉलेज बुक प्रदान करेंगे। वह कौन सी नॉलेज बुक होगी। आप उनके कोर्स की कुछ पुस्तकें कहते। जैसे कक्ष 01 से कक्षा 08 तक की पुस्तकों को हम विद्यालयों में देते हैं। भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार योजना प्रारम्भ करेगी। मान्यवर, आज राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति सामने है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। वह हमारे हरिद्वार से सांसद भी हैं यह हमारा सौभाग्य भी है। उन्होंने 1607 चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, सांसद होते हुए। अब किसको लिखेंगे। वह सारी किसानों से लेकर और डिजास्टर से लगाकर थी। उन पर कार्यवाही क्या होगी। जैसे कल अजय भट्ट जी ने कहा जब कार्यवाही नहीं होनी थी, चिट्ठी लिखकर कहते थे कि कार्यवाही नहीं होगी तो मैं तो 'हरि की पैड़ी' पर भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, आवश्यकता पड़ी तो कुछ और करूँगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो 1607 चिट्ठी लिखी थी उनका समाधान हो जायेगा, उस पर खुद ही कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उन 1607 चिट्ठियों का बजट ही 10–12 हजार करोड़ बैठेगा। इसका बजट में तो समाधान हो। हम इन चिट्ठियों को सूचना के अधिकार में हर विभाग से मंगा रहे हैं। हमारे पास सात सौ, आठ सौ आ गई हैं। इन चिट्ठियों में 10 हजार करोड़ से ज्यादा की घोषणायें हैं। उसमें उन्होंने कहा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब वह खुद मुख्यमंत्री हैं। इसका बजट में तो प्राविधान हो। मान्यवर, आज यह परिस्थिति बनी है बजट तो आया है बजट में सारे प्राविधान कहाँ हैं। एक विशेष सत्र बुलाया था, सरकार के अन्दर इतना घमासान था कि वह लगातार सत्र बढ़ाते गये। सत्र तो बढ़ गया लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद चले गये।

श्री बिशन सिंह चुफाल:–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट भाषण में बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के लिए कोई भी योजना नहीं की गई है। बजट भाषण के हर पन्ने में मिल रहा है केन्द्र सरकार को धन्यवाद। इस प्रकार केन्द्र सरकार से आपदा के लिए सरकार ने 15 सौ करोड़ की माँग की थी और सात हजार तीन सौ करोड़ आवंटित हो गया। मान्यवर, लेकिन इस सरकार में आठ महीने तक धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दिया है। क्योंकि इस समय पुनर्वास की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी लोग टेन्ट में रह रहे हैं। आज भी तीन हजार रूपये किराया दे रहे हैं और हमारे पास 65 प्रतिशत वन भूमि है। इसके अलावा हमारे ग्राम पंचायतों में सिविल भूमि भी है और बेनाप भूमि भी है, गोचर पनघट है। जिसमें अंग्रेजों के समय से उन गांवो वालों का अधिकार है। आज उन स्थानों पर लोगों को पुनर्वास क्यों नहीं किया जाता है? आज उन प्रभावित परिवारों के लिए रोजी–रोटी की

समस्या खड़ी है, आपने किराया दे दिया और वे क्या खायेंगे? आपने उन लोगों के लिए टैन्ट बनाया और फिर आप उनके लिए टिन शेड बना रहे हैं। आप उनके लिए पक्के मकान क्यों नहीं बना रहे है? पैसा आपके पास है और केन्द्र का आपने अभी हवाला दिया है और महामहिम राज्यपाल जी का भी अभिभाषण हमने सुना, लेकिन उसमें भी इन शब्दों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। अन्य राज्यों से या विदेशी संस्थाओं से आपको कोई राशि मिली होगी और इसका उल्लेख न ही महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में है और न ही बजट भाषण में है। इसमें बहुत सारे संस्थाओं ने सहयोग किया होगा। उसका वर्नन इसमें होना चाहिए था। मान्यवर, सरकार ने प्रदेश में एक स्थानान्तरण नीति बनाई और आज प्रदेश के सारे विभागों में पद रिक्त हैं। जब अधिकारी नहीं होगा तो पैसा किसमें खर्च होगा। विद्यालयों में अध्यापक नहीं है तो विद्यालयों में छात्र कहां से होंगे। सरकार को पूरे प्रदेश और पहाड़ की कोई चिन्ता नहीं है और जिस तेजी से पहाड़ से पलायन हुआ उसका कारण यही है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो वहां एक शासनादेश था। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के लिए, जब तक कोई प्रतिस्थानी नहीं आयेगा तब तक उस कर्मचारी को नहीं छोड़ा जायेगा। वह आदेश था लेकिन वह आदेश लागू नहीं हुआ। यदि किसी का मैदान में प्रमोशन हो जाता था तो उसका प्रति स्थानी वहाँ पर आता था। इसलिए आज सारा पहाड़ खाली है। इस सरकार ने बहुत सारे विद्यालयों का उच्चीकरण भी किये हैं। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय है जहाँ पद सृजित नहीं हैं और एक विद्यालय मेरी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज दूनाकोट भी है, जो जनता के सहयोग से दो साल से चल रहा है। ऐसे ही प्रदेश में 25 विद्यालय चल रहे हैं। आप पद सृजन नहीं करेंगे तो विद्यालय तो चलेंगे ही नहीं, जनता चला रही है और वहाँ पर छात्र संख्या 50–60 से ऊपर है और परीक्षाफल भी शत–प्रतिशत निकल रहा है। केवल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये विद्यालय खुले हैं। इस प्रकार से सरकार कैसे चलेगी? हमने प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना शुरू की थी और आपके समय में भी कस्तूरबा गांधी से लेकर राजीव गांधी योजना पूरे देश और प्रदेश में चल रही हैं और एक योजना हमने भी चलाई, उन लोगों के लिए जिनके पास आवास नहीं हैं, कि उनको आवास दिलाया जाय। लेकिन बजट में प्राविधान है कितना, मात्र चार सौ मकान का।

मान्यवर, विकास खण्ड 96 हैं और एक विकास खण्ड को 4 मकान नहीं मिल पा रहे हैं तो जनता को इस प्रकार गुमराह क्यों कर रहे हैं। आपने बजट में कटौती क्यों की आपको बढ़ाना नहीं था तो जो पहले से था उसको रहने देते, हमने अपनी सरकार के समय में अटल आदर्श गाँव की न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत का उप केन्द्र तक सड़क जोड़ने का काम किया, पैसा दे दिया लेकिन 20–22 महीने में उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया, डी0पी0आर0 नहीं बन रही है, इसके लिए पैसा हमने दे रखा है, उदाहरण के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र गोडी न्याय पंचायत में 5 कि0मी0 सड़क के लिए पैसा है, लेकिन उसकी अभी तक डी0पी0आर0 नहीं बन पाई है। मान्यवर, सरकार ने बिल्कुल नई

योजना चालू की, प्रचार–प्रचार भी किया और वह है सीमान्त पिछड़ा वर्ग और सभी विकास खण्डों में आदेश कर दिये कि आप सड़क, खड़ंजे, पेयजल, बिजली के विकास के लिए करोड़ों के स्टीमेट बनाकर शासन को भेजें, लेकिन बजट का प्राविधान एक विकास खण्ड में मात्र 60 लाख रूपया किया है, तो उस 60 लाख रूपये से एक कि0मी0 सड़क नहीं बन सकती है और आपकी दर्जनों योजनायें हैं, यह कैसी सरकार है, जनता सब देखती है, जब पढ़ती है अखबरों में, सुनती है। मान्यवर, आपने प्रदेश में राजीव गाँधी विद्युत योजना लागू की, लेकिन आपने मानक रख दिया कि 50 से 100 लोगों वाले तोकों को ही बिजली मिलेगी, 49 लोग भी होंगे तो बिजली नहीं मिलेगी, जबकि छोटे–छोटे तोकों को भी बिजली मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चुफाल जी, संक्षेप करें।

श्री विशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, एक गाँव मेरे क्षेत्र में है, पापाली और खेतीगाड़ तोक सीमा पर लगा हुआ है, नेपाल में उजाला होता है और गाँव में अंधेरा होता है, तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में छोटे–छोटे तोक छूटे होंगे। मान्यवर, पेयजल में बहुत सारी घोषणायें इस प्रदेश में हमारी सरकार ने की हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के नगर पंचायत में 23 करोड़ की योजना स्वीकृत थी, लेकिन पैसा 3 करोड़ 88 लाख स्वीकृत किया था और वह पैसा आज तक न देने के कारण योजना आज तक अधर में अटकी हुई है। मान्यवर, पालीटेक्निक कॉलेज के लिए आप कह रहे हैं कि हमने नये–नये पदों के लिए पद सृजित कर दिये हैं, लेकिन जो पॉलीटेक्निक कॉलेज खुले हुये हैं जिनमें बिल्डिंग के लिए पैसा है, डीडीहाट और कनालीछिना पॉलीटेक्निक के लिये है और वह पैसा दो साल से जिला अधिकारी कार्यालय के पी0एल0ए0 में जमा है और काम करना नहीं चाहते और बदले की भावना रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चुफाल जी, समाप्त करें।

श्री विशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आप कह रहे हैं आई0टी0आई0 के लिए घोषणा कर रहे हैं, हमने स्वीकृत कराये, लेकिन उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी, टोकन मनी दे दिया और पद स्वीकृत नहीं थे, देवलथल आई0टी0आई0 के लिए पद स्वीकृत किया जाय। आपके नगर पंचायत डीडीहाट में बरात घर, टैक्सी स्टैण्ड है जिसमें 80 प्रतिशत काम हो चुका है, केवल अंतिम किस्त मिलनी थी वह पैसा रोक दिया गया है, यह पैसा जनता का पैसा है, कॉंग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा नहीं है, जिन कामों में पैसा देना जरूरी है उसमें दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सुझाव दिये थे, मैं उन सुझावों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, कल मैंने नियम 53 पर एक सूचना दी थी, उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन का क्या होगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी सदन में नहीं हैं, जवाब कौन देगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं तो बोल लूँ, लेकिन सुनेगा कौन, मंत्री जी तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात को रखिये, दो माननीय मंत्रीगण बैठे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली कहती है कि जिस मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया हो, उसी का उपस्थित रहना जरूरी है। जब वही उपस्थित नहीं हैं तो बोलने का फायदा क्या है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बजट के पृष्ठ 3 में लिखा है कि "हमारा मिशन है कि हम आने वाले अल्पकाल में ही इस प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी एवं अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों को पुनः अपने पूर्व रूप में खड़ा करेंगे और ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखण्ड की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो।" मान्यवर, अल्पकाल कहने का मतलब यह है कि इस सरकार के पास अब समय नहीं है और सरकार यह स्वयं मान चुकी है कि हमारे पास समय नहीं है। इन्होंने यह भी लिखा कि इन्हें इसके पूर्व रूप में खड़ा करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी एवं अर्थव्यवस्था के सभी घटक पूर्व रूप में भी नहीं हैं, क्या यह उससे भी नीचे जा चुके हैं, क्या हमारा प्रदेश इन घटकों के मामले में भी नीचे जा

चुका है। कहा जा रहा है कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा तरीका है जिससे यह सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को शार्ट समय में, थोडे समय मे सुदृढ़ कर लेगी। मान्यवर, बजट के पृष्ठ सं0 09 पर यह लिखा है कि आपदा से निपटने के लिए एन0डी0आर0एफ0 में रू0 1207 करोड़ 87 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है एवं केन्द्रांश राजपोषित योजनाओं तथा ग्राम्य सहायतित योजनाओं सहित विशेष ए0पी0ए0 के अन्तर्गत राज्य को 2013–14 से 2015–16 की अवधि हेतु रू0 6722 करोड 26 लाख का विशेष आपदा पैकेज स्वीकृत हुआ है। मान्यवर, 2012–13 में कितनी राशि इसमें से मिली और सरकार ने कहाँ उसका प्रयोग किया। मैं सरकार से यह भी जानना चाहूँगा कि 2013–14 में कितनी राशि मिलने की उम्मीद है यह आश्वासन केन्द्रीय सरकार से है, और जिसका बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था और जो कहीं भी बजट में दिखाई नहीं देता। इसका खर्च भी कहाँ किया जायेगा, बजट में कहीं भी प्रस्तावित नहीं है। मान्यवर, पृष्ठ सं0 12 भदरौच खान, अल्मोडा, गौचर, चमोली, गढ़ड, खिर्सू, पौडी, रूद्रप्रयाग एवं टिहरी में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। मान्यवर, मैं यह समझता हूँ कि ऊपर तो जो पशु हैं भेड, बकरी और थोडी बहुत कहीं गाय हैं, लेकिन दुग्ध का काम नीचे मैदानी क्षेत्र में अधिक होता है। मेरा सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि ऐसा एक महाविद्यालय जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जाय तो उचित होगा। मान्यवर, यह भी लिखा है कि राज्य के 60 वर्ष व अधिक आयु के लघु एवं सीमान्त उन्हीं कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी जो खेत जोत रहे हैं। लघु एवं सीमान्त से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है यह हमारी समझ में नहीं आता है। क्या वो किसान जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उनको भी दी जायेगी, या जो हल–बैल से जोतते हैं मात्र उनको ही दी जायेगी। अब अपने हाथ से हल जोतने वाला कौन है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अपने हाथ से खेत जोतने का मतलब है जुता हुआ खेत, उसे चाहे कोई भी जोतता हो। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीजें अंतर्निहित होती हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसके पृष्ठ संख्या–14 पर यह अंकित है कि पर्वतीय जनपदों में चकबंदी की कार्यवाही प्राथमिकता पर प्रारम्भ की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में स्वैच्छिक चकबंदी हेतु एक ग्राम का चयन किया जायेगा और रू0 01 करोड का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में लगभग 20 साल पहले से चकबंदी लगी हुई है और सारी तहसील का रिकार्ड चकबंदी वालों के पास है और 20 साल से किसी सरकार ने इसको यह नहीं कहा

कि या तो चकबंदी पूरी कर लो या फिर रिकार्ड वापस काशीपुर तहसील में भेज दिया जाये। मान्यवर, चकबंदी वाले अपनी जिम्मेदारी को तहसील के कार्यकलापों के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं समझते हैं और कृषक उनके पीछे–पीछे खसरा, खतौनी कुछ भी लेना होता है तो वो चकबंदी वालों को ढूँढते रहते हैं। हमारा यह विनम्र निवेदन है कि चकबंदी जरूर की जाये लेकिन जो पूर्व में व्यवस्था जहाँ–जहाँ पर चकबंदी की है, वहाँ पर यदि चकबंदी होनी आवश्यक है तो चकबंदी कम्पलीट करायी जाय।

मान्यवर, अगर नहीं है तो वह रिकार्ड चकबन्दी विभाग से तहसील को वापस कराया जाये। ऐसे ही सितारगंज में बंदोबस्त प्रक्रिया बहुत लम्बे समय से लम्बित है। वहाँ पर बन्दोबस्त प्रकिया के आदेश हैं, लेकिन किसानों के बन्दोबस्त किये जाने के लिए तहसील पर पता नहीं कोई पाबंदी लगा दी है, किसान अपने आप में चकबन्दी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तहसील इसको स्वीकार नहीं करती है। मैं इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी पष्ठ 14 पर अंकित है कि कलियर शरीफ में उर्दू एवं फारसी अकादमी तथा देहरादून में पंजाबी अकादमी का निर्माण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे शासन से विनम्र निवेदन करना है कि मैदान के पंजाबी भाषी क्षेत्र में पंजाबी को दूसरी भाषा दिये जाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार इसके ऊपर अवश्य विचार करेगी। मान्यवर, पृष्ठ–15 पर यह अंकित है कि बागों एवं खेतों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मनरेगा, आरकेवीवाई तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विशेष संसाधन जुटाये जायेंगे तथा ऐसी ग्राम सभाएं एवं वन पंचायतें जो इस निमित्त आगे आयेंगे, उन्हें पूर्ण सहायता दी जायेगी। मान्यवर, मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसका लाभ उत्तराखण्ड ले ही नहीं पाया। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इसका लाभ सही मायने में ले चुके हैं। मनरेगा में कुछ भाग उसका ऐसा है जो उसके कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल पर लगाया जाता है और उसका अधिक भाग उसके लेबर पर यदि लगाया जाता है। जहाँ लेबर मिलती है वहाँ उसको आपस में सिन्क्रोनाइज किया जाये तो वह काम उससे सिन्क्रोनाइज हो ही नहीं पाता। इसलिए मेरा कहना है कि मनरेगा से जंगली जानवरों के नुकसान को बचाने की बात करना यह सत्यता से परे है। मान्यवर, पेज नम्बर–19 पर अंकित है कि विभिन्न प्रकार के बीजों फलों को कलमी फलों के रूप में प्रस्थापित करने के लिए प्रदेश में चार मदर नर्सरी एवं प्रत्येक जनपद में एक सामान्य नर्सरी बनाई जायेगी। मान्यवर, मेरा इसमें विनम्र निवदेन है कि एक मदर नर्सरी रामनगर में खोली जाये। रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आम, लीची, आडू आदि फलों के लिए वहाँ की धरती उपयुक्त है, जिसमें फल बहुत होता है। अगर वहाँ पर नर्सरी लगाई जानी प्रस्तावित की जायेगी तो मैं सरकार का आभार प्रकट करूँगा। मान्यवर, पृष्ट–21 पर अंकित है कि केन्द्र पोषित योजनाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप यह सम्भावित है कि इनमें से कई योजनाओं में केन्द्रीय सहायता अब राज्य

के बजट के माध्यम से प्राप्त होगी तथा शेष योजनायें पूर्ववत् ही क्रियान्वित की जायेगी। इन परिकल्पनाओं के आधार पर 13वें वित्त आयोग जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनएचएपी, ई गैवनेन्स, बीआरजीएफ, बीएडीपी आदि विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से लगभग 10509.74 करोड़ रूपये का अनुदान वर्ष 2014 में प्राप्त होना अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए बजट में प्रादेशिक अंशदान का प्राविधान नहीं किया गया है और इसका उपयोग किस मद में किया जायेगा। यह बजट में कहीं भी प्रदर्शित नहीं है। मान्यवर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मद में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन भी राज्य की राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश के 46 उप–निबन्धक कार्यालयों में से मान्यवर, सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले 18 उप–निबन्धक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। लेकिन मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि काशीपुर रजिस्ट्रार कार्यालय बहुत छोटा है। वहाँ पर रजिस्ट्रार एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं और दो कमरे और छोटे से हैं और जो रजिस्ट्री कराने वाले लोग हैं वहाँ पर आकर अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं और बाहर लाईन लगाकर खड़े रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिन्दु को आप विशेष नोट कर लें। वहाँ पर दो कमरों का और प्राविधान कर दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या वहाँ पर खाली जगह है?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, वहां पर जगह बहुत है। यदि वहाँ पर दो कमरों का प्राविधान कर दिया जाय तो उचित होगा। मान्यवर, राज्य के सर्वांगीण विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह सही बात भी है। वर्तमान में सड़क परिवहन ही पर्वतीय क्षेत्र में एक मात्र तथा शेष क्षेत्र में यातायात का प्रमुख साधन हैं और यह भी सत्य है कि कर ढाँचे में सरलीकरण हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2013 लागू किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, अपनी बात को अब समाप्त करें, इसमें जो भी जोड़ना है, उसको जोड़ लें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, प्रदेश में आर0टी0ओ0 को जानना, जनता भूल चुकी है। ऊधमसिंह नगर में खनन द्वारा चल रहे डम्परों की ओवर लोडिंग से, ट्रकों की ओवर लोडिंग से और अन्य ओवर लोडिंग से, खटीमा से लेकर जसपुर तक दो या अधिक एक्सीडेंट रोज

और वहाँ पर तीन से चार मौतें रोज हो रही है और वहाँ पर कोई इन ओवर लोडिंग को चेक करने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार नागरिक उड्डयन में, पन्तनगर हवाई पट्‌टी के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जो काम अभी रूका है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट की आवश्यकता है। इसी प्रकार से औद्योगिक विकास में है। राज्य के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सत्य है। इस हेतु राज्य सरकार औद्योगिक निवेश व औद्योगिक इकाईयों के सफल संचालन हेतु प्रयासरत है। यह भी सत्य है। इसमें आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की जानी चाहिए। इसमें पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब अपनी बात को समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, अब गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी समय की कमी के कारण मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि काशीपुर चीनी मिल में इस सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। काशीपुर की गन्ना मिल और वहाँ का मालिक, उस मिल को छोड़कर जा चुका है वह दिल्ली निवासी है और उसने किसानों का पिछले तीन साल से 42 करोड़ रूपये और उनके लेबर का तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन देना है और सरकार से वह किसान बार–बार कहते आये हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गन्ना वहाँ दिया था, जिसकी वहाँ की समिति ने पर्ची दी थी और समिति का सीधा–साधा सम्बन्ध वहाँ के केन कमिश्नर से है। यानी शुगर मिलों को जो गन्ना देने की व्यवस्था है वह सरकार की अपनी व्यवस्था के मुताबिक है। इस प्रकार से समिति के माध्यम से गन्ना शुगर मिलों को दिया जाता है। मान्यवर, किसानों की 42 करोड़ रूपये की धनराशि को वह नहीं देगा तो ऐसा कैसे हो सकता है? और इससे बड़ा दुःख का विषय और क्या हो सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उसने वहाँ की शुगर मिल छोड़ दी है और उसने दूसरे राज्य में शुगर मिल खोल दी है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आप ठीक कह रही हैं, उसने दूसरे राज्य में शुगर मिल खोल दी है।

मान्यवर, आपका विशेष ध्यान इसलिए देना चाहूँगा कि मेरे काशीपुर क्षेत्र में किसान और वहाँ के कर्मचारी बड़े रूप में आंदोलित हैं और वे यहाँ पर आते हैं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है, यह सरकार प्रदेश की है, सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष–

• माननीय चीमा जी, समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, काशीपुर में आवागमन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ की रेल लाईन शहर की बीचों बीच से होकर गुजरती है और उसकी क्रासिंग एन0एच0–74 पर है और वह एक दिन में कम से कम 6–7 घण्टे तक बन्द रहता है, इसके लिए ओवर ब्रिज का प्रस्ताव सरकार की तरफ से है और इसके लिए पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यरत् है, तो इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है इसलिए मेरा निवेदन है कि उसकी व्यवस्था बजट में दी जाये। मान्यवर सरकार के द्वारा जो 1800 करोड़ के शिलान्यास किये गये हैं इससे जनता को भ्रमित किया गया है, मैं उदाहरण देता हूँ कि बाजपुर में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जिन सड़कों का शिलान्यास किया गया था और मंत्री जी के द्वारा इन्हीं सड़कों का शिलान्यास कर दिया और आंकड़े बढ़ा दिये, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह सर्व विदित है कि काशीपुर जिले की मांग बहुत पुरानी मांग है, इसमें चाहता था कि काशीपुर को जिला बनाये जाने की धारणा से बजट में उसकी व्यवस्था की जाती, लेकिन दुःख है कि सरकार को काशीपुर जिला तो अभी क्या बनाना है, जो बनाये हुये चार जिले थे उनको भी यह सरकार खा गई और सरकार का जिला और तहसील बनाने का कोई इरादा महसूस नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान देगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कल पाँच विभागों का बजट है अभी तक हमें बजट की कोई सामग्री नहीं मिली है, हम कटौती का प्रस्ताव कैसे रखेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं पता करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री हरबन्स कपूर जी ने नियम–310 में सूचना दी थी जिसमें मैं नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, बहुत गम्भीर है, ऐसा लगता है कि अपराधियों को न तो शासन का और न प्रशासन का कोई डर रहा है और जब चाहें जो चाहें वे धड़ल्ले से कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण एक यह भी है कि जब सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेसिराईज्ड किया जायेगा, उन पर दबाव डाला जायेगा मान्यवर, इस सूचना पर एफ0आई0आर0 दर्ज होनी है या नहीं होनी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कानून एवं व्यवस्था पर सरकार कोई अंकुश लगा पायेगी। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा परन्तु ऐसी अनेक घटनाएं रोज घट रही हैं और सरकार अपने आप को विफल मान रही है क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उदाहरण के रूप में दो बहुत ही मामूली प्रकरण थे। 19 नवम्बर, 2013 को एक मामूली सी घटना हुई देहरादून के पण्डितवाड़ी क्षेत्र में, इसमें आपसी बातचीत हुई और इसमें फैसला भी हो गया था, परन्तु न जाने किस दबाव में फिर एक पक्ष की रिपोर्ट लिख दी गयी और जब दूसरे पक्ष ने अपनी बात कहनी चाही तो उसे रात के एक बजे तक वहाँ धरना देना पड़ा तब कहीं जाकर उसकी एफ0आई0आर0 लिखी गयी, परन्तु वह भी रद्दी की टोकरी में डाल दी गयी। मान्यवर, इसी तरह से 29 दिसम्बर, 2013 को प्रेमनगर चौकी के क्षेत्र में एक घटना हुई और चौकी पर ही एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया वहाँ पर तोड़–फोड़ भी हुई और वहाँ पर पुलिस के दरोगा का जो कमरा था, उसका फर्नीचर तोड़ा गया, खिड़की तोड़ी गयी और उसे नुकसान पहुँचाया गया। परन्तु जिस घटना की शियो–मोटो रिपोर्ट होनी चाहिए थी, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था। उसे न जाने किस कारण से, किस दबाव में आकर, उस घटना का संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया, जबकि बार–बार पुलिस विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को इस घटना के बारे में अवगत कराया जा रहा है। मान्यवर, आज ही एक घटना हुई है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बढ़ गये हैं और अपराधी दबंगई से अपराध करके भाग जाते हैं। आज साढ़े आठ बजे के लगभग गुरु रोड, जो एक पॉश कॉलोनी है वहाँ पर दो नवयुवक एक मोटर साईकिल पर आये और मोटर साईकिल नीचे खड़ी थी उसे बंद नहीं किया गया एक लड़का प्रथम तल पर गया, दरवाजा खटखटाया और एक व्यक्ति निकल कर बाहर आया, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी और उनका नाम धर्मपाल था। अपराधियों द्वारा उनका नाम पूछा गया जब उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मपाल बताया तो दूसरे व्यक्ति ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल दी और धर्मपाल की छाती पर फायर कर दी और धर्मपाल वहीं पर मर गया। मान्यवर, ऐसा लगता है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो चुके हैं कि न तो उन्हें जनता की परवाह है, न पुलिस की परवाह है और न ही सरकार की परवाह है। ऐसी स्थिति में छोटी–मोटी घटनाएं तो आम रोजमर्रा की बात हो गयी हैं। मान्यवर, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य हरिद्वार की घटना का जिक्र कर रहे थे, उस पर भी अभी तक कोई

कार्यवाही नहीं हुई है। अब बलात्कार और गोली मारना एक आम सी बात हो गयी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में, जब प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो समस्त कार्यवाही को रोक कर, सदन में इस पर चर्चा करायी जाय। मान्यवर, जिससे कि आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और जो उसका अधिकार है, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना निर्वहन कर सके। शासन और प्रशासन के प्रति जो उसका विश्वास उठ गया है, वह दोबारा जागृत हो सके और आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। यह प्रश्न अपने आप में बहुत गम्भीर है, तात्कालिक है और अविलम्बनीय भी है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और नहीं हो सकता है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कि पूरे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय, धन्यवाद।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय कपूर साहब ने यह जो कानून व्यवस्था से संबंधित विषय सदन के समक्ष रखा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जिस घटना का उल्लेख माननीय कपूर साहब ने किया, प्रातः साढे आठ बजे बदमाश आये और घर पर नाम पूछकर उसको गोली मार दी, आज यह स्थिति पूरे प्रदेश में हो गई है। जब यह राज्य नहीं बना था तो हम लोग कहते थे कि राज्य बनने के बाद इस देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था में सुधार आयेगा। पता नहीं क्या कारण है कि पिछले दो वर्षों से कानून व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो गया है, इस कारण इस देवभूमि के लोगों के मन में एक डर और भय का वातावरण है। यह एक ही घटना नहीं है, यदि हम पिछले दो साल में देखें तो लगभग दो दर्जन से ज्यादा हत्यायें, तीन दर्जन से अधिक बलात्कार तथा हत्याओं की घटना, दर्जनों लूट की घटनायें, जो इस प्रदेश में घटी हैं, वह वास्तव में इस प्रदेश की और देवभूमि की कानून व्यवस्था को बताने वाली घटनायें हैं। मान्यवर, पिछले दिनों, इसी सदन में आप ही के सम्मुख हरिद्वार की घटना को कार्य स्थगन के रूप में उठाया था और सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देते हुये कहा था कि एक सप्ताह के अन्दर ही इसका रिजल्ट आ जायेगा। पहले एस0एस0पी0 फिर डी0जी0पी0 और फिर मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गये और उन्होंने वहाँ पर उस प्रकरण को खोलने की बात कही थी और इस सदन में भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सप्ताह भर में हम इस प्रकरण को खोलने के नजदीक में हैं और यदि नहीं खोल पाये तो हम उच्चस्तरीय जाँच के आदेश दे देंगे। ना तो वह प्रकरण खुला, न उच्चस्तरीय जाँच के आदेश हुये। देहरादून में सैनी की पत्नी को दिन–दहाड़े मार दिया गया, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, रामपाल हत्याकांड में कोई प्रगति नहीं हुई, शिवालिक नगर में स्थिति ज्यों की त्यों है, वकील की पत्नी की हत्या के विषय में कोई प्रगति नहीं हुई। मान्यवर,

यह इस प्रदेश में क्या हो रहा है, आखिर सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं। सरकार की अपनी लड़ाई होगी, नेतृत्व की लड़ाई होगी, मंत्रियों के विभाग की लड़ाई होगी, वह अपनी जगह है, लेकिन अगर बदमाशों के हौंसले बाहर इस रूप में आने लगें कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और वह इस प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को खराब करने लगें। उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमायें हैं, पहले हम वहाँ की चिन्ता करते थे कि वहाँ पर अपराधी आ जाते हैं, वह असुरक्षित हैं, लेकिन आज अल्मोड़ा में देख लीजिये, उत्तरकाशी में देख दीजिये, टिहरी और नैनीताल में देख लीजिये। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर हम विकास की बात करते हैं, कानून व्यवस्था के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि उनके मन में जो सोशल सिक्योरिटी की बात है, जो हम कहते हैं कि यहाँ की जो शान्ति व्यवस्था है, यदि उद्योगपतियों के नाम पर आज यह बात आ गई।

मान्यवर, दिन दहाड़े कनपटी पर रख कर लूट की घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस कानून व्यवस्था के विषय पर आप सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें जिसमें सदन के सभी सदस्य इधर के और उधर के भाग लेंगे और कहीं न कहीं सरकार को मुझे लगता है कि सद्बुद्धि जरूर आयेगी। आपसे निवेदन है कि इसे कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, आज दिनांक 12.02.2014 को श्रीमती सुदेश द्वारा थाना पटेलनगर में सूचित किया कि लगभग 08.00 बजे 02 युवक उनके घर पर आये तथा उनके पति के बारे में पूछने लगे तथा जैसे ही उनके पति बाहर आये उनके पति को गोली मार कर भाग गये। उन्हें अस्पताल उपचार हेतु ले जाने पर चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना पटेल नगर पर 37/14 धारा 302 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत हुआ है। अपराध की अनावरण की दिशा में प्रारम्भिक विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक धर्मपाल मूल रूप से जनपद बागपत उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा विगत 3-4 वर्षों से देहरादून में रह कर जमीन खरीद--फरोख्त के कार्य में संलिप्त रहे। हत्या से सम्बन्धित अपराधों के सफल अनावरण एवं त्वरित निस्तारण हेतु देहरादून में विगत दिनों मानव वध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा हत्या के अनावरण की दिशा में उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। उक्त टीम को इस हत्या के अपराध के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया है। विगत दिनों में जो भी महत्वपूर्ण आपराधिक एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धित घटनाएं घटित हुयीं उनमें त्वरित विधिक कार्यवाहियाँ करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। जनपद पुलिस के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा भी जनपद स्तर पर आपराधिक अभिसूचनाओं को संकलित कर अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। प्रदेश स्तर पर गठित एस0टी0एफ0 के द्वारा भी संगठित अपराधों पर अभिसूचनाओं का संकलित कर,

अन्य प्रदेशों के साथ उचित समन्वय स्थापित करते हुए अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा रही है। घटना के अनावरण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा सुनियोजित प्रोफेशनल पुलिसिंग के कारण जघन्य अपराधों में पहले से कुछ कमी आयी है और इस संबंध में निर्देश एस0ओ0जी0, स्पेशल टास्क फोर्स को दे दिये गये हैं कि तत्काल इस हत्या का खुलासा करें।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, निश्चित रूप से वो उससे संतुष्ट होंगी और अपनी सरकार को वाहवाही भी दे रही होंगी कि कमी आयी है, परन्तु जो घटनाक्रम घट रहे हैं, पुलिस यह बात कहेगी कि हम रिपोर्ट तभी लिखेंगे जब ऊपर से आदेश मिलेंगे और हम बाध्य हैं, हम दबाव में हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी नहीं आई है, अपराध बढ़ेंगे। 19 नवम्बर का जो मैंने उदाहरण दिया है आपके समक्ष, 29 दिसम्बर का दिया है, उसमें मान्यवर, मामूली सी बात थी और उसका अपने आप निस्तारण हो भी जाता, परन्तु पुलिस चौकी पर हमला होना, वहाँ पर तोड़–फोड़ होना, उसका पुलिस के द्वारा संज्ञान न लेना और रिपोर्ट लिखाये जाने पर भी रिपोर्ट न लिखा जाना, अभी तक नहीं लिखी गयी है, यह अपने आप में संगीन बात है। यदि ऐसी घटनाएं घटेंगी तो निश्चित रूप से यहां अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह आज वाली घटना के बारे में बता रहे हैं या कोई दूसरी घटना है।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मैं पहली वाली घटना की बात कर रहा हूँ। 29 दिसम्बर, 2013 प्रेम नगर चौकी, थाना कैण्ट, देहरादून, मेरे विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आजकल तो नियम है यदि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा सकती है।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, रिपोर्ट आजतक नहीं लिखी और उसे अदालत में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, परन्तु अभी प्रकरण लम्बित है अदालत में और उसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग प्रभावित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की भी सिफारिश कर दी गयी है। मान्यवर, इससे गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर सरकार गंभीर है कानून–व्यवस्था को ठीक करने में, तो निश्चित रूप

से उसे इन बातों का संज्ञान लेना पड़ेगा और इस बात के निर्देश देने पड़ेंगे कि आखिर वो दबाव कहाँ है। मान्यवर, उसकी जाँच करनी पड़ेगी, वह दबाव किसका है और किस कारण से यह रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही हैं और इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। वह दबाव जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक कानून व्यवस्था रास्ते पर नहीं आ सकती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसी की हत्या घर बुलाकर कर दी जाये, बहुत दुःखद है, निन्दनीय है और जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाने चाहिए। इस तरह लोगों की हिम्मत न बढ़े। इस दिशा में सरकार, प्रशासन और पुलिस विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार की घटना में क्या निर्णय हुआ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हरिद्वार की घटना इससे जुड़ी हुई नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप लॉ इन आर्डर पर बोल रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यस्थगन का प्रस्ताव होता है तो निश्चित एक विषय पर होता है। कानून व्यस्था कार्यस्थगन का विषय बन ही नहीं सकता। आप सवाल पूछ सकते हैं, यह बात अलग है। मैं इसकी जानकारी नहीं कर पाई, सदन चल रहा था, मेरी व्यस्तता थी, आपने याद दिलाया। मैं शाम तक पता कर लूँगी तब बताऊँगी। मान्यवर, आज की सूचना पर कहना चाहती हूँ कि यह घटना बहुत दुःखद है। मैं यहाँ उच्च अधिकारियों डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, होम सेक्रेट्री, एस0एस0पी0 से बात करूँगी। इनसे अब तक की प्रगति रिपोर्ट माँगूगी। उसकी सूचना दे दूँगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री कपूर साहब, श्री मदन कौशिक जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 06 फरवरी को बजटीय भाषण प्रस्तुत किया गया, उसके साथ अपने आप को सम्बद्ध करते हुए सबसे पहले मैं अपने केन्द्र की सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड में जो आपदा आई उसके

लिए उन्होंने त्वरित कदम उठाये, उसमें रेसक्यू के लिए और दीर्घकालीन कदम के रूप में 6722 करोड़ रूपये का पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए एक पैकेज उपलब्ध कराया। यह पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी आपदा में केन्द्र सरकार ने तत्परता से कार्य किया। मान्यवर, मैं इस दस्तावेज के बिन्दुओं पर तो बहुत बारीकी से नहीं जाना चाहूँगा। कुछ मुद्दे जरूर रखना चाहूँगा उनको सरकार सकारात्मक रूप से लेगी। मान्यवर, वाणिज्य कर से जो 60 प्रतिशत कुल आय हमारे उत्तराखण्ड की है, वह वाणिज्य कर से प्राप्त होती है, खनन उसका एक मुख्य अंग है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि एक डम्पर में जब माल बाहर निकलता है तो निकासी रवन्ना 600 रूपये का लगता है और उसमें जो रायल्टी लगती है, छोटी डम्पर की 2500 रूपये और बड़े डम्पर की तीन हजार रूपये और सबसे ज्यादा खेल है जो वाणिज्य कर, उसमें वैट में पाँच प्रतिशत कर दिया उसमें पता नहीं सरकार ने 13 प्रतिशत से 5 प्रतिशत क्यों किया। मैं समझता हूँ यह गलत किया गया। जो वैट लगता है वह उस रायल्टी के 2500 रूपये के ऊपर पाँच प्रतिशत वैट लग रहा है। जब वह डम्पर बाजार में जाकर बिकता है 25 हजार रूपये से 30 हजार रूपये में। यानि हम जो टैक्स ले रहे हैं मात्र 10 प्रतिशत जो उसका मूल्य है। अगर हम इसको बाजार का मूल्य निर्धारण करके, मान्यवर, वाणिज्य कर विभाग यह निर्धारण कर दे और चाहे रॉयल्टी पच्चीस सौ या तीन हजार रूपये लें और व्यापार कर, बाजार मूल्य निर्धारण के द्वारा हम कर देंगे तो इससे बहुत बड़ी आय हो सकती है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूँगा हमारी जो खनन की सतर्कता इकाई बनायी गयी है उसने बहुत तत्परता से काम किया, इसमें मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब एक गेट का निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि वहाँ से रोज 1500 सौ डम्पर खनन निकलता था और जो रमन्ना कटता था वह मात्र तीन सौ डम्परों का रमन्ना कटता था यानी 1200 सौ डम्पर वैसे ही निकल जाते थे, जिस पर रवन्ना नहीं कटता था। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा उसको बताना चाहूँगा। यदि उन 1200 सौ डम्परों का हिसाब लगाते हैं तो 90 करोड़ रूपये की रॉयल्टी प्रदेश को नहीं मिली और अगर उस पर वाणिज्य कर पाँच प्रतिशत के हिसाब से भी जोड़ा जाय तो 30 करोड़ रूपया वाणिज्य कर बनता है। अगर व्यापार कर के ऊपर वाणिज्य कर लेते तो उस पर आय बनती, तीन सौ करोड़ रूपये। अगर एक गेट के ऊपर एक साल में हम लगभग चार सौ करोड़ रूपये की आय खो रहे हैं। यह तथ्य चौकाने वाले हैं। मैं हाउस के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ चूँकि जब हम खनन नीति बनाते हैं तो कहीं न कहीं उन लोगों से हम अपने आप को सम्बद्ध कर लेते हैं, क्योंकि यह आकड़े प्रदेश के सामने, सरकार के सामने और वहाँ की जनता के सामने नहीं आते हैं। मैं यह एक गेट की चोरी की बात कर रहा हूँ, जो हमारी सतकर्ता इकाई है, उसने यह की है। ऐसे ना जाने कितने गेट होंगे अगर इसको ध्यान से देखा जाय तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार इसको गम्भीरता से लेगी तो लगभग दो हजार

करोड़ रूपये की आय हो सकती है और इससे उपभोक्ता के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ने जा रहा है। आप टैक्स 2500 हजार रूपये प्रति ले रहे हैं और वही डम्पर तीस हजार रूपये का बाजार में बिक रहा है। हम केवल 2500 हजार रूपये के ऊपर रॉयल्टी ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं उसका एक मूल्य निर्धारण तय कर लेते हैं कि हम इस पर टैक्स लेंगे, ठीक है हम रॉयल्टी 2500 सौ रूपया ले रहे हैं। जैसा कि लोक निर्माण विभाग दे रहा है, वह समय-समय पर देता है कि 50 से 70 रूपये क्विन्टल हमारा आर0बी0एम0 आ रहा है। हम उस रेट में लेते हैं और हम जो वसूल कर रहे हैं वह 25 रूपये क्विन्टल में कर रहे हैं। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर एक खेल और होता है एक डम्पर एक बार रॉयल्टी कटवाता है और वह उसमें से कई बार चक्कर लगा लेता है। क्यों न हम ऐसा करें कि एक डम्पर एक ही बार निकासी कर पायेगा या दो बार निकासी ले पायेगा। इसलिए इसका भी निर्धारण करना आवश्यक है। अब दूसरा खेल देखें। अब स्टोन क्रेसर की बात आती है। (कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ) (व्यवधान) माना एक स्टोन क्रेसर से एक कैटेगरी का मैटेरियल निकलता है माना 20 एम0एम0 की गिट्टी निकली है और जो कैश में लेगा उसकी बिलिंग होती है 25 रूपये की और जो कम्पनी को जायेगा उसकी बिलिंग 55 रूपये की होती है। क्या उसके पास दो तरह के गिट्टी बनाने का पैमाना है ?

मान्यवर, इसे वाणिज्य कर विभाग क्यों नहीं देखता कि एक गिट्टी की बिलिंग 25 रूपया और एक की 55 रूपये की बिलिंग हो रही है, तो इसको भी हमें चैक करना होगा, इससे राजस्व वृद्धि होगी इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। आज उत्तराखण्ड के अन्दर स्टोन क्रेशर की भरमार हो गई है, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और हमारे प्रदेश में खनन से कितना उत्पादन होता है, तो आज जितने क्रेशर लगे हैं उनके उत्पादन की क्षमता और हमारे उत्पादन की क्षमता को देखें तो कई गुना उनकी कैपेसिटी उत्पादन की बढ़ गई है और उसका नतीजा यह निकला कि हमारे यहाँ चोरी बढ़ी और आप कोसी नदी के पुल पर जायें और उसके लेवल पर एक रेलवे पुल है जहाँ पर 2 मीटर नीचे बेल्ट खिसक गई है और एक मीटर नीचे जो जाये तो वह पुल भी नष्ट हो जायेगा, तो यह हालात आज इस प्रदेश के हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि आर0बी0एम0 पर जो 5 प्रतिशत का टैक्स हुआ और उसकी आड़ में स्टोन क्रेसर से जो साढ़े 13 प्रतिशत टैक्स देते थे, उन्होंने एक स्थगन आदेश हाई कोर्ट से लिया, कि आर0बी0एम0 को श्रेणी-2 से बाहर निकाल करके साढ़े 13 प्रतिशत पर लाये जिससे कि साढ़े 13 प्रतिशत का जो कानूनी लाभ स्टोन क्रेसर लेते थे वे न लें, खनन नीति में हम एक और काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी आय बढ़ सकती है, वह यह है कि हमारा खनन बहुत अधिक मात्रा में प्रदेश से बाहर जा रहा है, तो हम उसमें दो तरह के रंग लगायें, हरा रंग प्रदेश के अन्दर के लिए और लाल रंग प्रदेश के बाहर के लिए हो और उसकी रायल्टी भी बढ़ा सकते हैं जिससे हमें लाभ मिलेगा और यह भी पता

लग जायेगा कि कितना खनन प्रदेश से बाहर जा रहा है और वास्तविक रूप से कितना खनन प्रदेश के अन्दर इस्तेमाल हो रहा है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहाँ तराई में बहुत बड़ी मात्रा में सीड प्लान्ट है, वर्ष 2012 में जब सीड की कीमत कम थी तो सरकारी एजेंसियों में गेहूँ इतना तौला कि वह लेना मुश्किल हो गया और 5 प्रतिशत वैट सरकार को मिला और पिछले साल सारा का सारा गेहूँ सीड प्लाण्ट वालों ने यह कहकर ले लिया कि हम सीड प्लान्ट कर रहे हैं और आज ऊधमसिंह नगर की जितनी कृषि योग्य भूमि है जिसमें रबी की फसल होती है, उससे कहीं ज्यादा सीड सर्टिफिकेशन उन जमीनों का सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, उससे ज्यादा जमीनें रजिस्टर्ड हैं, सीड प्लान्ट खोले जा रहे हैं और उनपर वैट नहीं है और हुआ यह कि सरकार को पिछले साल गेहूँ पर वैट नहीं मिला, जबकि पहले खूब वैट मिला था। जो मुद्दे उठाये जाते हैं जो फर्क आ जाते हैं तो उसके लिए हमारा ऐनेलिटी विंग हो जहाँ यह एनेलिसिस हो कि इस बार गेहूँ में वैट कम क्यों हो गया, तो किस तरीके से हम वैट बढ़ा सकते हैं तो उस ऐनेलिटी विंग को और स्ट्रांग करने की जरूरत है और फिर दो–ढाई हजार करोड़ की आय सालाना बढ़ा सकते हैं और किसी पर लोड नहीं पड़ेगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर आप जरूर कुछ करें। अभी हमने एक समाचार पढ़ा कि सौ करोड़ रूपये से ऊपर के जो उद्योग आयेंगे तो उनको शत–प्रतिशत वैट माफ होगा, तो हमारा कहना है कि हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम सौ करोड़ रूपये का उद्योग लगा सकते हैं, हमारी क्षमता के अनुसार 1, 5, 10 या ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रूपये के उद्योग हम लगा सकते हैं, सौ करोड़ रूपये के लिए आपने वैट खत्म कर दिया और लघु उद्योग जो हमारे आयेंगे मान्यवर, अगर उसमें हम यहीं कह देते कि 25 प्रतिशत वैट माफ है तो हम क्यों नहीं करते। हमें अपनी स्थानीय उद्यमिता को प्रमोट करना होगा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं हो पायेगी। मान्यवर, जो स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्योग होते हैं उसमें रोजगार के संसाधन ज्यादा होते हैं। जो बहुत बड़े उद्योग होते हैं, उसमें कम श्रमिक कार्य करते हैं। छोटे उद्योगों से रोजगार की समस्या का निराकरण करने में भी हमें सफलता मिल सकती है। मान्यवर, अभी हमारी केन्द्र सरकार ने एक पैकेज दिया, और उसमें यह कहा गया कि 15 प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश हेतु हमें 15 प्रतिशत पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। जबकि जम्मू–कश्मीर में वेट में भी सब्सिडी थी, ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी थी, और यह सीमा 50 लाख न होकर 3 करोड़ थी। और जो प्रतिशत हमें कैपिटल सब्सिडी के रूप में 15 प्रतिशत मिलता है, वह वहाँ पर 30 प्रतिशत है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उत्तराखण्ड में जो पैकेज जम्मू–कश्मीर में लागू है उसी तरह का पैकेज यहाँ पर लागू हो, इस तरह का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाय तो मैं समझता हूँ कि इससे यहाँ के उद्यमियों को फायदा होगा। मान्यवर, एक बात और मेरे जेहन में आया है, गुजरात मॉडल की बात आयी है, अच्छी बातों को हमें लेना चाहिए, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। गुजरात के अंदर कैनाल के ऊपर सौर ऊर्जा

के कुछ संयंत्र स्थापित किये हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आया क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारे डैम हैं और बहुत चौड़ी–चौडी नहरें भी हैं, इसमें खासकर ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जनपद में ये नहरें हैं। इन नहरों में भी हम सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। मान्यवर, मैंने इसके लिए एक सर्वे कराया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र जसपुर में एक नहर है, मैंने सिर्फ उसका सर्वे कराया है इस सर्वे हेतु मैंने जब बैंगलुरू से टीम बुलायी तो हमने पाया कि हम उसमें 8 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। मान्यवर, जसपुर के अंदर से एक नहर निकल रही है, इस नहर का टोटल एरिया 11 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। इसके ऊपर हम सौर ऊर्जा का संयंत्र लगायेंगे तो कितनी बिजली उत्पादित हो सकती है तो हमने इसमें पाया कि 8 मेगावाट बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं, इस हेतु उन्होंने मेरे पास इसकी डी0पी0आर0 भेजी है। मेरा सरकार से कहना है कि जब इस तरह से हम वैकल्पिक ऊर्जा पर काम करें तो इसका फायदा होगा।

मान्यवर, जब हम ग्रीन बोनस की बात करते हैं तो ग्रीन बोनस का पैसा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाया जाना चाहिए, यदि यह पैसा आता है तो, यह नहीं होना चाहिए कि ग्रीन बोनस के नाम पर हमें पैसा मिले और वह पैसा हम खड़ंजा, नाली आदि कार्यों पर लगा दें। मान्यवर, ग्रीन बोनस का पैसा अगर हम स्टेट सब्सिडी, अगर कामर्शियल प्रोडक्शन जो हम सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करेंगे, उस पर हम यदि स्टेट सब्सिडी एलाउंस करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे उत्तराखण्ड के अंदर नहरों पर, ऐसे पहाड़ों पर जो हमारे वेस्ट फेसिंग पहाड़ हैं उस पर सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने के लिए हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाईयां आयेंगी। कठिनाईयां इसलिए आयेंगी कि इस सौर ऊर्जा की जो कास्ट आयेगी वह पर यूनिट 10 रू0 आयेगी और सरकार 7 रू0 से ज्यादा लेने को तैयार नहीं है, तो इसमें कहीं न कहीं हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। यदि यह सब्सिडी यदि एक बार देंगे तो इससे जरूर जनता को फायदा होगा। मान्यवर, हार्टिकल्चर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मैं यह भी जनता हूँ कि मान्यवर, आपका क्षेत्र भी हार्टीकल्चर बाहुल्य का है। मुझे दुःख है कि मैंने मण्डी–परिषद् के अध्यक्ष के रूप में यह जानना चाहा कि कौन सी फसल कौन सी जगह पर ज्यादा उगेगी, लेकिन यह सर्वे आज तक नहीं हो पाया है। मान्यवर, एक सुधीर चड्ढा जी का फार्म है, भवाली के पास, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी इसका दौरा किया है, इस फार्म के अंदर उन्होंने ऐसी सेब की फसल तैयार की है कि जिसके अंदर अगर बर्फ न भी पड़े, इसके लिए टैम्प्रेचर थोड़ा कम चाहिए, इसकी बडिंग हो जाती है और वह बहुत बड़ी मात्रा में पौध बना रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जम्मू–कश्मीर वाले उस पौध के लिए एडवांस चैक भेजते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले उस पौध को लेने के लिए एडवांस चैक भेज रहे हैं उत्तराखण्ड के हार्टीकल्चर विभाग ने आज तक एक भी पौध उनसे खरीदने की जरूरत नहीं समझी। मान्यवर, हम कहते हैं कि पहाड़ से पलायन न हो, यदि पहाड़ से पलायन रोकना है तो मेरा मानना है कि प्रदेश को हार्टीकल्चर को बढ़ाना होगा।

हमारे पास हिमांचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर इसके उदाहरण हैं, उनके पास तो मैदानी क्षेत्र भी नहीं हैं। आप जाकर देखें कि हिमाचल प्रदेश में कैसा विकास हो रहा है, वहाँ पर हार्टिकल्चर के रूप में ही विकास हो रहा है। यह भी सोचनीय विषय है कि ऐसे सेब के पौधों की तैयारी हमारे यहाँ हो रही है और हमारे प्रदेश का किसान और उद्यान विभाग उसका लाभ नहीं ले पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, संक्षेप में अपनी बात को रखें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, नगर विकास के सम्बन्ध में अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहूँगा मैं इस बात को 2002, जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब से बोल रहा हूँ कि कूड़ा–करकट को रिसाईकिल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये। अगर नगर विकास में कोई सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो वह कूड़ा–करकट की रिसाईक्लिंग है, जिसमें हम जीरो हैं। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, हम कहीं पर तो इस जीरो से आगे बढ़ें, अभी मैं राजकोट गया और हैदराबाद में भी यही स्थिति है, जब 12 बजे मैं हवाई जहाज से उतर कर होटल तक गया तो एक कतरा भी कूड़े का मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। हैदराबाद की भी यही स्थिति है और आगरा में भी अब काफी सुधार है, आज उत्तराखण्ड में हालत यह है कि हाई–वे के किनारे बड़ी–बड़ी चट्टानें लग गई हैं और वहाँ से हमारा आना–जाना मुश्किल हो गया है। मैं 2002 से इस बात को उठा रहा हूँ, चाहे किसी की सरकार रही हो, हर बजट में आया कि कूड़े के निस्तारण के लिये संयंत्र लगायेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। मान्यवर, मुद्दे तो कई हैं, चूँकि आपने संक्षेप करने को कहा है तो यहीं पर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद।

संविधान के अनुच्छेद 166 का उल्लेख करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को कार्य आवंटन न किये जाने पर श्री मदन कौशिक, सदस्य, वि0स0 द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं एक विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ, इस सरकार के समक्ष एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, आपको दिनांक 06 फरवरी, 2014 को एक आदेश प्राप्त हुआ है। यह आदेश मुख्यमंत्री जी की तरफ से जारी हुआ है और यह 11 आदेश हैं, जिसमें लिखा गया है कि "माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड के तृतीय विधान सभा के वर्ष 2014 में दिनांक 06 फरवरी , 2014 से पुनः प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र हेतु निम्नलिखित विभागों से सम्बन्धित समस्त विधायी कार्यों एवं प्रश्नों के उत्तर अनुमोदित करने हेतु मैं श्री प्रीतम सिंह, माननीय मंत्री जी को

प्राधिकृत करता हूँ।'' ऐसे ही सभी मंत्रियों के पत्र भेजे गये हैं। मान्यवर, भारत का संविधान, सरकारी काम राज्य में कैसे होगा, इसके लिये अनुच्छेद 166 में व्यवस्था की गई है, इसमें लिखा गया है ''सरकारी कार्य का संचालन, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।'' इसी की उपधारा 2 में लिखा गया है ''राज्यपाल के नाम से किये गये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जायेगा, जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाये और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है।'' इसी के नम्बर 3 पर लिखा है '' राज्यपाल, राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये और जहाँ तक वह ऐसा कार्य नहीं है, जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिये नियम बनायेगा।''

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को संविधान यह अधिकार ही नहीं देता है कि वह अपनी मर्जी से मंत्रियों को आपके पास भेज दें। अभी तक तो दो ही संशोधन विधेयक आपने पारित करवाये हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिये वैल्यू नहीं है कि क्योंकि विधिवत राज्यपाल के यहाँ से आदेश नहीं आये हैं, यदि अस्थाई आदेश ही राज्यपाल के नाम से आता, तो भी ठीक था। कल आप जो बजट पेश करेंगे, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वह विधिवत नहीं है। अभी तो आपको दो ही विधेयक दोबारा वापस लाने पड़ेंगे, लेकिन कल तक यह सारा काम नहीं हुआ तो जितने भी विभागों के बजट कल आने हैं, वह सब जीरो होंगे। क्योंकि यह अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है कि आपको चिट्ठी लिखकर दे दें कि अमुक विभाग, अमुक मंत्री देखेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें श्री राज्यपाल के ही आदेश हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे पास 11 आदेश हैं, किसी में राज्यपाल के आदेश नहीं हैं। मान्यवर, उल्लेख नहीं बाकायदा राज्यपाल महोदय के आदेश बनते हैं। मान्यवर, आप यह आदेश देख लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आदेश राज्यपाल महोदय से ही लिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेवा में माननीय अध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राज्यपाल से आदेश प्राप्त करके लिखा होगा। मान्यवर, प्रक्रियात्मक त्रुटि हो सकती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप त्रुटि की बात कर रहे हैं। जो दो आप लाये वो भी जीरो हो गये, वे कर ही नहीं सकते हैं, सरकारी काम का संचालन ऐसे हो नहीं सकता माननीय अध्यक्ष जी, आप ही रक्षा कीजिए लोकतंत्र की, यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो कल को क्या संदेश जायेगा? इस सदन का कि क्या इस सदन के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोकतंत्र की रक्षा आप करेंगे। हो ही नहीं सकता आप बोलिये या न बोलिये। इस पर व्यवस्था चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बात सही है कि कौशिक जी ने जो उठाई, लेकिन थोड़ा मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब विधान सभा का गठन होता है और महामहिम राज्यपाल किसी प्रोटैम स्पीकर का शपथ दिलाते हैं और वो स्पीकर उस समय तमाम सदस्यों को एक प्रकार से अधिकृत किया जाता है कि वो सभी विधायकों को शपथ दें। तो यही स्थिति मैं समझता हूँ कि (व्यवधान) मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आप समझने का तो प्रयास कीजिए और जहाँ तक यह जानकारी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आपको रखी, कि उन्होंने विधिवत् उसकी अनुज्ञा ली थी और दूसरा राज्यपाल जी से कहा गया था कि इसमें जो पत्र है ये पत्र सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा, क्योंकि इस पूरी विधान सभा को संचालित करने की जिम्मेदारी, संचालन करने की जिम्मेदारी पीठ को है और उन्होंने पीठ को एक किस्म से एक अनुरोधात्मक ढंग से अनुरोध किया कि हमारे ये विधायक, ये मंत्री ये–ये काम देखेंगे और उसमें उत्तर, प्रत्युत्तर देंगे। ये प्रक्रिया अगर आप दूसरे ढंग से कहें कि तमाम सदस्यों की जो विधिवत् शपथ ली गयी, उसको भी आप गलत मानेंगे। ये मुझे बताईये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहाँ तक पीठ का सवाल है, पीठ को उत्तरांचल विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अन्तर्गत सारे अधिकार प्रदत्त हैं जो इसके अन्तर्गत आते हैं। अब भारत के संविधान के अनुसार सरकारी काम कैसे होते हैं यह सब इसमें प्रदत्त

है। उसके अनुच्छेद 166 में स्पष्ट है, अगर आप एक भी विभाग बदलेंगे, किसी मंत्री का छोटा विभाग भी बदलना है तो भी बाकायदा गवर्नर के नाम से ही आयेगा, वहीं से पत्र जारी होगा उसी रूप में (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राज्यपाल को पत्र भेजा गया था, विधान सभा संचालन कैसे किया जाय, उनसे कहा गया था जो विभाग मंत्रियों पर हैं, वही विभागों का उन्हें उत्तर देना था। (व्यवधान) मान्यवर, यह जबानी जमाखर्च नहीं, लिखित में गया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह किसी का घर थोड़े ही है जो जबानी जमाखर्च हो रहा है। मान्यवर, यह पत्र है। यह संवैधानिक संकट है सरकार के सामने।

श्री अध्यक्ष–

सरकार को चलाने के लिए माननीय मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और माननीय मंत्रियों को महामहिम राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलायी गयी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शपथ दिलायी गयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह सूचित किया है कि हाउस में कौन–कौन से मंत्री किस विभाग का जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यही तो कहना है कि वो नहीं कर सकते हैं। महामहिम राज्यपाल ने शपथ दिलायी है, मंत्री पद की दिलायी है, विभागों की नहीं दिलायी है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यदि कल आप बजट पेश करेंगे तो बजट पेश हुआ नहीं माना जायेगा वो तभी माना जायेगा जब राज्यपाल विधिवत उन विभागों का राज्यपाल से आवंटन हुआ पत्र आपको प्राप्त होगा। अभी जो दो विधेयक आप लाये हैं, वो भी जीरो माने जाएंगे। ये मान्यवर, मैं संवैधानिक संकट की बात कर रहा हूँ। वो आदेश वहीं से जारी होगा, उसी रूप में। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आप तो हमारे संरक्षक हैं, आपके मार्गदर्शन में जो निर्णय मिले हैं और जो संविधान की रक्षा हुई है उसके कारण आप पूरे प्रदेश में चर्चित हैं, आपको लोग क्या से क्या मानते हैं और आप ही रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जरा कृपा रखो, चढ़ाओ नहीं। एक ही शहर में रहते हैं हम सब।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपको पता है कि हर जगह गली–गली में माननीय अध्यक्ष जी का नाम है। आपके जैसा निर्णय कोई कर नहीं सकता है। यह सच बता रहे हैं जो जनता की आवाज है। पूरे उत्तराखण्ड में कहीं से भी लोक सभा और किसी विधान सभा में लड़ लें आप जीत जायेंगे। केवल इसलिए जीत जायेंगे कि आपके जो निर्णय आये हैं वह जनता के हित में आये हैं, कानून के हित में आये है, संविधान के हित में आये हैं। मान्यवर, यह संवैधानिक संकट हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऐसा आदेश कर ही नहीं सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसे कि अभी पीठ से निर्देश भी हुए है। यह आप सब लोग समझते हैं क्योंकि आप लोग भी केबिनेट का हिस्सा रहे हैं। यह सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो तमाम मंत्री हैं इनकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जिसकी शपथ ली गई जहाँ तक विभागों का मामला है, जो हमारे नेता सदन हैं उनको पूरे अधिकार हैं कि मंत्रियों से किस ढंग से काम लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी के व्यवस्था के प्रश्न पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी,आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बजट पर चर्चा करू, इससे पहले मैं, प्रदेश में जिस प्रकार से इस वर्ष त्रासदी आई है उसमें सैकड़ों लोग मारे गये हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गये उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मान्यवर, जो सरकार ने बजट रखा है, इनको पता ही नहीं है कि हमारा बजट कितना है। भारत सरकार में योजना आयोग स्वीकृति देता है उसके बाद प्रदेश सरकार अपना बजट रखती है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह बजट कितना प्रभावी और कितना लोक हित का होगा। एक हमारे पहाड़ में कहावत है–''हुणी च्यालक कुनई के चाहचा मुनई चाओ।'' यानि इनके कार्यकलाप इनके कार्य करने के ढंग सिद्ध कर रहे हैं कि ये क्या करेंगे। इन्होंने यह सोचा कि जब गप ही मारनी है, फर्जी सपना देखना है फिर मूँगफली क्यों खाई जाय, बादाम क्यों नहीं चूमे जाये। मान्यवर, हर चीज में बजट फर्जी, पूरा झूठ का पुलिंदा इन्होंने किया है। वैसे तो मैं जानता हूँ जब

कांग्रेस आती है तो महंगाई बढ़ना, घोटाले बढ़ना, भ्रष्टाचार बढ़ना, विकास कार्य ठप हो जाना ये तुम्हारी फितरत में है। हमारे यहाँ दो वर्ष पूर्व जितने काम चालू हुए वह आज की तारीख में सब बन्द पड़े हैं। एक नई श्रृंखला चल गई है, शिलान्यास होंगे, तमाम उद्घाटन होंगे। करोड़ों–करोड़ रूपया शिलान्यास में बर्बाद किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के समय में हल्द्वानी में चालू हुए थे। एक बार उनका पहले उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है।

मान्यवर, हल्द्वानी का स्टेडियम, हमारी सरकार में उसके लिए बजट आवंटित हुआ था और उसमें कार्य शुरू हुआ, लेकिन फिर इनके आने के बाद उसमें काम शुरू नहीं हुआ। आज भी वहाँ पर काम पूरी तरह से बन्द है। हल्द्वानी का बाई–पास माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से हैं। जब हम सरकार में थे तो आप बहुत हल्ला करती थी और जब ये सरकार में आये तो वहाँ के अधिकारियों को अंगुली दिखाकर कहा दो महीने में बिस्तर बन्द कर दूंगी अगर यहाँ कार्य जल्दी नहीं हुआ यानी दो माह में कार्य पूरा करें। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि छः बार कहा होगा। लेकिन वह काम जहाँ पर छूटा था, वैसे ही है। अभी वह बात को सुनकर नहीं सुन रही हैं। हल्द्वानी के आई0एस0बी0टी0 में कोई एक ईंट लगाई हो और हल्द्वानी में मोटर ट्रेनिंग कालेज (व्यवधान) इस सरकार को राज्य की कोई पीड़ा ही नहीं है। राज्य बनने में इनका कोई योगदान होता तो इनको पीड़ा होती। हमने इस राज्य को बनाने में एक संघर्ष किया है। इसलिए किया कि एक अच्छा राज्य बनायेंगे। (व्यवधान) और एक धनवान राज्य बनायेंगे। वह कहते हैं न कि जिसको प्रसव पीड़ा ही न हो वह बच्चे को पालन क्या जाने? (व्यवधान) हमने स्वीकृत करके छोड़ा है और वह कार्य वैसे ही पड़ा है। इस सरकार ने एक नई श्रृंखला दी है, शिलान्यासों की, उद्घाटनों की, और कैसे शिलान्यास किया एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। वहाँ पर सौ मीटर, दो सौ मीटर और पचास मीटर सड़कें बनी, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मुझसे कहा कि इनका उद्घाटन करते हैं। तो मुझे उसमें बहुत शर्म सी लगी। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) अभी बहुत सम्मानित और वरिष्ठ माननीय सदस्य ने कहा कि पच्चीस मीटर और पचास मीटर सड़कें बनी हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह पच्चीस मीटर और पचास मीटर सड़कों का हिसाब दे दें तो हम अभी उसका भी जवाब दे देंगे। (व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने पहले कहा क्या उसको विस्तार से सुन लें? (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपके शर्म की बात रख रहा हूँ। (व्यवधान) पचास मीटर, पच्चीस मीटर और दो सौ के पल्ले बनते हैं। माननीय मंत्री जी, ये बनते हैं। आपके वहाँ कालोनी नहीं है, हमारे यहाँ

कालोनी हैं। इसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को मालूम है, पहले उनका क्षेत्र भी रहा है। तो मैंने लोक निर्माण विभाग को कहा कि इसमें एक टिन का टुकड़ा लगा दें तो उन्होंने वहाँ पर टिन का टुकड़ा लगा दिया। उन्हीं सड़कों का उद्‌घाटन आपने फिर से किया जिन पर बोर्ड लग चुका है। (व्यवधान) क्योंकि विभाग ने कर दिया था। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विभाग उद्‌घाटन नहीं कर सकता है। क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अगर अधिकारों में जाओगे तो बहुत लम्बा पड़ेगा। तो ऐसे शिलान्यास हुए हैं। इसमें प्रदेश का करोड़ रूपया व्यय कर दिया है और कह रहे हैं कि 1800 सौ करोड़ रूपये का उद्‌घाटन कर दिया है पता नहीं क्या कर दिया? आपदा में आपने बताया कि 6 हजार 722 करोड़ 26 लाख रूपये इमको एस0पी0ए0 के अन्तर्गत मिला है और एन0डी0आर0एफ0 में इनको 1 हजार 207 करोड़ 27 लाख रूपये मिले और इतनी बड़ी रकम आपको मिली है और आपदा को आये महीनों गुजर गये हैं। आज भी इस बैंच के नहीं उस बैंच के लोगों को भी पीड़ा है कि आज तक उनमें कोई काम नहीं हुआ है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, उस पर आपने भी कई बार चिन्ता की है कि आपदा के कार्यों में गति नहीं आ रही है और उनमें गति आनी चाहिए। अभी पैकेज की बात आयी तो मुझे याद है कि वह पैकेज माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने दिया था और वहाँ पर आपकी सरकार थी। केवल यही पैकेज नहीं दिया बल्कि औद्योगिक पैकेज भी दिया है आपका पैकेज कहाँ आया है यहाँ की जनता को पता नहीं लगा आज तक? और इतना बड़ा पैकेज 6 हजार 722 करोड़ रूपये और 1 हजार 227 करोड़ रूपये, इतने में तो प्रदेश का कायाकल्प होना चाहिए था या तो यह पैकेज खाली कागजों में ही आया है। यदि आया है तो आपके कार्य करने वाले कैसे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है? आपने तो कह दिया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग, जलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ नेताओं के और कुछ अधिकारियों के चूल्हे में आग जल गयी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यह आग जली है।

मान्यवर, मैंने सुना कि गुजरात से राहत के कुछ पैकेट बनकर आये उसमें भी तिकड़ी निकालकर दूसरी तिकड़ी रख दी गई, अच्छा माल सब अन्दर, यह किसने किया मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ लेकिन इस प्रकार के काम इस प्रदेश के अन्दर हुये। जिला योजना की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि एकमुश्त दे दी जायेगी। जिला योजना

पिछले दो वर्ष में इस सरकार के कार्यकाल में 40–60 प्रतिशत से ऊपर नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि एक मुश्त दे देंगे। माननीय प्रभारी मंत्री जी उस समय बैठक ले रहे थे तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ माननीय वित्त मंत्री और माननीय संसदीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि इस जिले का जिला प्लान का पैसा नहीं आ रहा है, तो उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि तुम चिन्ता मत करो हम इस बजट को प्रदेश के स्टेट सेक्टर में दे देंगे, तो मैंने कहा था कि आज तक के इतिहास में तो ऐसा हुआ नहीं, अब आप कर दें तो बात अलग, पर आज भी जिला प्लान का पैसा नहीं गया, सारे काम रुके पड़े हैं, सारे नलकूप ठप पड़े हैं, खड्डा खोद दिया, अब काहे से बनायें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करो तो कहता है कि जिला प्लान में पैसा ही नहीं है, तो आज तक पैसा नही मिला और आप कह रहे है कि एकमुस्त दे देंगे अब क्या कोई खजाना लूट लिया है, कहाँ से दे देंगे, 72–73 प्रतिशत तो आपका नॉन प्लान है, आप कहाँ से देंगे, कहीं कोई प्राविधान नहीं है, कहीं कोई बात नहीं कही गई है, मैं कहना चाहता हूँ कि जिला प्लान को प्राथमिकता से दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे–छोटे जनप्रतिनिधियों के काम हैं वह काम उन पैसों से होते हैं। मान्यवर, आप कह रहे हैं कि 60 वर्ष के हल जोतने वाले किसान को पेंशन देंगे, तो 60 वर्ष का हल जोतने वाला किसान कहाँ होगा तब तक तो उसका बेटा हल जोतने लगेगा, अगर इसको मान भी लें तो बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं रखा गया है।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, आप 80 साल की उम्र में इतनी जोर से बोल रहे हैं तो क्या 60 साल का किसान हल नहीं जोत सकता है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं इनकी बात को मान भी लूँ तो कहीं इन्होंने इसको बजट में नहीं रखा है। मान्यवर, आपने डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत अनेक स्थानों पर सुविधायुक्त ट्रामा सेंटर की बात कही है, सभी उपकरण लगा देंगे कह दिया गया है। सब कुछ लगा देंगे कह दिया गया है। मान्यवर, यदि मैं अस्पतालों की बात कहूँगा तो बहुत लम्बा हो जायेगा। चमोली में डॉक्टरों के 127 पद रिक्त हैं, इसी तरह से रूद्रप्रयाग में 64 पद रिक्त हैं, पौड़ी में 97 पद रिक्त हैं, उत्तरकाशी में 61 पद रिक्त हैं। मान्यवर, मैं मानता हूँ डॉक्टरों की बहुत कमी है, मैंने इस विभाग को देखा है, लेकिन आज हो क्या रहा है, देहरादून, हल्द्वानी और नैनीताल पर आपने कुछ कृपा कर दी है, लेकिन पहाड़ सब खाली कर दिये हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मैं मानता हूँ बहुत सी मजबूरियाँ हैं लेकिन समान तरीके से डॉक्टरों की व्यवस्था हो। मान्यवर, हल्द्वानी के डॉ0 सुशीला तिवारी अस्पताल की बात करता हूँ, इसके राजकीयकरण हुए कई वर्ष बीत गये हैं। मैंने

माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्य सचिव से मिल कर इस बात को कहा कि सुशीला तिवारी अस्पताल का गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिसके कारण जी0पी0एफ0, पेंशन की सुविधाओं, ग्रेच्युटी आदि के सम्बन्ध में शासकीय आदेश होना है, लेकिन तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यह कार्य नहीं हो पाया है। मान्यवर, जो कार्य धरातल पर होना चाहिए था, वे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण इतने बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल की दुर्गति हो रही है, डॉक्टर नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, कर्मचारी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, उनकी भविष्य की चिंता कोई नहीं कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सुशीला तिवारी अस्पताल, कुमाऊँ के अस्पतालों में ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में उसका नाम है। इसकी अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यह बहुत जर्जर हो जायेगा, इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाय। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि बेस अस्पताल के बारे में भी सरकार चिंता करें। मान्यवर, मैं बेरोजगारों की बात को बहुत ही गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बेरोजगारों को पेंशन देने की बात कही गयी लेकिन वह पेंशन कहाँ दी गयी। बेरोजगार तो हमारे क्षेत्र में भी रहते हैं और हम भी उत्तराखण्ड की इस धरती पर ही रहते हैं। मान्यवर, 10 हजार में से केवल 10 को दे दी, यह कहने के लिए कि हमने बेरोजगार भत्ता दे दिया। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूँ जनपद अल्मोड़ा में 1.6 प्रतिशत, नैनीताल में 4.65 प्रतिशत, पिथौरागढ़ में 4.9 प्रतिशत, ऊधमसिंह नगर में 3.65 प्रतिशत, बागेश्वर में 2.4 प्रतिशत, चम्पावत में 4 प्रतिशत, देहरादून में 1. 9 प्रतिशत, टिहरी में 2.71 प्रतिशत, उत्तरकाशी में 10 प्रतिशत, यह दिया है मान्यवर, सरकार का बेरोगारी भत्ता। नौटंकी की जा रही है, लोगों को झुनझुना पकड़ाया जा रहा है, सरकार चलानी है तो कोई ठोस बात की जानी चाहिए। हम इतना करेंगे मत कहो, जितना कर सकते हैं, उतना ही कहो। मान्यवर, पहले पिछले कार्यों को पूरा करेंगे तो सरकार की वाहवाही होगी। पिछले पूरे कार्य ठप कर दिये गये, केवल पत्थर लगाने का शौक, खाली लिख लिया पत्थर में नाम, इससे क्या नाम होगा। लोग तो कुछ और-और ही कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही गम्भीरता से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट है, यह झूठ का पुलिंदा है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें।

मान्यवर, जो नये-नये कामों के उद्घाटन और शिलान्यास पर रोक लगे और जो काम पहले होने हैं, उनको पहले करें, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ललित फर्स्वाण-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अपने आप को माननीय विधायक सिंघल जी के साथ सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूँ कि जो खनन के लिये प्रावधान

किया गया है, उस पर सिंघल जी ने बहुत प्रकाश डाला है। कपकोट में खनन नीति से राजस्व में वृद्धि हो सकती है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की टीम है, जो वहाँ पर पोकलैंड और अन्य मशीनों से खनन करती है और राज्य सरकार को वहाँ से कोई अंश नहीं पहुँचता है। राज्य सरकार उन मशीनों के चलाने में चाहे पर्यावरण की एजेंसी से हो या अन्य किसी एजेंसी से हो, हस्तक्षेप नहीं करती है और पूरा का पूरा राजस्व भारत सरकार की एजेंसी जो गाजियाबाद में है, उसे जाता है। इसलिये जो खनन एजेंसियाँ हैं, लीजधारक हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित करें और राजस्व वसूली का पूरा प्रयास किया जाय। मान्यवर, कपकोट में हार्टिकल्चर, उद्यान और भेड़ प्रजनन केन्द्र के बहुत बड़े–बड़े फार्म हैं और बजट में इस बात का ध्यान भी रखा गया कि पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ प्रजनन को बढ़ावा दिया जायेगा। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कर्मी, नीति और सोराग में भेड़ के प्रजनन के केन्द्र हैं, जहाँ आज भी आस्ट्रेलियन किस्म की भेड़े हैं। यदि इनसे स्थानीय लोगों को पलायन से रोकने के लिये व्यवसायिक उत्पादन करना और इनका विस्तार करना उचित होगा। कर्मी का जो उद्यान का फार्म है, वहाँ की जलवायु और मिट्टी सेब के लिये बहुत अच्छी है, इसलिये सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पर सेब की बागवानी करने के लिये एक कल्याणकारी योजना बनाये, जिससे स्थानीय स्तर का पलायन भी रूक सकेगा।

मान्यवर, पूरा कपकोट आपदाग्रस्त क्षेत्र है, राज्य सरकार ने एस.डी.आर.एफ. का गठन भी कर दिया है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की सुविधा है, उसे दुरूस्त करने की आवश्यकता है। आपदा के समय ग्राम पंचायतों को मजबूती से काम करने के लिये तैयार किया जाना भी आवश्यक है, इसका विशेष ध्यान भी इस बजट में रखा जाना चाहिये। आपदा के समय संचार की सुविधा को हम ग्राम पंचायतों या क्षेत्र पंचायत के स्तर पर या आपदा घाटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। जो सोलर और विंड एनर्जी पर माननीय विधायक जी ने बात रखी, जो उनका सुझाव था, जो ग्रीन बोनस राज्य सरकार को केन्द्र की सरकार की ओर से दिया जा रहा है, हमारा सुझाव आपके माध्यम से सरकार को है कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिये। जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनमें इसकी बहुत आवश्यकता है, वहां पर विंड एनर्जी के भी प्रस्ताव बनाये जायं और सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये राज्य सरकार धन आवंटित करे। मान्यवर, कांडा का जो ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर है, उसे बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, इस बार भी उसके लिये बजट एलाट नहीं हुआ है, यदि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बहुत मजबूती से रखना चाहते हैं और पहाड़ के नौजवानों को रोजगार के अवसर सृजन करा सकते हैं, तो कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में जो सरकार की कल्याणकारी योजनायें हैं, उनके लिये भी धन आवंटित करने के लिये मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

मान्यवर, और चाहूँगा कि जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में सरकार की योजनाएं हैं, उन सब कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा धन आवंटित कर बजट में, वित्त मंत्री जी ने जो बजट यहाँ पर रखा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा एक अच्छा बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और आदरणीय सिंघल जी ने जो सुझाव दिये उनको अपने से सम्बद्ध करते हुए राज्य सरकार से कपकोट के साथ-साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों के जनपद हैं, उन सब जनपदों में जितनी भी अच्छी सुविधाएं राज्य सरकार आपदाओं के माध्यम से या हार्टिकल्चर के माध्यम से या स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, या शिक्षा के माध्यम से दे सकती है, प्राथमिकता के आधार पर देने का पूरा प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री गणेश गोदियाल-

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि यह विदित है कि इस वर्ष जून में इस प्रदेश में बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हुआ और उसके फलस्वरूप बहुत ही आर्थिक हानि हमारे प्रदेश को उठानी पड़ी। आर्थिक हानि के साथ-साथ बहुत जनहानि हुई और बद्रीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड की यात्रा पर आये हुए हजारों लोगों ने यहाँ पर आपदा में अपने प्राण गंवाये। मैं इस सदन के माध्यम से उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और वैसे बोलने का मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं बोलूँ। माननीय भगत जी ने यहाँ पर जो बातें उठायीं तो मन मचल गया कि बोलना ही पड़ेगा। माननीय भगत जी ने यहाँ पर कहा है कि 2007 से 2012 तक जो विकास के काम चले और अब वह ठप हो गये हैं। मैं सदन में इस बात को कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता से और रिस्पांसबिलिटी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2007 से 2012 तक विकास के यह हाल थे मान्यवर, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क है, जिसका नाम बिडोरी और खिर्सू, खिर्सू-मुसागिरी-दमदेवल उसका पूरा नाम है। अच्छा हुआ कि माननीय भगत जी आ गये। मैंने यह कहा भगत जी कि मेरा बोलने का कोई विचार नहीं था, मैंने सोचा कि सरकार अच्छा बजट लायी है, क्या बोलना हो रहा है, लेकिन आपने मुझे उद्वेलित कर दिया बोलने के लिए और 2007 से 2012 तक जो विकास के कार्य हुए उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खिर्सू-मुसागिरी-दमदेवल मोटर मार्ग है। 2005 में उस मोटर मार्ग का डामरीकरण स्वीकृत हुआ। 27 या 22 कि0मी0 इसकी पूरी लम्बाई थी और काम होते-होते 2-3 साल का समय लगा, जिसमें रेट बढ़ गये और वो पूरी लम्बाई में होकर 02 किलोमीटर बच गया है और उसके बाद जब 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसे बाद दो कि0मी0 का काम अब जाकर हुआ। तो जो आप कह रहे थे कि कार्य ठप हो गये हैं, ये उसके सामने है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आप लगे ही नहीं होंगे उस पर। (व्यवधान)

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, मैं विकास की बात करना चाहता हूँ और विकास की बात में जो तथ्य है, वो यह है कि सन् 2000 में उत्तराखण्ड राज्य बना और 2002 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ। निश्चित रूप से चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष की सरकार रही हो, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में अधिकांश राज्य का बजट, राज्य का अधिकांश पैसा आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में खर्च हुआ। और जो आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में खर्च हुआ उसके सापेक्ष अगर पलायन को देखें तो आपको आंकड़ा पता चल जायेगा। मैं समझता हूँ कि जितना ज्यादा खर्च हुआ है आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में, पलायन भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। तो कहीं न कहीं मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकारों को नियोजन के बारे में इस बात को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम ऐसे क्या काम करें, इतनी आधारभूत सुविधाएं देने के बाद भी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं।

मान्यवर, यह सोचने का विषय है। यह पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है न ही एक दूसरे को क्रिटीसाइज करने का विषय है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, निश्चित रूप में मैंने विधायक के रूप में सरकार से माँग की कि सरकार फलाने गाँव में सड़क बनाये, तो सरकार माँग मान लेती है और सड़क बन जाती है। लेकिन होता क्या है कि उस सड़क बनने से वहाँ के किसी व्यक्ति को कुछ काम धन्धा ठेका मिल जाता है तो वह कुछ पैसा बना लेता है और वह फिर नीचे आने की कोशिश करता है कि मैं देहरादून या कोटद्वार में बस जाऊँ। हमें करना यह पड़ेगा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनानी पड़ेगी, और रोजगार आता कहाँ से है, मैं समझता हूँ विश्व का कितना बड़ा अर्थशास्त्री हो वह बहुत ही साधारण तरीके से इस बात को जानता है कि रोजगार उत्पादकता से आता है, उत्पादकता अगर बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार देने के लिए प्राइमरी सेक्टर उत्पादकता है और उसके बाद सेकन्डरी सर्विस सेक्टर है। माना हम पहाड़ों पर रोजगार उत्पादकता से क्या दे सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन हैं फॉरेस्ट का प्रोडक्शन है, हार्टिकल्चर का प्रोडक्शन है, एनीमल हजबेन्ड्री से प्रोडक्शन हो सकता है। वैल्यू एडीशन की हम बात अगर करें। स्थानीय स्तर जैसे आपने कहा कि सोलर पावर, विन्ड एनर्जी हम छोटी–छोटी सोसाइटियाँ बना लें उनको क्यों न काम दें कि आप ये काम करें। ये तो ऐसा है न, जैसे सड़क है, विधायकों में ऐसी होड़ मची रहती है कि एक 10 किलोमीटर मिलती है तो हमको 12 किलोमीटर मिले। इस होड़ में मुसीबत भी बंट रही होती है तो हम उस

मुसीबत को भी ले लेते हैं। 2007 में हमारे बहुत से साथी चुनाव नहीं हारते, उस होड़ में हमने बहुत सी मुसीबत भी ले ली, वह मुसीबत क्या थी आर्थिक सहायता। हमारे वरिष्ठ निशंक जी यहाँ पर बैठे हैं। वह ऐसी चीज थी शायद इनको भी मुश्किल हुई, क्योंकि एक बार जो होड मची वह थमती नहीं है। मेरा यह कहना है कि बजाय इस तरह के हम लोगों के माँग को इस तरह से पूरा करें। वह आर्थिक सहायता की माँग करें हम एक बार उनको आर्थिक सहायता दे देंगे। इससे बेहतर यह होगा कि हम अगर उनको स्थानिक स्तर पर रोजगार दे सकें तो निश्चित रूप से तब पलायन थम सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के बारे में ज्यादा सोचा जाये तो अच्छा होगा। जहाँ तक ग्रामीण स्तर पर आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसे हमारे गाँव के लोग है, बकरी पालन से, भेड़ पालन से, पशुपालन से बहुत अच्छी आजीविका चला सकते हैं। आपने इसका बजट में प्राविजन किया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ बहुत अच्छा स्कोप यह है कि जैसे बड़े शहर हैं दिल्ली है, कानपुर है, मेरठ है, इन बड़े शहरों में पानी की बड़ी दिक्कत है। हमें बड़े स्तर पर क्यों न यह बात सोचनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ पूरे मुम्बई में पाँच महानगर पालिकायें हैं उन पाँच महानगर पालिकाओं में कुल आबादी डेढ़ करोड़ के ऊपर है। उस डेढ़ करोड़ की आबादी को पानी कहाँ से मिलेगा, उन लोगों ने कृत्रिम जलाशय बनाये हैं, नजदीक में नहीं है डेढ़–डेढ़ सौ किलोमीटर दूर बनाये हैं। शान्ता वैतरणा, अपर वैतरणा डेढ़–डेढ़ सौ किलोमीटर दूर बनाये हैं। वह बरसात में पानी जमा करते हैं फिर आवश्यकतानुसार उस पानी को साल भर छोड़ते हैं और तब उन पाँच महानगर पालिकाओं में पानी की पूर्ति होती है। हमारे इर्द गिर्द दिल्ली से लेकर मेरठ तक और आस–पास के क्षेत्र में बड़े शहर हैं, सहारनपुर है जहाँ पानी की बहुत माँग है। हम क्यों न ऐसा करें कि जो हमारे गधेरे हैं, जहाँ पर हम पानी रोक सकते हैं, ऐसे बहुत सी जगह पर ग्रामीणों की समितियाँ बनाकर उनको यह काम सौंपे कि आप पानी रोकें और उन महानगर पालिकाओं से, उन स्टेट्स से, कान्ट्रेक्ट करें कि हम इतने क्यूसिक पानी, इतने एम0एल0डी0 पानी हम हरिद्वार में एडीशनल छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों से कुछ एक बन्धन होगा कि उतना पानी छोड़ना ही है। जो एडीशनल पानी हम जमा करें और उसको पहाड़ों से छोड़ें और हरिद्वार में हम उनको उतना पानी दें, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि यह पूरी तरह से योजना मेरे दिमाग में है, भाषण में कह पाना उतना नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार बनाये तो मैं बैठने को तैयार हूँ, इस पर एक अच्छी कार्य योजना बन सकती है। मान्यवर, माननीय भगत जी ने कहा कि पहले पाँच साल में बहुत काम हुआ था। मैं उस बारे में बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ और आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2014–15 पर मुझे बोलने का मौका मिला और जो माननीय इन्दिरा हृदयेश जी द्वारा सदन में उसको रखा गया। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि यह एक चुनावी बजट है और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला लगता है। इस बजट में कई बिन्दु का जिक्र किया गया है। मैं पेज नम्बर 12 पर कहना चाहता हूँ कि एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्रदेश के जौलजीवी, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सितारगंज, जसपुर, बाजपुर, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग, ऋषिकेश और मैं इसमें चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ पर सर्वसुविधा युक्त ट्रामा सेन्टरों की स्थापना की जायेगी ताकि आपदा के साथ–साथ सामान्य समय में भी इन केन्द्रों का समुचित उपयोग किया जा सके। मान्यवर, इससे पहले भी ऋषिकेश में एक ट्रामा सेन्टर स्थापित है। अभी हाल में ब्लड बैंक के उद्घाटन पर वहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे थे और आपको भी विदित है और सदन को भी पता है कि इनकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई थी। लेकिन स्थापित होने के बाद उस ट्रामा सेन्टर में (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जहाँ तक ट्रामा सेन्टर की बात है, आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना वर्ष 2002 से लेकर 2007 में हुई थी। आप इसमें थोड़ा सुधार कर लें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं इसमें सुधार कर लूँगा लेकिन आप कितना सुधार करते हैं मैं इसमें सवाल जानना चाहता हूँ। आप वहाँ आये थे, वहाँ ट्रामा सेन्टर का क्या हाल है, न तो वहाँ डॉक्टर हैं और न ही वहाँ दवाईयाँ हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आपने स्वयं देखा था कि मरीज कह रहे थे कि हमें पर्चियाँ दी गयी थी और दवाईयाँ बाहर से लाने को कहा गया था और एक्स–रे के लिए भी बाहर जाने को कहा गया। ऐसे ट्रामा सेन्टर जो पहले से ही स्थापित हैं क्या दूसरे ट्रामा सेन्टर की भी यही हालत होगी। आप पहले वाले ट्रामा सेन्टर में वह सुविधा दे दें जो आज के ट्रामा सेन्टर में देना चाहते हैं। इसी प्रकार पेज नम्बर 47 में संस्कृत शिक्षा के बारे में बात की है। आपने कहा है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन व समृद्ध भाषाओं में से एक है। देवभूमि उत्तराखण्ड में संस्कृत विभाग के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी संचालित है। वर्तमान में 06 राजकीय संस्कृत विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल 80 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित हैं। लेकिन इस बजट में संस्कृत भाषा के उत्थान

के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि यह सरकार संस्कृत उत्थान के लिए कितनी गम्भीर है। आपने भी कहा है कि हमारा यह प्रदेश देवभूमि प्रदेश के रूप में जाना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के द्वारा ऋषिकेश और हरिद्वार को, संस्कृत नगरी के रूप में घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उस एवज में कोई प्राविधान इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मेरे कई साथियों को बोलना है, अभी भाई श्री गणेश गोदियाल जी वर्ष 2007–12 तक के विकास की बात कह रहे थे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्ष 2007–12 के बीच में जो विकास कार्य इस उत्तराखण्ड के अन्दर हुये, हमारी विधानसभा के अन्दर हुये वह आज तक नहीं हुए।

श्री हरिदास–

मान्यवर, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ।

*श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक':–

मान्यवर, आप ठीक ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, आप समर्थन दे रहे हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं वर्ष 2007–12 तक की बात कर रहा हूँ।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं मान सकता हूँ कि आप समर्थन दे रहे हैं इसलिए उनकी भाषा बोल रहे हैं, आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि कोई विकास नहीं हुआ, बहुत कार्य हुये हैं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आपके समय में तो पहले वाले मुख्यमंत्री जी से मिल ही नहीं पाते थे।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के बीच की बात हो रही है और माननीय विधायक जी ने कहा कि बहुत काम हुये हैं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लालकुँआ, जो अब विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह बिष्ट थे तो उस समय कितने विद्यालय उच्चीकृत हुये थे उसका रिकार्ड देख लें, जितने काम वहाँ विकास के हुये वे वर्ष 2002 से वर्ष 2007 के बीच हुये, आप रिकार्ड देख लें, उस विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल उसी समय खुले, उच्चीकरण उसी समय हुये, जो सड़कों का जाल बिछा उसी समय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, बजट पर बोलें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि यदि वास्तव में यह सरकार विकास के काम की बात करना चाह रही है तो मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें कहना चाह रहा हूँ कि बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए पूर्व के दो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हो चुकी है, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसी तरह से रायवाला से प्रतीतनगर में जो सड़क निर्माण की कार्यवाही की जाये, सत्यनारायण से गौहरी माफी तक सड़क का निर्माण किया जाये और ऋषिकेश में जो महाविद्यालय है वह स्वायत्तशासी बनने के बाद वहाँ के बच्चों के एडमीशन नहीं हो रहे हैं, वहाँ के बच्चों को या तो नरेन्द्रनगर या डोईवाला की तरफ जाना पड़ रहा है, उनको बहुत दिक्कत होती है और वहाँ के हजारों छात्र–छात्राओं को दूर जाकर शिक्षा लेनी पड़ रही है, तो इसमें हमारा निवेदन है कि ऋषिकेश में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाये और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के समय में ऋषिकेश में संजय झील के नाम से एक झील थी, उसके सौन्दर्यीकरण की बात मैं हर बार कहता हूँ तो उसके सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही हो, चूँकि ऋषिकेश एक तीर्थ नगरी है और हजारों तीर्थ यात्री हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से ट्रैफिक जाम रहता है और पार्किंग की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, पशु लोक सेना डोबरा, जो विस्थापित क्षेत्र है टिहरी का, वहाँ पर टिहरी से विस्थापित लोग आये और अभी त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं और उनको आज तक वोटिंग राईट नहीं है, वह अपनी ग्राम सभा नहीं बना पा रहे हैं। मान्यवर, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वो पहले अपने क्षेत्र में वोट देते होंगे, लेकिन अब वोट नहीं दे पा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अभी–अभी माननीय सदस्य बहुत गम्भीरता पूर्वक कह रहे थे कि 2007 से लेकर 2011 तक बहुत सारे कार्य हुए हैं। जब बहुत सारे कार्य हुए हैं तो अब आप इतने कार्य कैसे मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, यह बचे हुए कार्य हैं। जो कार्य हो गये हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। विकास सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। मान्यवर, जिन लोगों की बात मैं कर रहा था, आज की तिथि में उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, हरिपुरकलां,

नेपाली फार्म, खैरी, आमबाग, गीतानगर, मालवीय नगर, चन्दभागा ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है, लोगों के घर के अंदर पानी भरता है, बाढ़ के कारण लोगों की स्थिति बहुत खराब होती है, लोगों का जीना दूभर हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ इन स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा के उपाय किये जायं। माननीय अध्यक्ष जी, जब देहरादून से ऋषिकेश को जाते हैं तो रास्ते में हाथी आता है, हाथी से मानवीय क्षति लगातार हो रही है। हाथी कभी-कभी गाँव की तरफ जाता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरिदास-

मान्यवर, ध्यान रखिये, हाथी अब विधान सभा में भी आने वाला है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल-

मान्यवर, विधान सभा में आ जाय तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम तो सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ऋषिकेश में प्रेक्षागृह की मैं मांग करता हूँ। मान्यवर, त्रिवेणी घाट जो मेरी विधान सभा का प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर आज की तिथि में गंगा घाट से बहुत दूर बह रही है और जो श्रृद्धालु बाहर से आते हैं वे आचमन के लिए बहुत परेशान हैं, गंगा स्नान को बहुत परेशान हैं और खासकर बुजुर्ग और विकलांग जो श्रृद्धालु आते हैं उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है, चूँकि आज की तिथि में वे गंगा में नहीं नहा सकते हैं, गंगा बहुत दूर बह रही है। मान्यवर, पिछले मुख्यमंत्री माननीय बहुगुणा जी द्वारा भी यह घोषणा की गयी थी कि उस धारा को हम बिल्कुल त्रिवेणी घाट पर लायेंगे, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, गंगा को हम माँ गंगा के रूप में मानते हैं, लेकिन अपवित्रता के नाम पर आज यह स्थिति है कि सारा सीवरेज गंगा के अंदर जा रहा है, इससे बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं, उन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, जो जंगली जानवर हमारे क्षेत्र में जन-धन की हानि करते हैं, उसकी रोक-थाम हेतु आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इन सब बिन्दुओं के बारे में मैं पहले बजट में भी बोल चुका हूँ और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी इन बिन्दुओं को रख चुका हूँ, लेकिन आज तक इन बिन्दुओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी, के लिए कहना चाहूँगा कि

"खुशी उन्हें नहीं मिलती, जो जिंदगी में अपने रास्तों पर चलते हैं,

खुशी तो उन्हें मिलती है,जो दूसरों की खुशी के लिए,

अपने रास्ते बदल देते हैं, अपने रास्ते बदल देते हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। (इस समय 4.58 मिनट पर माननीय उपाध्यक्ष डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी पीठासीन हुए।)

श्री आदेश चौहान–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आप पहली बार पीठ पर विराजमान हुए तो, इसके लिए मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सदन की गरिमा बनाये रखें।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी ने कहा कि यह बजट पूर्ण रूप से चुनावी बजट दिखाई देता है। इस बजट में अधिकतर योजनाओं में उल्लेख किया गया है कि हम देखेंगे, हम करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस चीज दिखाई नहीं देती है। इस बजट के पृष्ठ संख्या–10 पर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने की बात कही गई, कहीं पर लैपटाप बांटने की बात कही गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज 67 वर्ष बाद जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उसका बुरा हाल है। देश को आजाद हुये 67 साल हो गये, लेकिन आज भी हमारे बच्चे टाट–पट्टियों पर पढ़ने को विवश हैं। मैंने इसी विषय में इस सदन में एक प्रश्न लगाया और मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु फर्नीचर की सुविधा न उपलब्ध कराये जाने तथा राज्य की सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने पूछा कि क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी, जवाब आया कि विचार नहीं करेगी। प्राइमरी एजुकेशन में हमारे छोटे–छोटे नौनिहाल, जो स्कूल में पहली कक्षा में एडमीशन लेते हैं, आज भी भयंकर सर्दी में जमीन में मिट्टी पर बैठना पड़ता है या अपने घर से टाट–पट्टी लेकर जाना पड़ता है। इस बजट में भी इन स्कूलों को फर्नीचर देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मान्यवर, अभी माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने भी बात कही, संस्कृत भाषा को हमने इस प्रदेश के अन्दर द्वितीय राज भाषा का दर्जा दिया हुआ है, पूरे बजट में जितने विभाग हैं, उनके अन्त में लिखा है कि इस विभाग के लिये इतने बजट की व्यवस्था की गई है, लेकिन संस्कृत के लिये कोई भी बजट आवंटित नहीं किया गया है। जिसे हम द्वितीय राजभाषा भी कह रहे हैं और देवभूमि की प्राचीनतम भाषा भी कह रहे हैं, उसमे बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में खोला गया, संस्कृत अकादमी हरिद्वार में खोली गई। उसमें 342 पदों के सापेक्ष 167 पद रिक्त हैं, एक ही छत के नीचे महाविद्यालय चल रहे हैं, उनमें कक्षा 1 से लेकर एम0ए0 तक की शिक्षा दी जाती है, वहाँ स्टॉफ नही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह भी है कि चाहे हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय हों या महाविद्यालय हों, उनकी व्यवस्था आज भी विद्यालयी शिक्षा के अधीन हैं। वहाँ के स्टॉफ को भी सैलरी इण्टर कालेजों के एकार्डिंग मिलती है, भले ही वह महाविद्यालयों के प्रवक्ता या प्रधानाचार्य हों। निश्चित रूप से यह देवभूमि की प्राचीनतम भाषा का अपमान है, सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिये। मान्यवर, आपको ध्यान होगा कि जो संस्कृत के प्रबन्धकीय शिक्षक हैं, वह पिछले 6 माह से आन्दोलनरत हैं, उनको सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया कि उनको किसी न किसी रूप में रेगुलर करेंगे, उन्हें सरकार अपनी सेवाओं में लेगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, अभी पेयजल व्यवस्था की बात कही गई। मान्यवर, इसके अन्दर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनान्तर्गत जो काम हुए मैं समझता हूँ कि 2012 के बाद इसके अन्दर कोई काम, कोई प्रगति हमको दिखाई नहीं दी। मेरे यहाँ हरिद्वार जिले के अन्दर, हरिद्वार नगर के अन्दर इस योजना से जो पाईप लाईनें डाली गयीं, वो सब 2012 से पहले डलीं। जब से मैं विधायक बना 2012 के चुनाव के बाद जब भी हमने विभाग के लोगों से पूछा तो आज उनकी स्थिति यह है कि जब से यह सरकार आयी एक इंच पाईप हरिद्वार जिले को नहीं मिला, ताकि नई लाईनें डाली जा सकें। जितनी लाईनें पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर डाली गयी थी, उसके बाद एक इंच भी नई लाईन नहीं डाली गयी। इन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर, कहाँ प्रगति हो रही है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपने यहाँ की बात कह सकते हैं कि हरिद्वार नगर के अंदर, हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के अन्दर एक इंच भी लाईन इस पिछले 02 वर्ष के अन्दर नहीं डली, और जो डली भी थी उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि लगातार वो कहीं न कहीं से लीकेज होती रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है अभी माननीय दुर्गापाल जी, मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी वो लोकार्पण का, शिलान्यास का जो कार्यकम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में गये थे। आदरणीय दुर्गापाल जी यहाँ पर बैठे हैं। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, मंच से उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला कि सड़कों पर इतने

गड्ढे हैं कि मेरे पीठ में जख्म हो गये। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है हरिद्वार के अन्दर, सिड्कुल के अन्दर और वास्तव में आप देखेंगे कि पिछले दो साल के अन्दर किसी भी सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है। आप मुजफ्फरनगर बार्डर से लेकर देहरादून तक की सड़क देख लो 1–1, 2–2 फुट गहरे गड्ढे हैं। हम पहले हरिद्वार से देहरादून मात्र 01 घंटे में पहुँच जाया करते थे आज 2–2 घंटे में पहुँचना मुश्किल हो रहा है और वो गड्ढे भरने का काम यह सरकार दो साल में नहीं कर पायी है। मैं आपके माध्यम से एक बात अपने क्षेत्र की भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 1989 में नये जिले का सृजन हुआ और उसका जिला मुख्यालय रोशनाबाद में बना दिया गया। रोशनाबाद से धर्मनगरी हरिद्वार को जोड़ने को कोई भी मार्ग लोक निर्माण विभाग का, राज्य सरकार का अपना नहीं है। एक बी0एच0एल0 का मध्य मार्ग हम लोगों ने कुछ समय के लिए लिया था, लेकिन आज तब भी वहाँ अपने विभाग की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। यहाँ माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि यह हरिद्वार धर्मनगरी की बहुत बड़ी समस्या है तो रोशनाबाद जिला मुख्यालय से सीधे–सीधे धर्मनगरी को जोड़ने के लिए, वन विभाग के किनारे–किनारे एक मार्ग बनना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। मान्यवर, इसमें पृष्ठ संख्या 32 पर बताया गया है कि 13 जून को आई भीषण आपदा के फलस्वरूप विधवाओं/लापता व्यक्तियों की पत्नियों हेतु नंदा देवी विशेष महिला सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपद की ऐसी प्रभावित महिलाओं के लिए है जिसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि 16–17 जून, 2013 को जो आपदा आयी, जून में जो आपदा आयी, वो केवल इन्हीं जिलों में नहीं आयी, वो पूरे उत्तराखण्ड के अन्दर उसका असर कहीं न कहीं दिखाई दिया, कहीं कम, कहीं ज्यादा। तो इसे केवल इन जिलों तक ही सीमित न रखें, ऐसी विधवाएं अन्य जिलों के अंदर भी हैं, ऐसी महिलाएं अन्य जिलों में भी हैं जिनके पति नहीं रहे उस आपदा के कारण। तो इसको केवल इन जिलों तक ही सीमित न किया जाय, बल्कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड इसका क्षेत्र रखा जाय। ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी एक दिन गन्ना मंत्री जी जब गन्ने के भुगतान के विषय में बात कर रहे थे, इसके अन्दर भी गन्ने की बहुत चर्चा की गयी है कि केन्द्र ने ये किया, हम लोगों ने ये किया तो मैं कहना चाह रहा था कि गन्ने के विकास के लिए कोई ठोस नीति इस बजट के अन्दर नहीं है। कल का अखबार उठा लो, परसों का अखबार उठा लो और माननीय गन्ना मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको पता होगा हमारी शुगर फैक्ट्रियाँ नो केन के कारण बंद हो रही हैं। मान्यवर, आज गन्ना किसान गन्ने की खेती से विमुख होते जा रहे हैं। इसके लिए दोषी सरकारें हैं। उस दिन मंत्री जी भाषण में बोल रहे थे जो कि शुगर इन्डस्ट्री पूरे देश की क्राइसेस में है। क्या हुआ भाई आप दस साल से वहाँ बैठे हैं, शुगर इन्डस्ट्री क्यों

क्राइसेस में है? यह बहुत गम्भीर विषय है कि गन्ना किसान के विषय में आपको निश्चित रूप से सोचना होगा। यदि गन्ना किसानों ने खेती करना बन्द कर दिया तो एक बहुत बड़ा संकट हम लोगों के सामने होगा। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष के विषय में बहुत सारी घोषणायें, बहुत सारी ट्रामा सेन्टरों के विषय में चर्चा की गई। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार के दौरान पी0एच0सी0को सी0एच0सी0 के रूप में उच्चीकृत किया गया, उसके ऊपर सरकार का करोड़ों रूपया खर्च हो गया, लेकिन आज तक भी वहाँ सी0एच0सी0 के एकोंडिंग यानि कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार जो डॉक्टरों के पद होने चाहिए थे, जो कर्मचारियों के पद होने चाहिए थे, जो वहाँ फैसीलिटी होनी चाहिए थी, वह प्रोवाइड नहीं कराई जा सकी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ हैं, ज्वालापुर के अन्दर चौक बाजार में एक पी0एच0सी0 को कुम्भ मेला 2010 के दौरान उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया। करोड़ रूपये की बिल्डिंग वहाँ आज खड़ी है। लेकिन आज भी वहाँ जो चिकित्सक हैं पी0एच0सी0 के अनुसार ही हैं। वहाँ कोई लैब टैक्नीशियन नहीं है, वहाँ कोई एक्स–रे वाला नही है, वहाँ बाकी स्टाफ जो कि अनुमन्य है वह नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ज्वालापुर चौक बाजार के अन्दर जो पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 बनाया गया था 2010 के अन्दर, उस पर करोड़ों रूपया खर्च हुआ है। उसके लिए जो पद सृजित होने हैं, उसके लिए जो बजट होना है उसकी व्यवस्था करें ताकि जो बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च हुआ है उसका उपयोग हो सके। मान्यवर, इसके अन्दर श्रम भी और उद्योग भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मैटर हैं, इसके विषय में बहुत बड़ी बातें कहीं गयी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जब अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया और सिडकुल की स्थापना हुई और उत्तराखण्ड की स्थापना के लिए जो आन्दोलन चला उसकी भी पृष्ठभूमि में बहुत बड़ी बात थी युवाओं के पलायन की, युवाओं के रोजगार की। हम सिडकुल लाये केवल इसलिए नहीं लाये कि हमें पैसा कमाना है। सिडकुल आया और औद्योगिक इन्डस्ट्री को यहाँ बुलाया, इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य यह था कि यहाँ के युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले। आज उत्तराखण्ड के युवाओं को जितना रोजगार मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ के युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देने को कोई भी इन्डस्ट्री पालन नहीं कर रहा है? उनका उत्पीड़न बहुत अधिक हो रहा है। मान्यवर, सिडकुल पूरा मेरे क्षेत्र में है, जब हमने सिडकुल की स्थापना की तो उसके आस–पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर जो सुधार किया जाना चाहिए था उस ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि सिडकुल से लगा गाँव रावली महदूद है, वहाँ जो 20 साल पहले पेयजल की टंकी थी आज भी वही है, उस गाँव के

अन्दर एक लाख से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। 67 हजार केवल उस गाँव के अन्दर श्रमिक रहता है, लेकिन पानी की टंकी एक है। सड़कें पहले जितनी थी आज भी उतनी ही हैं। उसके आस पास का जो क्षेत्र है वहाँ श्रमिक, कर्मचारी ऐसे रहते हैं जैसे मुर्गीखाने के अन्दर रह रहे हों जो वहाँ मूल भूत सुविधायें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। सिडकुल का बहुत सारा पैसा सी0एस0आर0 एकाउन्ट में पड़ा हुआ है, अगर हम उसको भी वहाँ यूटीलाइज कर लें तो उन लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मैं और बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल दो–तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारे वहाँ रोशनाबाद से लेकर बिहारीगढ़ तक वाला मार्ग और एक रोशनाबाद जिला हैड क्वाटर से लेकर हरिद्वार को जोड़ने वाला मार्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको बनाने में सरकार कोई कार्यवाही करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जब विभाग का बजट साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा तभी तो हम अपनी बात कह पायेंगे। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जब विभाग का बजट आयेगा तब उसका बजट साहित्य मिलेगा। इसमें पहले से नहीं मिलता है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विभाग का बजट साहित्य दो दिन पहले मिलता है। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, यह तो सामान्य बजट है और यह विभागीय बजट नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि इसमें कल तक चर्चा होगी। जब यह देखा तो इसमें आज ही चर्चा समाप्त हो रही है। यह तो परम्पराओं का हनन भी होगा और यह तो व्यवस्था का भी प्रश्न है। माननीय नेता सदन इस पर चाहे तो आज रात बारह बजे अपना जवाब दें और आपने तो कार्यमंत्रणा की समिति में कल से विभागवार चर्चा रख दी है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आज जितने भी माननीय सदस्य इसमें बोल सकें, उनको समय दिया गया था और कल इसमें उत्तर जवाब आयेगा।(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, इसमें कल जवाब कैसे आ सकता है? क्योंकि कल तो विभागवार बजट पर चर्चा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गयी है। वे भी इसमें बोलेंगे और मैं भी इसमें बोलूँगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, क्या यह घर की खेती हो गयी है? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम में शिथिलता होती रहती है।(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें चर्चा जारी रहेगी। (व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, इस परम्परा को खराब न किया जाय तो ठीक है। देश के इतिहास में, शायद कोई प्रदेश हो या संसद हो, जिस दिन जनरल बजट समाप्त होता है उस दिन प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री हो, उनका इसमें जवाब आता है। मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने बहुत फंसा रखा है तो उनसे आप अनुमति ले लें और आप ही मुख्यमंत्री बनकर इसमें जवाब दे दें। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी को पकड़कर लायें। यह व्यवस्था का भी सवाल है और परम्पराओं का भी सवाल है और इसको खत्म नहीं करना चाहिए और कल से विभागवार बजट पर चर्चा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको जरूर देखना चाहिए। (व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कल सात विभागों का बजट है। (व्यवधान) और उसके बाद तीन दिन का अवकाश है। उसके बाद विभागों का क्या होगा? (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर इसमें समय कम होगा तो वह भी आगे बढ़ जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सामान्य बजट में बोलने का अवसर दिया। इस बजट में, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों से सम्बद्ध करते हुए और निश्चित रूप से उनके मतों से मैं सहमत हूँ कि यह बजट निराशाजनक है। इस बजट में आपदा का जिक्र किया गया है, लेकिन इससे पूर्व जो आपदा से नुकसान हुआ है तो उसका कोई जिक्र नहीं है। हमारे क्षेत्र में वर्ष 2010 में आपदा आयी थी। लेकिन आज तक उसके उपाय के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। (घोर व्यवधान) (हंसी) मान्यवर, मैं अपनी बात को सही कर देता हूँ आपदा वर्ष 2010 में नहीं, बल्कि वर्ष 2012 में आयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपदा वर्ष 2010 में नहीं बल्कि वर्ष 2012 में कॉंग्रेस के रूप में आई है। मान्यवर, कई ऐसी बातें हैं जो वर्ष 2010 की आपदा में नुकसान हुआ और उनका निवारण नहीं हुआ, मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरे क्षेत्र में झर्त और बन्जादेवी पुल बह गये, जिससे कई बच्चे स्कूल जाते हैं और आज बरसात में स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन जब पी0डब्ल्यू0डी0 ने आगणन दिया तो आपदा के द्वारा कहा गया कि हमको पैसा उपलब्ध नहीं है और दूसरी सरकार के द्वारा कहा गया है कि आपदा के लिए समुचित पैसा है मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2010 में जो आपदा के क्षेत्र छूट गये हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, उनका भी निवारण करना चाहिए। मान्यवर, इस आपदा में जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में बजट का आवंटन होता है, तो मुझे लगता है कि शायद पर्वतीय क्षेत्र को देखते हुये यह आवंटन नहीं होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में चाहे कोई भी निर्माण सामग्री जाती है वह तिगुनी दरों पर होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में न पर्वतीय क्षेत्र के बजट की बढ़ोत्तरी की गई और न उनके दरों में कोई कटौती की गई, तो मेरा यह कहना है कि बजट में यह छूट गया है तो सरकार को इस पर भी कुछ करना चाहिए। मान्यवर, अभी उद्योग की बात चल रही थी तो हमारा कोटद्वार क्षेत्र जो उसका ग्रोथ सेन्टर है, उस क्षेत्र के विधायक भी यहाँ पर हैं जो सम्मानित मंत्री भी हैं, लेकिन ग्रोथ सेन्टर की आज स्थिति इतनी खराब है कि जितनी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वह सब अपना कारोबार वहाँ से छोड़ चुकी हैं या कम हो गई हैं और जो पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने का उद्देश्य था स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने का, तो वह निश्चित रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो मेरा निवेदन है कि जो इस ग्रोथ सेन्टर में बेरोजगार नहीं लग पा रहे हैं तो उस ग्रोथ सेन्टर को पुनः एक समृद्ध बनाया जाये, यह इस बजट में आना चाहिए था लेकिन सरकार की तरफ से इस पर गौर नहीं किया गया। मान्यवर, कोटद्वार क्षेत्र में 7–8 विकासखण्ड आते हैं उनका केन्द्र कोटद्वार है और

मेरी विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र भी कोटद्वार है और पिछली सरकार में सम्मानित मंत्री जी ने लोगों से घोषणा की थी कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी, लेकिन इस बजट में कहीं भी मेडिकल कॉलेज का जिक नहीं किया गया, न उसके लिए कोई व्यवस्था की गई निश्चित रूप से यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि यह सरकार इस क्षेत्र में गम्भीर नहीं है। इसके साथ–साथ मैं एक और मुद्दा कहना चाहता हूँ और यह गम्भीर भी है और यह मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश के दोनों खण्डों को जोड़ने के लिए, इस प्रदेश के कुमाऊँ और गढ़वाल को जोड़ने के लिए जो एक जीवन रेखा के रूप में गैंडीखाता, लालढांग, कोटद्वार कालागढ़ होते हुये रामनगर के लिए जो रास्ता जाता था, तो उस रास्ते के लिए न पैसे की व्यवस्था की गई और न कोई ऐसी कोशिश सरकार की ओर से लगती है कि भविष्य में कभी वह मार्ग खुल पायेगा, इससे बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जिसका अपना ही राष्ट्रीय राजमार्ग न हो, तो सरकार ने इसमें भी कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है, इस कारण मैं इस बजट को बड़ा नीरस और जनता के प्रति अनदेखी करने वाला बजट कह रहा हूँ। मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाह रहा हूँ स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के नाम पर उनके जन्म स्थान बुदाणी में हैरीटेज भवन बनाने की कोशिश की और उसका प्राविधान इसमें रखा, लेकिन और अच्छा होता कि उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दी के प्रथम डी0लिट0 डा0 पिताम्बर बड़थ्वाल, निवास स्थान ग्रामपाली जो जैरीखाल में स्थित है, उसमें भी यदि हैरीटेज भवन बनाने का प्राविधान इस बजट में होता तो मैं समझता कि बजट कुछ ठीक–ठाक होता। मान्यवर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय बड़थ्वाल जी की स्मृति में, उनके निवास स्थान में उनके भवन को हैरिटेज भवन तो बनाना ही चाहिए, साथ ही साथ वर्ष में एक ऐसा कार्यक्रम उस स्थान पर होना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हिन्दुस्तान के प्रथम डी0लिट0 के पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर, हम उनको क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर बात है, जिसको मैं सदन में पहले भी उठा चुका हूँ, वह है वन्य जीवों से खेतों को जो नुकसान हो रहा है, जो कृषि को नुकसान हो रहा है, इसके साथ ही साथ मवेशियों और आदमियों के लिए जो जानमाल का आज नुकसान हो रहा है। मान्यवर, जब कोई व्यक्ति जानवरों के द्वारा मार दिया जाता है या कोई जानवर जंगली जनवरों द्वारा मार दिय जाता है, तो इसका मुआवजा सभी प्रदेशों में बराबर नहीं है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वह सभी प्रदेशों में एक होना चाहिए, चूंकि जान–माल की कीमत हर जगह अलग–अलग नहीं आंकी जा

सकती है, या किसी पशु की कीमत हर जगह अलग–अलग नहीं आंकी जा सकती है, इस बजट में इसका भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है, मैं चाहूंगा इसकी भी सरकार बजट में व्यवस्था करे। मान्यवर, इस समय वन्य जीवों के मारने पर जो केवल तीन लाख रू0 जानमाल की हानि पर दिया जाता है, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि कम से कम इसको 10 लाख रू0 वन्य जीव के मारने पर सम्बन्धित पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार अपना भरण–पोषण कर सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालयों की स्थिति इतनी विकट है कि विगत कम से कम 15–20 दिनों तक छात्र–छात्राओं ने नैनी डांडा राजकीय महाविद्यालय में हड़ताल रखी और सिर्फ इसलिए रखी कि महाविद्यालय सरकार की तरफ से खोल दिये गये हैं, लेकिन इनमें शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ–साथ रिकणीखाल महाविद्यालय में भी शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि इस विद्यालय की स्थिति तो इतनी खराब है कि यहाँ पर भवन तक नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस बजट में इनका भी प्राविधान नहीं किया गया है, जोकि होना चाहिए था। मान्यवर, समय बहुत कम है और मैंने केवल अपनी ही गम्भीर बातें रखी हैं, इधर–उधर की बातें नहीं की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी, विशेषकर जो बात मैंने वन्य जीव से जानमाल की क्षति के सम्बन्ध में कही है, जो उसका मुआवजा है, इसको बढ़ाकर 10 लाख रू0 सरकार को करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है, पर्यटन जो आज हमारा आय का मुख्य स्रोत हो सकता था, इसके प्रति सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। मान्यवर, मेरी विधान सभा में लैंसडोन, ताड़केश्वर, पौड़ी और खिर्सू को मिलाकर पर्यटन सर्किट बनाने की एक योजना सरकार द्वारा बनायी गयी थी, लेकिन आज तक इस योजना पर कोई गम्भीरतापूर्वक कार्य नहीं किया गया। मेरा सरकार को आपके माध्यम से सुझाव है कि सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, उनको भी पर्यटन से जोड़कर और जितने भी हमारे प्रदेश में पर्यटक आते हैं, उनको इन लोक कलाकारों के माध्यम से अपनी कला का, अपनी संस्कृति का, साक्षात्कार कराने का हमें उपाय करना चाहिए और ऐसा कार्यक्रम कम से कम ग्रीष्म काल में करना चाहिए, इससे हम विदेशी पर्यटकों और स्वदेशी पर्यटकों को अपनी लोक कलाओं से अवगत करा सकें।

मान्यवर, मैं इसी के मद्देनजर लैंसडाउन, जो कि एक पर्यटन स्थल भी है और जब से कश्मीर में आतंकवादी घटनायें हुई हैं, तब से लैंसडाउन में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि पर्यटन विभाग गंभीरता से बात करे तो बजट का प्रावधान रखे तो ग्रीष्म महोत्सव के नाम पर धन आवंटित किया जाना चाहिये। मैं सरकार को उसकी दूरदृष्टि पर एक बात का समर्थन करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रावत जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भी मुझसे सहमत होंगी, सरकार के द्वारा एक काम बहुत बढ़िया किया गया है, हमारे साथी सदस्य श्री सिंघल जी ने एक बात कही, जिस तरह से उन्होंने एक इशारा किया कि चाहे परिवहन में हो या खनन में हो, जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, शासन और प्रशासन से मिलीभगत करके, सरकार द्वारा अच्छा कदम उठाया गया, मैं अभी सरकार का एक बयान पढ़ रहा था कि पांच नई जेलों का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया। मुझे लगता है कि अपने लिये सबसे अच्छी सुविधायें, जैसा सिंघल जी ने भी कहा, भ्रष्टाचारियों के लिये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि यदि हम सत्ता में दोबारा आते हैं तो हमारे लिये भी निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। भ्रष्टाचारियों को रखने के लिये हमारे पास जगह की कमी नहीं होगी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

श्री उपाध्यक्ष–

आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। सभा के उपवेशन के पश्चात् कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 2– श्रीमती विजय बड़थ्वाल 3– श्री पुष्कर सिंह धामी 4– श्री महावीर सिंह रांगड़ 5– श्री प्रेम सिंह राणा 6– श्री चन्दन राम दास एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा 7– श्री सरवत करीम अंसारी की कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत गाँव चैतुआखेड़ा से ज्ञानपुर गौढी मार्ग तथा निहाई नदी एवं चैतुआखेड़ा–देवीपुर मार्ग पर बरसाती नाले पर पुल के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी की अनदेखी होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र तल्ला सल्ट में कोई महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[कृपया विधान सभा सचिवालय की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–53 के अधीन आपके द्वारा दिनांक 07–02–2014 को विधान सभा क्षेत्र सल्ट में महाविद्यालय की स्थापना हेतु चाही गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ एवं बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। राज्य गठन के पश्चात् उच्च शिक्षा में पर्याप्त विकास एवं विस्तार हुआ है। राज्य गठन के पूर्व 35 महाविद्यालय अवस्थित थे, जिनकी विकास बढ़कर 72 हो गयी है। नव सृजित राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत राज्य के कई क्षेत्रों में महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई है, जिनमें तल्ला सल्ट नामक स्थल भी सम्मिलित है।

जहाँ तक तल्ला सल्ट क्षेत्र में नये महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास लगभग 50 कि0मी0 की सीमान्तर्गत कोई महाविद्यालय अवस्थित नहीं है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल के आस–पास संचालित महाविद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

(क) राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैंण – 100 कि0मी0

(ख) राजकीय महाविद्यालय, रामनगर – 50 कि0मी0

(ग) राजकीय महाविद्यालय, मानिला – 90 कि0मी0

तल्ला सल्ट क्षेत्र में प्रस्तावित महाविद्यालय हेतु उपलब्ध हो सकने वाली छात्र संख्या वर्ष 2011 में 450 थी, जो वर्तमान में घटकर 362 आंकलित की गई है। महाविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की गरूड़ वृहद पेयजल योजना के लम्बित प्रस्ताव की जांच के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की गरूड़ पम्पिंग पेयजल योजना से गरूड़ कस्बे एवं इसके आस–पास 12 ग्राम पंचायतों को मानकानुसार समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ₹ 873.30 लाख का प्राक्कलन विरचित कर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून को एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उक्त योजना के प्राक्कलन का परीक्षण कर अनु0 लागत ₹ 848.15 लाख अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया। उक्त योजना के प्रस्ताव का टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त पायी गयी कतिपय तकनीकी आपत्तियों के निराकरण हेतु मूल प्राक्कलन उत्तराखण्ड पेयजल निगम को वापस किया गया है। उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा आपत्तियों को निराकरण किया जा रहा है। तदोपरान्त संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल पूर्वान्ह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 06 बजकर 35 मिनट पर दिन गुरूवार, दिनांक 13 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून : जगदीश चन्द्र,

दिनांक 12 फरवरी, 2014 सचिव,

विधान सभा।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

नत्थी—"क"

(देखिए स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–30 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये स्थगित अतारांकित प्रश्न सं0 02 का संलग्नक

क्र0सं0	जनपद	वर्ष							फर्म/ठेकेदार का नाम
		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	टिहरी	—	—	—	4	4	4	—	मैसर्स नमन इन्टरप्राईसेज मैसर्स विश्नोई कन्सट्रक्शन्स मैसर्स के0के0 इण्टरप्राईजेज मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स वी0एस0 इण्टरप्राईजेज
2.	रूद्रप्रयाग	5	5	10	10	17	17	—	मैसर्स विश्नोई कन्सट्रक्शन्स मैसर्स के0के0 इण्टरप्राईजेज मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स नमन इण्टरप्राईजेज मैसर्स विक्रम सिंह कण्डारी श्री राजवर सिंह राणा
3.	चमोली	5	5	6	6	6	6	—	मैसर्स विश्नोई कन्सट्रक्शन्स मैसर्स के0के0 इण्टरप्राईजेज मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स नमन इण्टरप्राईजेज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	उत्तरकाशी	20	23	27	28	47	49	—	मैसर्स विश्नोई कन्स्ट्रक्शन्स मैसर्स के0के0 इण्टरप्राईजेज मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स नमन इण्टरप्राईजेज मैसर्स पी0एस0 इण्टरप्राइजेज
5.	पौड़ी	9	9	9	9	17	17	—	मैसर्स एम0के0जैन मैसर्स मनमोहन सिंह मैसर्स ओम प्रकाश मैसर्स अनिल अग्रवाल मैसर्स प्यारेलाल कुकरेती मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स के0के0 इण्टरप्राइजेज मैसर्स मो0 हानिफ
6.	देहरादून	25	26	26	29	37	42	—	मैसर्स एम0के0जैन मैसर्स मनमोहन सिंह मैसर्स ओम प्रकाश मैसर्स प्यारेलाल कुकरेती मैसर्स अनिल अग्रवाल मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स के0के0 इण्टरप्राइजेज मैसर्स मो0 हानिफ मैसर्स साई इलेक्ट्रिकल्स मैसर्स लोकेश्वर इंजी0 एण्ड सप्लायर्स

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									मैसर्स दून आर0 इंजीनियरिंग मैसर्स शिवम इण्टरप्राइजेज मैसर्स जे0पी0 अग्रवाल मैसर्स सुलेमान मैसर्स सानून अली मैसर्स सौकत अली
7.	हरिद्वार	7	7	7	17	17	17	17	मैसर्स वी0के0 इण्टस्ट्रीज मैसर्स स्वास्तिक इण्टस्ट्रीज मैसर्स लोकेश्वर इंजीनियरिंग मैसर्स इन्द्र प्रकाश अग्रवाल
8.	अल्मोड़ा	26	20	45	39	38	44	47	मैसर्स मुस्कान एसोसिएट्स मैसर्स नमन इण्टरप्राइजेज मैसर्स ओम प्रकाश मैसर्स राहुल एण्ड कम्पनी मैसर्स आशुतोष भट्ट मैसर्स नारायण सिंह मैसर्स सागर इण्टरप्राइजेज मैसर्स खड़क सिंह मैसर्स पुष्कर सिंह
9.	बागेश्वर	24	19	21	23	26	26	30	श्री के0के0 कनवाल श्री एम0सी0 तिवारी श्री एन0के0 लोहनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	पिथौरागढ़	5	7	12	10	10	15	18	मैसर्स राहुल एण्ड कम्पनी मैसर्स आशुतोष भट्ट मैसर्स सी0एस0 मेहता मैसर्स सागर इण्टरप्राइजेज मैसर्स प्रताप सिंह मैसर्स राम सिंह मैसर्स नारायण सिंह मैसर्स खड़क सिंह
11.	चम्पावत	2	2	2	1	44	35	09	मैसर्स राहुल एण्ड कम्पनी मैसर्स आशुतोष भट्ट मैसर्स सी0एस0 मेहता मैसर्स सागर इण्टरप्राइजेज मैसर्स प्रताप सिंह मैसर्स राम सिंह मैसर्स नारायण सिंह मैसर्स खड़क सिंह
12.	नैनीताल	94	141	158	224	202	191	109	मैसर्स जे0बी0 ग्रुप मैसर्स असवाल इण्टरप्राइजेज मैसर्स आर0सी0 सारस्वत मैसर्स राहुल एण्ड कम्पनी मैसर्स सागर इण्टरप्राइजेज मैसर्स जगमोहन चिलवाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									मैसर्स मदन इलेक्ट्रिकल्स मैसर्स यश मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस मैसर्स शिवाशीष इंजी0 श्री रूपराज श्री भवानसिंह रावत श्री जहूर अहमद मैसर्स एम0जी0 एण्ड कम्पनी मैसर्स श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन मैसर्स जनता इंजी0 एण्ड इलै0 श्री महेन्द्र सिंह श्री धर्म सिंह मैसर्स धर्मा एण्ड इलैक्ट्रिकल मैसर्स सैयद इंजी0 वर्क्स मैसर्स वी0के0 ट्रेडर्स एवं इलै0 श्री नारायण दत्त शर्मा श्री नवास अली
13.	ऊधमसिंह नगर	2	8	26	34	29	33	—	श्री आर0सी0 सारस्वत मैसर्स राहुल एण्ड कम्पनी श्री धर्म सिंह मैसर्स मदन इलेक्ट्रिकल्स

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधान सभा / 248–15–10–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।